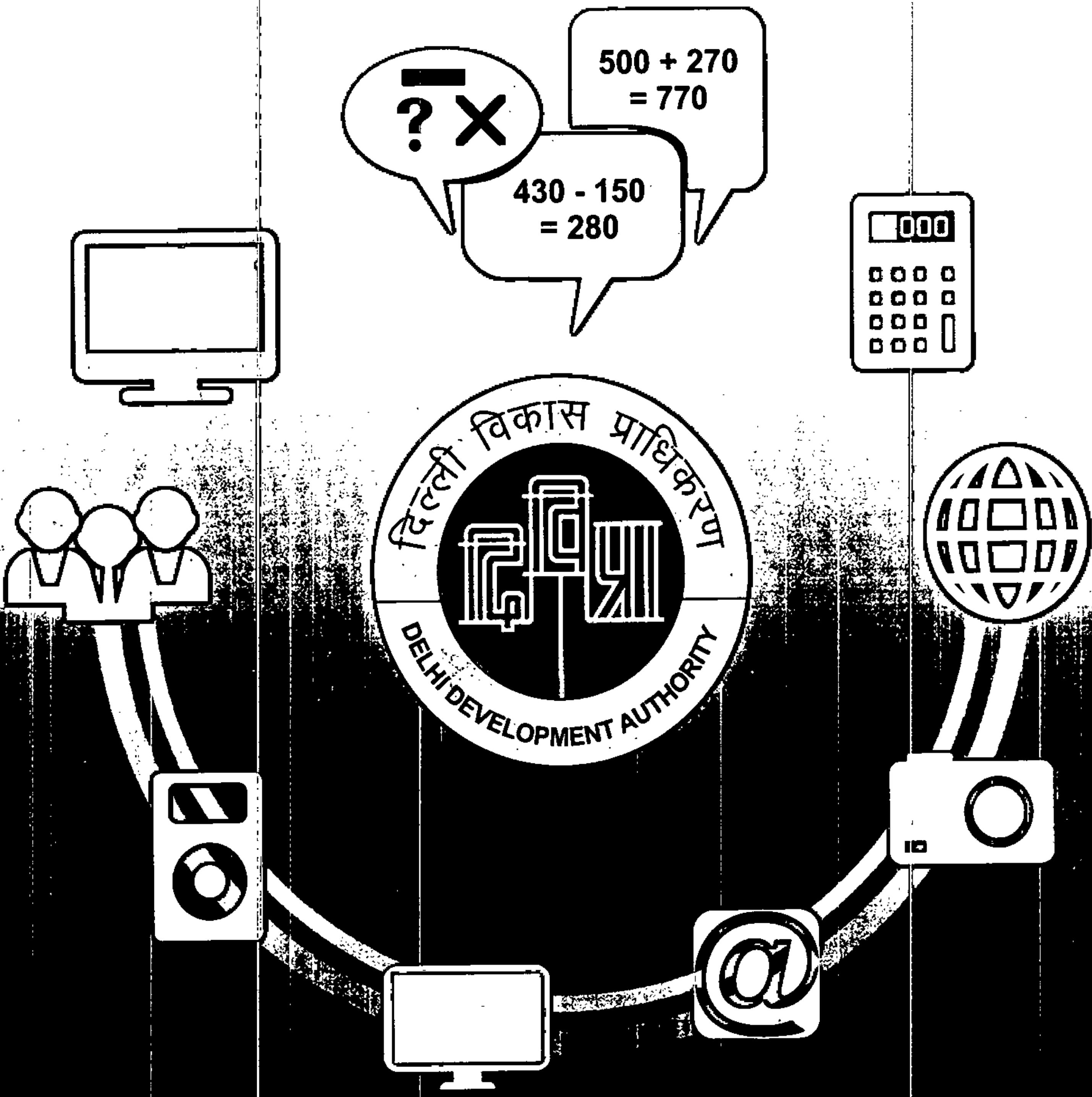


# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक खातों की

# लेखा परीक्षा रिपोर्ट

# वर्ष 2015–16 के लिए

# दिल्ली विकास प्राधिकरण के लेखों पर

# पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

"वर्तमान रिपोर्ट अंग्रेजी में जारी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट (एस.ए.आर.) का हिन्दी अनुवाद है। दोनों के मध्य विसंगति के मामले में अंग्रेजी पाठ को अंतिम समझा जाए।"

# 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दिल्ली विकास प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 (2) के उपबंधों के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त आय एवं व्यय लेखे की लेखा परीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणों के तथ्यों की सत्यता की जिम्मेदारी प्राधिकरण के प्रबंधन की है । हमारा दायित्व अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने का है ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन व्यवहार के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) मानकों आदि के संबंध में लेखांकन प्रणाली पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं । विधि, नियमों और विनियमों (उपयुक्तता और नियमनिष्ठा) के अनुपालन तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो, के संबंध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा–परीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्टों / सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक से दी गई है ।

3. हमने अपनी लेखा–परीक्षा लागू नियमों और भारत के सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार की है । इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखा–परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादन करें कि उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरण में कोई गलतबयानी नहीं है । हमारी लेखा–परीक्षा में परीक्षण आधार पर जाँच, राशियों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) शामिल हैं। हमारी लेखा–परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकंन सिद्धांतों का आकलन और प्रबंध द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा–परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है ।

4. अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर, हम कहना चाहते हैं कि :–

(i) हम सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के लिए आवश्यक थी, प्राप्त की ।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखे प्रारूप में लेखे तैयार किए:–

- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के सामान्य प्रारूप में तैयार किए गए सामान्य विकास खाते के संबंध में प्राप्ति और भुगतान लेखे, आय और व्यय लेखा और तुलन पत्र ।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम 1982 के अंतर्गत तैयार किए गए नजूल–I के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान लेखां, आय एवं व्यय लेखा और तुलन पत्र।

- दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट एवं लेखा) नियम 1982 के अंतर्गत तैयार किए गए नजूल–II के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा ।

(iii) हमारी राय में, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25(1) के अंतर्गत समुचित खाता–बहियों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया है, जो इन खाता–बहियों की जाँच के दौरान हमें निम्नलिखित टिप्पणियों सहित देखने को मिला है:–

क–तुलन पत्र

1. आरक्षी निधि और अधिशेष (अनुसूची–क) 9899.43 करोड़ रु.

1.1 राजस्व लेखा में अधिशेष :

राजस्व खाते में ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी फंड से अधिशेष में फंड के अंतरण पर 2014–15 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या ए.–1.1 के लिए एक संदर्भ आमंत्रित किया जाता है । निधि आधारित लेखाकरण के अनुसार अंतरित राशि को 'राजस्व लेखा के अधिशेष' में जोड़ने के बजाय ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षी फंड में समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि राशि ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित है । वर्ष 2015–16 में भी 125.78 करोड़ रु. (ई.डब्लयू.एस. व्यय 171.64 करोड़ रु. – ई.डब्ल्यू.एस. निवेश पर ब्याज 45.86 करोड़ रु.) को ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षी फंड से राजस्व लेखा के अधिशेष में अंतरित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते के अधिशेष में 125.78 करोड़ रु. की वृद्धि हुई और ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित फंड में इतनी ही कमी हुई ।

2. निर्धारित/वृत्तिदान निधि (अनुसूची–ख) 550.69 करोड़ रु.

2.1 सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि (पी.आर.एम.एस.):

इस मामले पर वर्ष 2014–15 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या ए. 2.3 के लिए संदर्भ आमंत्रित है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पी.आर.एम.एस. के दायित्व को पूरा करने के लिए पेंशन फंड़ ट्रस्ट में 30 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया । वर्ष 2015–16 में पी. आर.एम.एस. फंड का अंतशेष पेंशन फंड ट्रस्ट से चालू वर्ष (2015–16) में 30.91 करोड़ रु. और पिछले वर्ष (2014–15) में 30.00 करोड़ रु. प्राप्त करने के बाद 60.91 करोड़ रु. प्राप्त हुआ । तथापि, लेखा–परीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015–16 में पेंशन फंड ट्रस्ट से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी और 30 करोड़ रु. की राशि जो वर्ष 2014–15 में प्राप्त हुई थी, चालू वर्ष में उसका भी पुनर्भुगतान किया गया था । अतः वर्ष के अंत में पी.आर.एम.एस. द्वारा पेंशन फंड ट्रस्ट को कोई राशि देय नहीं थी ।

इसके परिणामस्वरूप पी.आर.एम.एस. के अंतशेष में 60.91 करोड़ रु. तक की अधिकता हुई और पेंशन फंड ट्रस्ट (अनुसूची–ग) के लिए सामान्य विकास खाता की वर्तमान देयताओं में इतनी ही राशि की कमी पाई गई ।

**2.2 निर्धारित फंड के निवेश में कमी :**

निर्धारित फंड में कमी को दर्शाने वाले वर्ष 2014–15 के दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या ए. 2.4 के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है । वर्ष 2015–16 में भी 31 मार्च, 2015 को सामान्य भविष्य निधि, शहरी विकास निधि, छुट्टी नकदीकरण निधि, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा स्कीम निधि, सिविल कार्य रखरखाव निधि और विद्युत कार्य रखरखाव फंड में उपलब्ध कुल 7405.28 करोड़ रु. रुपये के मुकाबले 7,030.08 करोड़ रु. का वास्तविक निवेश किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

**(राशि रुपये करोड़ में)**

| क्र.सं. | फंड का नाम | अनुसूची 'ख' के अनुसार अंत शेष | अनुसूची 'ड.' के अनुसार निवेश की गई राशि | निवेश में कमी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सामान्य भविष्य निधि | 1535.60 | 1487.33 | 48.27 |
| 2. | शहरी विकास निधि | 4373.14 | 4351.18 | 21.96 |
| 3. | छुट्टी नकदीकरण निधि | 510.04 | 459.17 | 50.87 |
| 4. | सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि | 550.69 | 466.87 | 83.82 |
| 5. | सिविल कार्य रखरखाव निधि | 395.90 | 265.53 | 130.37 |
| 6. | विद्युत कार्य रखरखाव निधि | 39.91 | 0 | 39.91 |
| | **कुल** | **7405.28** | **7030.08** | **375.20** |

चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2015–16 के दौरान उक्त संदर्भित फंड के लिए निवेश में 375.20 करोड़ रु. की कुल कमी थी ।

**3. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची–ग)** **1596.51 करोड़ रुपये**

**3.1 भूमि के लिए विविध लेनदार** **298.96 करोड़ रुपये**

क) इसमें 690.881 एकड़ भूमि खरीदने के लिए पुनर्वास मंत्रालय (एम.ओ.आर) को देय 3.82 करोड़ रुपये की बकाया मूलधन राशि पर 11.10 करोड़ रु. (दिसंबर 1991 तक 1.84 करोड़ रुपये + जनवरी 1992 से मार्च 2016 तक 9.26[1] करोड़ रुपये) के ब्याज के लिए देयताएँ शामिल नहीं है ।

[1]. वसूल किए जाने वाले ब्याज की वास्तविक दर उपलब्ध न होने पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर परिकलित।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं में 11.10 करोड़ रुपये तक की कमी हुई, जिसमें 10.72 करोड़ रुपये तक के पूर्व अवधि व्यय और 0.38 करोड़ तक के चालू वर्ष के व्यय शामिल हैं ।

**ख)** वर्ष 2014–15 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या ए 3.2 के लिए संदर्भ आमंत्रित है जिसमें दि.वि.प्रा. की पॉलिसी संख्या 11 (बी) में परिवर्तन के लिए आवश्यकता को दर्शाया गया है। इस पॉलिसी के अनुसार भूमि की लागत संबंधी देयता को संबंधित आवासीय योजना के निर्माण कार्य के पूरा होने पर सामान्य विकास खाते में दर्ज (बुक) किया जाता है । दि.वि.प्रा. की यह नीति (पॉलिसी) लेखाकरण की प्रोद्भवन अवधारणा के अनुसार नहीं है क्योंकि देयता के उत्पन्न होते ही उसे दर्ज कर दिया जाना चाहिए ।

31 मार्च, 2016 को सामान्य विकास खाते में बीस (20) चालू योजनाएं थीं जिनके लिए भूमि पहले ही नजूल–II से प्राप्त की जा चुकी है और सामान्य विकास खाते द्वारा आवासीय योजनाओं के निष्पादन में उपयोग की ज़ा चुकी है । इस प्रकार लेखांकन के प्रोद्भवन अवधारणा के अनुसार भूमि की लागत के लिए देयता, सामान्य विकास खाते की लेखा बही में दर्ज की जानी चाहिए । उपर्युक्त देयता का प्रावधान न करने का परिणाम, भूमि की लागत की सीमा तक विविध लेनदारों की कमी को दर्शाता है । लेखा परीक्षा में मांगी गई 31 मार्च, 2016 को चल रही आवासीय योजनाओं के संबंध में नजूल–II को देय भूमि की योजनावार लागत दि.वि.प्रा. द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके न होने के कारण लेखा परीक्षा द्वारा देयता की मात्रा निर्धारित नहीं कर की जा सकी ।

**3.2 पेंशन फंड ट्रस्ट को देय** **283.81 करोड़ रु.**

इसमें पेंशन फंड ट्रस्ट को देय 39.30 करोड़ रु. शामिल नहीं हैं, जो व्यय के लिए विविध लेनदारों के शीर्ष के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

इसका परिणाम पेंशन फंड ट्रस्ट को 39.30 करोड़ रु. तक की शेष देय राशि की कमी और इसी सीमा तक व्यय के लिए विविध लेनदारों की अधिकता के रूप में हुआ है ।

**4. वर्तमान परिसंपत्तियाँ (अनुसूची–एफ)** **13676.14 करोड़ रु.**

मालसूचियाँ (इंवेंटरी):

7123.70 करोड़ रु.

## 4.1 प्रगतिधीन कार्य (निर्माणाधीन आवास)

2759.67 करोड़ रु.

क) इसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित स्कीमों के लिए खर्च किया गया 35.64 करोड़ रु. का निवल प्रगामी व्यय शामिल नहीं है ।

(राशि करोड़ रु. में)

| क्र.सं. (1) | आवासीय योजना का नाम (2) | 31.03.2016 तक संचयी व्यय (3) | 31.03.16 को बकाया अग्रिम (4) | निवल व्यय (3–4) (5) | निवल व्यय पर 15 प्रतिशत की दर से ओवर हैड (6) | 31.03.16 को दर्शाये जाने वाले डब्ल्यू. आई.पी. (5+6) (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क) आवासों के निर्माण पर किया गया 35.64 करोड़ रु. का व्यय परंतु प्रगतिधीन कार्य के रूप में दर्शाया नहीं गया । | | | | | | |
| 1. | जेलरवाला बाग अशोक विहार में 1675 आवासीय इकाइयों का निर्माण | 20.40 | 17.57 | 2.83 | 0.42 | 3.25 |
| 2. | द्वारका फेज–II में सै. 19 में 1240 उच्च आय वर्ग (बहुमंजिले) आवासों का निर्माण | 54.02 | 45.90 | 8.12 | 1.22 | 9.34 |
| 3. | द्वारका फेज–II में पॉकेट–3, सै. 19 बी के साथ लगते हुए 352 बहुमंजिले 2 बीएचके अपार्टमेंट का निर्माण | 25.85 | 12.75 | 13.10 | 1.96 | 15.06 |
| 4. | पॉकेट–5, सैक्टर–14, द्वारका फेज–II में 1568 आवासीय इकाइयों/600 श्रेणी –II और 968 ईडब्ल्यूएस कम्पोजिट आवासों का निर्माण | 23.78 | 22.42 | 1.36 | 0.20 | 1.56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 500 2–बीएचके, 340 3–बीएचके और 325 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण | 38.76 | 36.94 | 1.82 | 0.27 | 2.09 |
| 6 | 625 2–बीएचके, 350 3–बीएचक का निर्माण और 376 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण | 37.51 | 35.43 | 2.08 | 0.31 | 2.39 |
| 7 | 225 3–बीएचके और 420 2–बीएचके और 250 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण | 29.73 | 28.03 | 1.70 | 0.25 | 1.95 |
| | कुल | 230.05 | 199.04 | 31.01 | 4.63 | 35.64 |

**ख)** इसमें वसंतकुंज डी–6 में 2500/2252 एस.एफ.एस. आवासों के निर्माण की योजना पर व्यय किए गए 24.97 करोड़ रु. शामिल हैं, जिनका निर्माण कार्य पहले ही वर्ष 2012–13 के दौरान पूरा मान लिया गया था और इस योजना के फिनिश्ड स्टॉक को उसी समय पहले ही दर्ज (बुक) कर लिया गया था ।

उपर्युक्त 'क' एवं 'ख' के परिणामस्वरूप प्रगतिधीन कार्य (निर्माणाधीन आवास) 10.67 करोड़ रु. (35.64 करोड़ रु.–24.97 करोड़ रु.) तक कम था और चालू वर्ष के लिए घाटा इसी सीमा तक अधिक था ।

**4.2 प्रगतिधीन कार्य ( निर्माणाधीन व्यावसायिक सम्पदा )** **27.30 करोड़ रु.**

दि.वि.प्रा. के निम्नलिखित जोन में समाज सदनों/केंद्रों के निर्माण पर 31.03.2016 तक किए गए निवल प्रगामी व्यय के 10.96 करोड़ रु. शामिल हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :

**(राशि करोड़ रू. में)**

| क्र. सं. | ज़ोन का नाम | योजना का नाम | 31/03/2016 तक किया गया व्यय | व्यय पर 15 प्रतिशत उपरिप्रभार | उपरि प्रभार सहित कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पूर्व | पॉकेट–10बी, जसोला में समाज सदन का निर्माण | 0.66 | 0.10 | 0.76 |
| 2. | पूर्व | समाज सदन–बी की पार्किंग और पार्क, दि.वि. प्रा. आवास के जी सी ओ का निर्माण | 1.84 | 0.28 | 2.12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | द्वारका | प्लॉट–1, सेक्टर–17, द्वारका में समाज सदन का निर्माण | 2.81 | 0.42 | 3.23 |
| 4. | द्वारका | गांव ककरोला में समाज सदन का निर्माण | 2.07 | 0.31 | 2.38 |
| 5. | दक्षिण | खंड गांव के समीप समाज सदन का निर्माण | 2.15 | 0.32 | 2.47 |
| | | कुल | 9.53 | 1.43 | 10.96 |

चूंकि समाज सदन/केन्द्रों का निर्माण पुनः बिक्री के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, इसे एक स्थिर परिसंपत्ति के अंतर्गत एक अलग सूची में चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। जिसके परिणामस्वरूप 10.96 करोड़ रूपये के निर्माणाधीन व्यावसायिक स्टॉक अधिकता और उनकी ही राशि के चल रहे पूंजीगत कार्य की कमी हुई।

**4.3 तैयार स्टॉक**

**क. अविकसित भूमि, निर्माणाधीन भूमि और विकसित भूमि** **128.38 करोड़ रू.**

लेखांकन नीति सं. 6(ग) के अनुसार, दि.वि.प्रा. विक्रय दरों पर बिक्री के लिए भूमि के स्टॉक का मूल्य निर्धारण अनुमानित निर्माण लागत से घटाकर औसत/निलामी के आधार पर कर रहा है। विक्रय दर पर विकसित भूमि का मूल्य निर्धारित करना ए एस–2 के के लिए विरूद्ध है जिसमें कहा गया है कि संपत्ति सूची का मूल्य निर्धारित लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाना चाहिए।

इस संबंध में यह पाया गया कि दि.वि.प्रा. ने 690.881 एकड़ भूमि का मूल्य 128.38 करोड़ रू. निर्धारित किया है जो पुनर्वास मंत्रालय (एम.ओ.आर.)[2] से केवल 20.32 करोड़ रू. में खरीदी गई थी। इस प्रकार, ए एस–2 के विपरीत लेखांकन नीति के कारण, दि.वि.प्रा. ने वित्त वर्ष 2001–02 में भूमि की वास्तव में बिक्री के बिना 108.06 करोड़ रू. (128.38 करोड़ रू.–20.32 करोड़ रू.) का लाभ अंकित किया है। इसके परिणामस्वरूप भूमि के स्टॉक के साथ–साथ और 'आरक्षी एवं अधिशेष' में 108.06 करोड़ रू. की अधिकता हुई।

**ख. निर्मित आवास :**

**3205.21 करोड़ रू.**

[2] गृह मंत्रालय के अधीन पुनर्वास विभाग के रूप में पुनः नामित

i) दि.वि.प्रा. के वर्ष 2014–15 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या क. 4.2 (क) का अवलोकन करें जिसके अनुसार लेखांकन नीति संख्या 6(ग) के पालन के कारण निर्मित आवासों का तैयार स्टॉक बढ़ाकर बताया गया। इस नीति के अनुसार, दि.वि.प्रा. मानक लागत अर्थात् अनुमानित समापन लागत में से भूमि का प्रशुल्क घटाकर इकाइयों को जिस दर पर बेचे जाने की उम्मीद थी। उस पर निर्मित आवासों की तैयार इकाइयों की संपत्ति सूची का मूल्य निर्धारण कर रहा है। मानक लागत (निवल वसूली योग्य मूल्य) पर निर्मित आवासों की ईकाइयों का मूल्य निर्धारित करना ए एस–2 के अनुसार असंगत है जिसमें कहा गया है कि संपत्ति सूची का मूल्य निर्धारण लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ए एस–2 के अनुसार यदि यह मूल्य लगभग वास्तविक लागत के बराकर है। तो मानक लागत का भी उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में, यह पाया गया कि दि.वि. प्रा. के वर्ष 2015–16 के मामले में वास्तविक लागत, मानक लागत से लगभग 48 प्रतिशत अधिक है, जिसे लगभग राशि के निकट के अर्थ में नहीं लिया जा सकता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है –

**(राशि करोड़ रू. में)**

| क्र. सं. | विवरण | भूमि की लागत (1) | निर्माण लागत (2) | विविध कार्यों के लिए प्रावधान (3) | कुल लागत (1)+(2)–(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2015–16 में विवरण जोड़े गए तैयार स्टॉक के मूल्य निर्धारण के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा मानी गई मानक लागत | 94.08 | 374.76 | 19.02 | 449.82 |
| 02. | 2015–16 में जोड़े गए तैयार स्टॉक के निर्माण हेतु, दि.वि.प्रा. द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत | 94.08 | 208.64 | 0 | 302.72 |
| **तैयार स्टॉक में जोड़ी गई नई इकाइयों का अधिक मूल्यांकन (1–2)** | | | | | **147.10** |

उपर्युक्त से, यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015–16 में तैयार स्टॉक का मूल्य निर्धारण भी 147.10 करोड़ रू. अधिक था जो ए एस–2 के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, ए एस–2 की असंगत लेखांकन नीति के कारण, दि.वि.प्रा. ने फ्लैटों की वास्तव में बिक्री के बिना 147.10 करोड़ रू. का लाभ अंकित किया है। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में निर्मित आवासों के तैयार स्टॉक अधिक हुआ और 147.10 करोड़ रू. राशि की घाटे की कमी हुई है।

ii) अशोक नगर, फैज रोड़, नई दिल्ली में 112 निम्न आय वर्ग आवासों और 16 दुकानों के निर्माण की योजना के संबंध में निर्मित आवासों और दुकानों के तैयार स्टॉक में 8.87 करोड़ रू. शामिल नहीं थे क्योंकि इनका निर्माण वित्त वर्ष 2014–15 में पहले ही किया जा चुका था। इसके परिणामस्वरूप आवासों और दुकानों के तैयार स्टॉक भी 8.87 करोड़ रू. की कमी हुई और चल रहे कार्य (निर्माणाधीन आवास) में की उतनी ही राशि अधिक हुई है।

**ग)** दि.वि.प्रा. के वर्ष 2014–15 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी सं. क. 4.2(ख) का अवलोकन करें, जिसमें यह उल्लिखित था कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आवासों के निर्माण पर किए गए व्यय को डब्ल्यू आई पी तथा पृथक रूप से अनुसूची 'च' में आर्थिक रूप पिछड़े वर्ग आवासों का तैयार स्टॉक के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है। वर्ष 2015–16 में भी दि.वि.प्रा. ने इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग निधि में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आवासों के निर्माण पर 171.64 करोड़ रू. का व्यय किया है। तथापि, ई.डब्ल्यू.एस निधियों (डब्ल्यू.आई. पी. और ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का समाप्त स्टॉक) का उपयोग करके बनायी गई परिसंपत्तियों को दि.वि.प्रा. के तुलन पत्र की अनुसूची च (एफ) में पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया जबकि ई. डब्ल्यू.एस. निधि के लिए किया गया निवेश जो एक अन्य चालू परिसंपत्ति है, को पृथक रूप से दर्शाया जाता है।

ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि के संबंध में समाप्त स्टॉक के साथ–साथ प्रगतिधीन कार्य, निर्मित आवासों के कुल प्रगतिधीन कार्य और समाप्त स्टॉक की एक मुख्य भाग है तथापि, दि.वि.प्रा. के तुलन पत्र का अनुसूची–च (एफ) ई.डब्ल्यू.एस. निधि के उपयोग द्वारा बनायी गई परिसंपत्ति के मूल्य को पृथक रूप से नहीं दर्शाता।

**4.4 विविध देनदार**

**308.58 करोड़ रू.**

दि.वि.प्रा. ने 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार सामान्य विकास खाते के तुलन पत्र में विविध देनदार के रूप में 308.58 करोड़ रू. की राशि दर्शायी है। प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों की समीक्षा से पता चलता है कि यहां न तो देनदारों से शेष की पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली है और न ही अशोध्य और संदिग्ध देनदार के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान किए

गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण देनदारों का पार्टी–वार और आयु–वार ब्रेकअप का रखरखाव नहीं करती रही है, इसलिए लेखा परीक्षा, दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त तुलन पत्र में विविध देनदारों के संबंध में दर्शाए गए शेष की सत्यता के संबंध में आश्वासन देने में असमर्थ है।

अनुदारवारी समझौते के अनुसार, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए। दि.वि.प्रा. ने बताया कि देनदारों का समाधान किया जा रहा था। तथापि, समाधान की स्थिति के समर्थन में लेखा परीक्षा को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

**4.5 ठेकेदारों के अग्रिम** **512.99 करोड़ रू.**

**क)** इसमें मोबिलाइजेशन अग्रिमों के रूप में ठेकेदारों को दिए गए 163.80 करोड़ रू. की राशि शामिल नहीं है किन्तु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित आवासीय स्कीम के संबंध में व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

**(राशि करोड़ रू.में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम | ठेकेदार का नाम | अग्रिम की तिथि | अग्रिम की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जेलर वाला बाग अशोक विहार, नई दिल्ली में 1675 आवासीय इकाइयों का निर्माण | मैसर्स बृज गोपाल कन्स्ट्रक्शन कं. | 18/09/2014 | 8.79 |
| 2. | –वही– | –वही– | 23/02/2016 | 8.79 |
| 3. | सेक्टर–19 द्वारका फेज–2 में 1240 एचआईजी (एमएस) आवासों का निर्माण | मैसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर | 10/02/2015 | 30.90 |
| 4. | –वही– | –वही– | 16/10/2015 | 15.00 |
| 5. | मंगलापुरी में 273 एम.एस. एक कक्ष वाले टेनेमेंट के एकीकृत परिसर का निर्माण | मैसर्स बहल बिल्डर | नवम्बर 2015 | 1.70 |
| 6. | पॉकेट–3 सेक्टर–19 बी, द्वारका के निकट 352 एम.एस., 2–बी.एच. के. अपार्टमेंट का निर्माण | मैसर्स वरेन्द्रा कन्स्ट्रक्शन | – | 12.75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | पॉकेट–5 सेक्टर–14 द्वारका फेज–II में 1568 आवासीय इकाइयों/600 श्रेणी–2 एवं 968 ई.डब्ल्यू.एस. कम्पोजिट आवासों का निर्माण | मै0 बी.जी. शिरके कन्स्ट्रक्शन टैक्नोलॉजी प्रा. | 19/02/2016 | 22.42 |
| 8. | पॉकेट–3 सेक्टर ए–1 से ए–4 नरेला में निर्धारित 625 2–बीएचके, 350 3–बीएचके और 376 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण | –वही– | 21/09/2015 | 35.43 |
| 9. | पॉकेट –6, सेक्टर ए–1 से ए–4, नरेला में 420 2–बीएचके आवासों का निर्माण | –वही– | 03/09/2015 | 11.61 |
| 10. | –वही– | –वही– | 06/02/2016 | 2.32 |
| 11. | पॉकेट–3, सेक्टर ए–1 से ए–4 नरेला में निर्धारित 225 3–बीएचके, 250 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण | –वही– | 02/09/2015 | 7.83 |
| 12. | –वही– | –वही– | 06/02/2016 | 6.26 |
| **व्यय के रूप में दर्शाया गया कुल अग्रिम** | | | | **163.80** |

**ख)** इसमें मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ठेकेदारों को दिए गए 53.22 करोड़ रू. की राशि शामिल है जिसे नीचे दिए गए दिवस के अनुसार दो बार दर्शाया गया है :–

| **दो बार दर्शाया गया 53.22 करोड़ रू. का अग्रिम अर्थात् उत्तर के साथ–साथ रोहिणी जोन** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सेक्टर ए–1 से ए–4 नरेला में 325 2–बीएचके, 170 3–बीएचके और 194 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण | मैसर्स बी.जी. शिरके कन्स्ट्रक्शन टैक. | 28/08/2015 | 20.95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | सेक्टर ए–1 से ए–4 नरेला में 520 2–बीएचके, 250 3–बीएचके और 294 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण | –वही– | 28/08/2015 | 32.27 |
| दो बार दर्शाया गया कुल अग्रिम | | | | 53.22 |

उक्त 'क' एवं 'ख' के परिणाम के रूप में, 110.58 करोड़ रू. (163.80 करोड़ रू.–53.22 करोड़ रू.) तक का अग्रिम कम बताया गया और चालू वर्ष और विगत वर्ष के लिए क्रमशः 70.89 करोड़ रू. (110.58 करोड़ रू. – 39.69 करोड़ रू.) और 39.69 करोड़ रू. तक का व्यय अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के लिए 70.89 करोड़ रू. तक घाटा अधिक बताया गया और रिजर्व और सरप्लस 110.58 करोड़ रू. (70.89 करोड़ रू. + 39.69 करोड़ रू.) तक कम बताया गया।

**4.6 ठेकेदार को दिए गए अग्रिम पर उपर्जित ब्याज– 50.56 करोड़ रू.**

**क)** इसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न ठेकेदारों को दिए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर उपार्जित 8.74 करोड़ रू. का ब्याज शामिल नहीं है।

**(राशि करोड़ रु. में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम | ठेकेदार का नाम | अग्रिम की तिथि | अग्रिम की राशि | 31/03/2016 तक उपार्जित ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जेलर वाला बाग अशोक विहार में 1675 आवासीय इकाइयों का निर्माण | मैसर्स बृज गोपाल | 18/09/2014 | 8.79 | 1.35 |
| 2. | –वही– | –वही– | 23/02/2016 | 8.79 | 0.09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | सेक्टर–19 द्वारका, फेज–II में 1240 एचआईजी (एमएस) आवासों का निर्माण | मैसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रेक्चर | 10/02/2015 | 30.90 | 3.51 |
| 4. | –वही– | –वही– | 16/10/2015 | 15.00 | 0.69 |
| 5. | सेक्टर ए–1 से ए–4, नरेला के पॉकेट–3 में 625, 2–बीएचके, 350, 3–बीएचके एवं 376 , ईडब्ल्यूएस आवास का निर्माण | –वही– | 21/09/2015 | 35.43 | 1.86 |
| 6. | सेक्टर ए–1 से ए–4, नरेला के पॉकेट–6 में 420, 2–बीएचके आवास का निर्माण | मैसर्स बी.जी. शिरके कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी | 03/09/2015 | 11.62 | 0.67 |
| 7. | –वही– | –वही– | 06/02/2016 | 2.32 | 0.03 |
| 9. | सेक्टर ए–1 से ए–4, नरेला के पॉकेट–3 में 225 3–बीएचके और 250 ईडब्ल्यूएस | –वही– | 03/09/2015 | 7.83 | 0.45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | आवास का निर्माण | | | | |
| 10. | –वही– | –वही– | 06/02/2016 | 6.26 | 0.09 |
| **दि.वि.प्रा. द्वारा अनिर्धारित कुल ब्याज राशि** | | | | **126.94** | **8.74** |

**(ख)** इसमें 4.79 करोड़ रू. की ब्याज राशि भी शामिल है, जिसे गलती से दो बार रोहिणी में और साथ ही दि.वि.प्रा. के उत्तरी जोन में अंकित किया गया था।

उपरोक्त 'क' एवं 'ख' के परिणामस्वरूप, वर्तमान वर्ष के लिए 3.95 करोड़ (8.74 करोड़ रू.– 4.79 करोड़ रू.) के लिए आय को कम बताया गया और घाटे को अधिक बताया गया है।

**ख. आय एवं व्यय खाता**

**1. व्यय :** **2591.10 करोड़ रू.**

**1.1 विकास एवं निर्माण व्यय** **1604.55 करोड़ रू.**

**(क) विर्निदिष्ट आवास योजनाएं–ई.डब्ल्यू.एस. आवास** **171.64 करोड़ रू.**

वर्ष 2014–15 के लिए दि.वि.प्रा. के लेखा की पृथक लेखा रिपोर्ट की सी एण्ड ए जी टिप्पणी बी–1 के लिए संदर्भ आमंत्रित है, जिसमें यह उल्लेख है कि दि.वि.प्रा. ई.डब्ल्यू.एस. आवास के निर्माण के लिए निर्धारित आरक्षित निधि अर्थात् "ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि" की व्यवस्था कर रहा है। अतः ई.डब्ल्यू.एस. आवास के निर्माण के संबंध में वहन किया गया व्यय और अर्जित आय राशि को आरक्षित निधि में समायोजित किया जाना चाहिए और इसे आय एवं व्यय खाता के माध्यम से नहीं लिया जाना चाहिए। यद्यपि, वर्तमान वर्ष के दौरान, ई.डब्ल्यू. एस. आवासों के निर्माण के लिए व्यय की गई 171.64 करोड़ रूपये की राशि को आय एवं व्यय खाते से निकाला गया। इसके अतिरिक्त, 171.64 करोड़ रू. की राशि को ई.डब्ल्यू.एस. आवास के डब्ल्यू.आई.पी. में वृद्धि के माध्यम से आय के रूप में आय एवं व्यय खाते में जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 171.64 करोड़ रू. के व्यय को अधिक बताया गया और साथ ही 171.64 करोड़ रू. की आय को अधिक बताया गया।

**(ख) अन्य आवासीय योजनाओं पर व्यय** **1428.95 करोड़ रू.**

इसमें वसंत कुंज, डी–6 के 2500/2252 एस.एफ.एस. आवासों के निर्माण की योजना के संबंध में व्यय के लिए 24.97 करोड़ रू. की राशि शामिल है। इस योजना को वर्ष 2012–13 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा पूर्ण माना गया और दि.वि.प्रा. की लेखांकन नीति संख्या 6(ग) के अनुसार निर्मित आवासों के स्टॉक की आय को भी कार्य पूरा होने की अनुमानित शेष लागत के लिए बिना प्रावधान बनाए उसी वर्ष में लेखांकित किया गया। यद्यपि पूर्व अवधि मदों से संबंधित ए एस–5 के अनुसार एक चूक थी, तथापि, इसे पूर्व अवधि के माध्यम से शामिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान वर्ष के लिए 24.97 करोड़ रू. की सीमा तक व्यय की अधिकता तथा इसी सीमा तक पूर्व अवधि व्यय की कमी को दर्शाया गया। तद्नुसार, वर्तमान वर्ष की कटौती को 24.97 करोड़ रू. तक बढ़ा के दर्शाया गया था।

**1.2 संस्थापना एवं प्रशासन व्यय (अनुसूची–ट) : 777.20 करोड़ रू.**

(i) संस्थापना एवं प्रशासन व्यय में पेंशन निधि के कर्मचारी अंशदान के प्रावधान के लिए 813.66 करोड़ रूपये की राशि शामिल है, जबकि वर्ष 2015–16 के लिए, केवल 676.64 करोड़ रू. की राशि के बीमांकक अनुशंसित प्रावधान को शामिल किया गया। अतः वर्ष 2015–16 के दौरान, पेंशन अंशदान के लिए 137.02 करोड़ रू. (813.66 करोड़ रू.–676.64 करोड़ रू.) का अतिरिक्त प्रावधान दि.वि.प्रा. द्वारा किया गया।

(ii) संस्थापना एवं प्रशासन व्यय में उपदान निधि के कर्मचारी अंशदान के प्रावधान के लिए (–) 129.12 करोड़ रूपये की राशि शामिल है, जबकि वर्ष 2015–16 के लिए, केवल (–) 24.32 करोड़ रू. की राशि के बीमांकक अनुशंसित प्रावधान को शामिल किया गया। अतः वर्ष 2015–16 के दौरान, उपदान अंशदान के लिए 104.80 करोड़ रू. (129.12 करोड़ रू. –24.32 करोड़ रू.) राशि का एक्सैस राइट बैक दि.वि.प्रा. द्वारा किया गया।

इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 32.22 करोड़ रू. (137.02 करोड़ रू. –104.80 करोड़ रू.) की राशि को संस्थापना और प्रशासन व्यय के साथ–साथ कटौती के रूप में अधिक दर्शाया गया। लेखा की टिप्पणियों (टिप्पणी सं. 3) में दिए गए विवरण में यह अन्तर्विरोधी था कि पेंशन और उपदान निधि के लिए अंशदान को 31 मार्च, 2016 की बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अभिलेखित किया गया।

**1.3 मूल्यह्रास (अनुसूची 'घ') 12.88 करोड़ रू.**

''सामुदायिक हाल' पर 1.91 करोड़ रू. के उपरोक्त शामिल मूल्यह्रास की गणना प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से की गई, जबकि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर पर आयकर अधिनियम के

अनुसार मूल्यह्रास को वसूला गया जो 3.81 करोड़ रू. था। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए इस सीमा तक 1.90 करोड़ रू. के मूल्यह्रास के साथ–साथ घाटे को कम दर्शाया गया।

**ग. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा**

**1. भुगतान**

**1.1 प्रशासन एवं संस्थापना व्यय** **1415.85 करोड़ रू.**

वर्ष 2015–16 के दौरान, दि.वि.प्रा. ने प्रशासन एवं संस्थापना व्यय के लिए 1415.85 करोड़ रू. के सकल नकद भुगतान को दर्शाया, जबकि प्रशासन एवं संस्थापना व्यय के लिए किया गया। वास्तविक सकल नकद भुगतान केवल 575.80 करोड़ रूपये था। इस संबंध में, यह देखा गया कि पेंशन, उपदान, छुट्टी नगदीकरण के लिए 840.05 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया तथा वर्ष के दौरान पी.आर.एम.एस. को नगद भुगतान के रूप में दर्शाया गया, यद्यपि दि.वि.प्रा. द्वारा कोई नगद भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, प्रशासन एवं संस्थापना व्यय के लिए 840.05 करोड़ रूपये के नगद भुगतान को अधिक दर्शाया गया।

**1.2 अचल संपत्तियाँ** **–4.97 करोड़ रुपये**

वर्ष 2015–16 के दौरान भुगतान की ओर –4.97 करोड़ रुपये को अचल संपत्ति की खरीद हेतु भुगतान के रूप में दर्शाया गया है । यह राशि अचल संपत्तियों की खरीद हेतु भुगतान किए गए 3.53 करोड़ रुपये की राशि से टी. एण्ड पी.[3] प्रभारों की वसूली हेतु प्राप्त 8.50 करोड़ रु. से कटौती कर निर्धारित की गई है । इसके परिणामस्वरूप 8.50 करोड़ रुपये (–4. 97 करोड़ रु. – 3.53 करोड़ रु.) से अचल संपत्ति की खरीद हेतु भुगतान को कम दर्शाया गया और इसी राशि से टी. एण्ड पी. प्रभारों की प्राप्ति की गई ।

**घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची–एन)**

**1. निर्धारित निधियां (शहरी विकास निधि)**

वर्ष 2014–15 हेतु दि.वि.प्रा. पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सी. एण्ड जी. टिप्पणी सं. सी–2 पर संदर्भ आमंत्रित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि लेखांकन नीति सं. 15(क) के अनुसार यू.डी.एफ. से दिए गए ऋणों पर ब्याज मान्य है और इसे वास्तविक प्राप्ति आधार पर निधि खातों में जमा किया जाता है । चूंकि, दि.वि.प्रा. के लेखों का उपार्जित आधार पर तैयार किया जाता है, और अन्य निधियों के मामले में ब्याज को भी उपार्जित आधार पर तैयार किया जाता है तो, इसलिए यू.डी.एफ. में ब्याज, जिसे प्राप्त किया जाना निश्चित है, क्योंकि ऋण

[3] विभिन्न ठेकेदारों को दिए गए संयंत्र एवं मशीनरी के लिए उपकरण एवं संयंत्र प्रकार

केवल सरकारी एजेंसियों को ही दिया जाता है, को भी एकरूपता बनाए रखने के लिए उपार्जित आधार पर तैयार किया जाना चाहिए । तथापि, दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2015–16 के दौरान भी इस नीति को अपनाया ।

**2. राजस्व (लेखांकन नीति–7)**

वर्ष 2014–15 हेतु दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण पर भी सी. एण्ड जी. को टिप्पणी सं. सी–3 पर संदर्भ आमंत्रित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि लेखांकन नीति 7(ग) के अनुसार, किराया आय को उपार्जित आधार पर स्वीकृत किया जाता है और लेखांकन नीति 7(घ) के अनुसार भू–भाटक आय और सेवा प्रभारों को नकद आधार पर आय के रूप में परिकलित किया जाता है । चूंकि अंतिम लेखों को उपार्जित आधार पर तैयार किया जाता है इसलिए भू–भाटक और सेवा प्रभारों को भी उपार्जित पर तैयार किया जाए और जिस आय के भाग की वसूली में संदेह है उसके लिए प्रावधान बनाया जाए । आय के लेखाकरण के लिए उपार्जित आधार के साथ–साथ नकद आधार पर स्वीकार करना सामान्यतः स्वीकार को जाने वाले लेखाकरण सिद्धांतों और कार्यों से असंगत है, इसके अतिरिक्त नजूल–I के मामले में, दि.वि.प्रा. भू भाटक का लेखाकरण उपार्जित आधार पर करता रहा है । इसलिए जी.डी.ए. के मामले में भी भू भाटक का परिकलन उपार्जित आधार पर करना चाहिए । इस संबंध मं नीति में उचित संशोधन करने की जरूरत है । तथापि, दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2015–16 के दौरान भी इस नीति में बदलाव नहीं किया ।

**ड. लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची–ण)**

**ऋण टिप्पणी सं. 2(क) के रूप में अस्वीकृत आकस्मिक देयता : 2325.65 करोड़ रु.**

मैसर्स एमार एम.जी. एफ. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दि.वि.प्रा. के विरूद्ध फाइल किए गए एक केस के मामले में उपरोक्त में केवल 1808.98 करोड़ रुपये को शामिल किया गया है जिसमें दि.वि.प्रा. द्वारा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किए गए दावा विवरण के अनुसार कुल राशि 2321.54 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। इस प्रकार से आकस्मिक देयता 512.56 करोड़ रुपये (2321.54 करोड़ रुपये – 1808.98 करोड़ रुपये) कम बताई गई ।

**च. नजूल–II खाता**

**आय एवं व्यय खाते और तुलन पत्र का तैयार न होना**

नजूल–II का संबंध भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास तथा निपटान की गतिविधियों से है । नजूल–II खाते के संबंध में, दि.वि.प्रा. ने केवल प्राप्ति एवं भुगतान खाते तैयार किए

थे, परिणामस्वरूप नजूल–II खाते की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं गया । लेखा परीक्षा ने यह नोट किया कि निम्नलिखित कुछ परिसंपत्तियों और देयताओं के नजूल–II के तुलन पत्र न तैयार करने के कारण अब तक नहीं दर्शाया गया है – इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

1. 11,594.40 करोड़ रु. का निवेश ;
2. 460.70 करोड़ रु. का उपार्जित ब्याज ;
3. एफ.सी.आई. नरेला में फ्लाई ओवर सह–आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु नवंबर 2015 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के साथ यूको बैंक में प्रतिभूति के रूप में 1.61 करोड़ रु. फिक्स डिपॉजिट किया गया ।
4. कोर्ट आदेशों हेतु वर्ष 2010–11 से 2015–16 के दौरान 40.50 करोड़ रु. तक दोगुना भुगतान, जिसमें से केवल 3.52 करोड़ रु. की राशि वसूल हुई और 36.98 करोड़ रु. की शेष राशि अभी दिल्ली सरकार से वसूली जानी थी।
5. 366 अवार्डस. के समाधान के आधार पर दि.वि.प्रा. ने पाया कि विभिन्न एल.ए.सी. के पास 640.00 करोड़ रु. अवितरित रूप में पड़ा था, जिसे नजूल–II खाते के तैयार न होन की स्थिति में वार्षिक खाते में दर्शाया नहीं गया था ।

वित्तीय विवरणों के बेहतर प्रस्तुतीकरण और ये सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरणों में सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उचित ढंग से दर्शाया गया है, इस संबंध में लेखा परीक्षा का दृढ़ विचार है कि नजूल–II के लिए तुलन पत्र तथा आय व्यय खाते को दि.वि.प्रा. द्वारा बनाया जाना चाहिए । इस समय दि.वि.प्रा. नजूल–II के संबंध में निवेशों को तुलन पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक में निवेशों का प्रस्तुतीकरण पर्याप्त उद्देश्य को पूरा नहीं करता है । (इसके बाद दि.वि.प्रा. को अपनी सभी परिसंपत्तियों, देयताओं, उपार्जित आय सहित बकाया व्ययों के उचित लेखाकरण के नजूल–II का तुलन पत्र तैयार करना चाहिए ताकि लेखों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को लेखों की सही स्थिति स्पष्ट हो सके।

**छ. पेंशन फंड ट्रस्ट लेखा**

**तुलन पत्र (परिसंपत्तियाँ)**

**पी.आर.एम.एस. फंड से प्राप्य** **60.91 करोड़ रु.**

वर्ष 2014–15 के दौरान पी.आर.एम.एस. निधि से प्राप्त 60.91 करोड़ रु. को समायोजत किए बिना ही इसे प्राप्त किया गया है । उपर्युक्त राशि को समायोजित करने के बाद, पी.आर.एम.एस. से प्राप्य राशि को शुन्य रुपये निर्धारित किया जाएगा । इसके परिणामस्वरूप

पी.आर.एम.एस. से प्राप्य 60.91 करोड़ रु. की राशि को बढ़ा कर और जी.डी.ए. से प्राप्य राशि को इतना ही कम करके दर्शाया गया ।

**ज) प्रबंधन पत्र**

जो कमियां पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उन्हें निवारक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र द्वारा उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की जानकारी में लाया गया है ।

(iv) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के आधार पर हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खाता बहीखाते के अनुरूप है।

(v) हमारी राय और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों एवं लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण जो उक्त महत्वपूर्ण मामलों पर एवं इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन हैं, भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण, प्रस्तुत करते हैं :–

(क) जहाँ तक इसका संबंध है यह दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यों के 31 मार्च, 2016 के तुलन पत्र से संबंधित हैं; और
(ख) जहाँ तक इसका संबंध है यह उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के घाटे के आय एवं व्यय खाते से संबंधित है ।

ह0/
**(मनीष कुमार)**
**महा निदेशक, लेखा परीक्षा**
**आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय**

**दिनांक : 25.11.2016**
**स्थान : नई दिल्ली**

अनुलग्नक

## वर्ष 2015–16 के लिए दि.वि.प्रा. के लेखों पर सी.ए.जी. की पृथक लेखा रिपोर्ट

वर्ष 2015–16 के लिए दि.वि.प्रा. के खातों के प्रमाणीकरण के दौरान निम्नलिखित कमियां भी पाई गई :–

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता :**
   दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) की आंतरिक लेखा परीक्षा, निदेशक (आंतरिक लेखा परीक्षा) की अध्यक्षता में इसके अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा की गई थी। रिकॉर्ड में पाया गया कि दि.वि.प्रा. में वार्षिक 140 लेखा परीक्षा इकाइयां, 53 द्विवार्षिक लेखा परीक्षा इकाइयां और 21 त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा इकाइयां हैं। इनमें से आंतरिक लेखा परीक्षा केवल 88 वार्षिक लेखा परीक्षा इकाइयों, 20 द्विवार्षिक लेखा परीक्षा इकाइयों और 4 त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा इकाइयों को कवर कर सका। अतः यह देखा जा सकता है कि इकाइयों की सभी श्रेणियों में ये बकाया थी, जिससे पता चलता है कि आंतरिक लेखा परीक्षा की कार्य प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि बहुत सारे पुराने बकाया आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा लंबित थे। वित्त वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के अंत में बकाया पैरा की संख्या क्रमशः 14317, 16105 और 16915 थी। गत तीन वर्षों के दौरान, दि.वि.प्रा. द्वारा केवल 888 पैरा ही निपटाए गए। यह दर्शाता है कि बकाया पैरा को निपटाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता हैं।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता :**

   i. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है और दि.वि.प्रा. के आकार और क्रियाकलापों की प्रकृति के अनुरूप नहीं है जो लेखांकन प्रणाली में ध्यान दी गई विभिन्न कमियों जैसे कर्जदारों के असंराधन, बैंक द्वारा दिए गए अतिरिक्त जमा/ऋण के गैर समायोजन, नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्ति के साथ–साथ भुगतान की अधिकता, पुराने चैकों को निरस्त न करना आदि से स्पष्ट है।।

   ii. दि.वि.प्रा. अपने 17 केन्द्रीकृत लेखांकन इकाइयों (सी.ए.यू.) से प्राप्त सूचना के आधार पर वार्षिक लेखा संकलित करता है। इनमें से प्रत्येक सी.ए.यू. अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कई डिवीजनों (प्राथमिक इकाइयां जो विभिन्न निर्माण कार्य निष्पादित करती हैं) के लेखे तैयार करती हैं। दि.वि.प्रा. सी ए यू स्तर पर मासिक लेखा को तैयार करने के लिए मुख्यतः के.लो.नि.वि. के पैटर्न का

अनुसरण करता है जो पूर्णतः नकद पर आधारित होते हैं इस प्रकार प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार किया जाता है। लेखा परीक्षा ने पाया कि सी.ए.यू. द्वारा प्रस्तुत मासिक लेखा वर्गीकृत और समेकित सार में दिए गए हों । ये विवरण मासिक आधार पर मुख्यालय स्तर पर तैयार किए जाते हैं और वर्ष के अन्त में, अन्तिम लेखों की समायोजन प्रविष्टियों को नकद आधारित लेखों को उपार्जित आधारित लेखों में बदलने के लिए (लेखा मुख्य विभाग और परामर्शदाता स्टाफ) डालकर तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार, दि.वि.प्रा. जब भी लेनदेन होता है तभी उपार्जित आधार पर अपने लेनदेन का रिकॉर्ड नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. अपने लेखों को अन्तिम रूप देने के लिए बाह्य एजेंसी पर निर्भर है। उपर्युक्त टिप्पणियां दि.वि.प्रा. आकार और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण एक ई.आर.पी. प्रणाली लागू करने पर विचार कर सकता है जो वित्तीय और लेखांकन प्रणाली को ठीक करने में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त, लेखांकन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और लेखा विभाग में कार्मिकों की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली और उपार्जित आधार पर लेखांकन में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

3. **स्थिर परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था** :

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के नियम 192(1) के अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों का वर्ष में एक बार सत्यापन किया जाना चाहिए और यदि कोई विसंगति हो दो उसे उचित पत्रिका में अंकित किया जाए। यदि कोई विसंगति हो तो तत्काल जांच की जाए और स्पष्टीकरण मांगा जाए। तथापि यह देखने में आया है कि दि.वि.प्रा. में स्थिर परिसंपत्तियों का मदवार भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है जिससे जी.एफ.आर. के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।

स्थिर परिसंपत्तियों का मदवार भौतिक सत्यापन न होने से सभी स्थिर परिसंपत्तियां अंकित नहीं हो पा रही है उदाहरणार्थ पॉकेट सी–1 लॉरेंस रोड़ स्थित 1.60 करोड़ रूपए मुख्य के स्टाफ क्वार्टरों को स्थिर परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है स्थिर परिसंपत्तियों का मदवार भौतिक सत्यापन नहीं करने से ये फ्लैट स्थिर परिसंपत्तियों में बेहिसाब रहे। इस प्रकार लेखाओं में स्थिर परिसंपत्तियों की सही स्थिति दर्शाने के लिए स्थिर परिसंपत्तियों का प्रतिवर्ष मदवार भौतिक सत्यापन कराया जाए।

स्थिर परिसंपत्तियों की मदवार भौतिक सत्यापन रिपोर्ट न होने से लेखा परीक्षा इसकी प्रमाणित और 31 मार्च, 2016 की समाप्ति तक तुलन पत्र में दशाई गई 218.83 करोड़ रु. मूल्य की स्थिर परिसंपत्तियों के होने को लेकर आश्वस्त नहीं है।

4. **संपत्ति सूची के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था :**

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार सभी वस्तुओं और सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किया जाए और यदि कोई विसंगति हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई हेतु उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। तथापि, यह देखने में आया है कि दि.वि.प्रा. में मदवार भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है जिससे जी.एफ.आर. के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।

वस्तुओं और सामग्रियों का मदवार भौतिक सत्यापन न होने दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण में संपत्ति सूची की मात्रा और मूल्य के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई है। उदाहरणार्थ 01/04/2015 के खुले स्टॉक में 252 फ्लैट, 13 गैरेज और 140 दुकाने शामिल नहीं की गई है। इन फ्लैटों और गैरेजों का मूल्य 41.34 करोड़ रूपए था एवं दुकानों का मूल्य 34.01 करोड़ रूपए था इसके परिणामस्वरूप 31/03/2015 को समाप्त आवासों और दुकानों की संपत्ति सूची में कमी हुई है। संपत्ति सूची का मदवार भौतिक सत्यापन न करवाने से ये आवास और दुकानें बेहिसाब रही। इस प्रकार, लेखा में संपत्ति सूची की सही स्थिति दर्शाने के लिए संपत्ति सूचियों का मदवार भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष कराया जाए। संपत्ति सूची की मदवार भौतिक सत्यापन रिपोर्ट न होने से लेखा परीक्षा 31 मार्च 2016 को समाप्त तुलन पत्र में दर्शाए गए 7123.70 करोड़ रू. मूल्य की संपत्ति सूचियों के होने एवं सही होने को लेकर आश्वस्त नहीं है।

5. **सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता**

लेखा परीक्षा ने पाया कि दि.वि.प्रा. में आयकर, सेवाकर, श्रम उपकर और संपत्ति कर की बकायों में विवाद थे जो विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। दि.वि.प्रा. ने अपने वित्तीय विवरणों में इसकी जानकारी दी है। आयकर, सेवाकर और श्रम उपकर के भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड को जांच पर यह पाया गया कि दायित्व द्वारा पूरा किया। दि.वि.प्रा. नियमित रूप से अपने सांविधिक दायित्व पूरा कर रहा है।

**तिथि : 25/11/2016**
**स्थान : नई दिल्ली**

**(मनीष कुमार)**
**महानिदेशक, लेखा परीक्षा**
**आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय**

अनुलग्नक

## वर्ष 2015–16 के लिए दि.वि.प्रा. के लेखों पर सी.ए.जी. की पृथक लेखा रिपोर्ट

वर्ष 2015–16 के लिए दि.वि.प्रा. के खातों के प्रमाणीकरण के दौरान निम्नलिखित कमियां भी पाई गई :–

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता :**

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) की आंतरिक लेखा परीक्षा, निदेशक (आंतरिक लेखा परीक्षा) की अध्यक्षता में इसके अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा की गई थी। रिकॉर्ड में पाया गया कि दि.वि.प्रा. में वार्षिक 140 लेखा परीक्षा इकाइयां, 53 द्विवार्षिक लेखा परीक्षा इकाइयां और 21 त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा इकाइयां हैं। इनमें से आंतरिक लेखा परीक्षा केवल 88 वार्षिक लेखा परीक्षा इकाइयों, 20 द्विवार्षिक लेखा परीक्षा इकाइयों और 4 त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा इकाइयों को कवर कर सका। अतः यह देखा जा सकता है कि इकाइयों की सभी श्रेणियों में ये बकाया थी, जिससे पता चलता है कि आंतरिक लेखा परीक्षा की कार्य प्रणाली संगठन के आकार के अनुरूप नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि बहुत सारे पुराने बकाया आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा लंबित थे। वित्त वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के अंत में बकाया पैरा की संख्या क्रमशः 14317, 16105 और 16195 थी। गत तीन वर्षों के दौरान, दि.वि.प्रा. द्वारा केवल 888 पैरा ही निपटाए गए। यह दर्शाता है कि बकाया पैरा को निपटाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता :**

iii. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है और दि.वि.प्रा. के आकार और क्रियाकलापों की प्रकृति के अनुरूप नहीं है जो लेखांकन प्रणाली में ध्यान दी गई विभिन्न कमियों जैसे कर्जदारों के असंराधन, बैंक द्वारा दिए गए अतिरिक्त जमा/ऋण के गैर समायोजन, नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्ति के साथ–साथ भुगतान की अधिकता, पुराने चैकों को निरस्त न करना आदि से स्पष्ट है।।

iv. दि.वि.प्रा. अपने 17 केन्द्रीकृत लेखांकन इकाइयों (सी.ए.यू.) से प्राप्त सूचना के आधार पर वार्षिक लेखा संकलित करता है। इनमें से प्रत्येक सी.ए.यू. अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कई डिवीजनों (प्राथमिक इकाइयां जो विभिन्न निर्माण कार्य निष्पादित करती हैं) के लेखे तैयार करती हैं। दि.वि.प्रा. सी ए यू स्तर पर मासिक लेखा को तैयार करने के लिए मुख्यतः के.लो.नि.वि. के पैटर्न का

अनुसरण करता है जो पूर्णतः नकद पर आधारित होते हैं इस प्रकार प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार किया जाता है। लेखा परीक्षा ने पाया कि सी.ए.यू. द्वारा प्रस्तुत मासिक लेखा वर्गीकृत और समेकित सार में दिए गए हो। ये विवरण मासिक आधार पर मुख्यालय स्तर पर तैयार किए जाते हैं और वर्ष के अन्त में, अन्तिम लेखों की समायोजन प्रविष्टियों को नकद आधारित लेखों को उपार्जित आधारित लेखों में बदलने के लिए (लेखा मुख्य विभाग और परामर्शदाता स्टाफ) डालकर तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार, दि.वि.प्रा. जब भी लेनदेन होता है तभी उपार्जित आधार पर अपने लेनदेन का रिकॉर्ड नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. अपने लेखों को अन्तिम रूप देने के लिए बाह्य एजेंसी पर निर्भर है। उपर्युक्त टिप्पणियां दि.वि.प्रा. आकार और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण एक ई.आर.पी. प्रणाली लागू करने पर विचार कर सकता है जो वित्तीय और लेखांकन प्रणाली को ठीक करने में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त, लेखांकन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और लेखा विभाग में कार्मिकों की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली और उपार्जित आधार पर लेखांकन में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

**3. स्थिर परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था :**

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के नियम 192(1) के अनुसार स्थिर परिसंपत्तियों का वर्ष में एक बार सत्यापन किया जाना चाहिए और यदि कोई विसंगति हो दो उसे उचित पत्रिका में अंकित किया जाए। यदि कोई विसंगति हो तो तत्काल जांच की जाए और स्पष्टीकरण मांगा जाए। तथापि यह देखने में आया है कि दि.वि.प्रा. में स्थिर परिसंपत्तियों का मदवार भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है जिससे जी.एफ.आर. के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।

स्थिर परिसंपत्तियों का मदवार भौतिक सत्यापन न होने से सभी स्थिर परिसंपत्तियां अंकित नहीं हो पा रही है उदाहरणार्थ पॉकेट सी–1 लॉरेंस रोड़ स्थित 1.60 करोड़ रूपए मुख्य के स्टाफ क्वार्टरों को स्थिर परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है स्थिर परिसंपत्तियों का मदवार भौतिक सत्यापन नहीं करने से ये फ्लैट स्थिर परिसंपत्तियों में बेहिसाब रहे। इस प्रकार लेखाओं में स्थिर परिसंपत्तियों की सही स्थिति दर्शाने के लिए स्थिर परिसंपत्तियों का प्रतिवर्ष मदवार भौतिक सत्यापन कराया जाए।

स्थिर परिसंपत्तियों की मदवार भौतिक सत्यापन रिपोर्ट न होने से लेखा परीक्षा इसकी प्रमाणित और 31 मार्च, 2016 की समाप्ति तक तुलन पत्र में दर्शाई गई 218.83 मूल्य की स्थिर परिसंपत्तियों के होने को लेकर आश्वस्त नहीं है।

**4. संपत्ति सूची के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था :**

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के नियम 192(1) के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार सभी वस्तुओं और सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किया जाए और यदि कोई विसंगति हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई हेतु उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। तथापि, यह देखने में आया है कि दि.वि.प्रा. में मदवार भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है जिससे जी.एफ.आर. के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।

वस्तुओं और सामग्रियों का मदवार भौतिक सत्यापन न होने दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण में संपत्ति सूची की मात्रा और मूल्य के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई है। उदाहरणार्थ 01/04/2015 के खुले स्टॉक में 252 फ्लैट, 13 गैरेज और 14 दुकाने शामिल नहीं की गई है। इन फ्लैटों और गैरेजों का मूल्य 41.34 करोड़ रूपए था एवं दुकानों का मूल्य 34.01 करोड़ रूपए था इसके परिणामस्वरूप 31/03/2015 को समाप्त आवासों और दुकानों की संपत्ति सूची में कमी हुई है। संपत्ति सूची का मदवार भौतिक सत्यापन न करवाने से ये आवास और दुकानें बेहिसाब रही। इस प्रकार, लेखा में संपत्ति सूची की सही स्थिति दर्शाने के लिए संपत्ति सूचियों का मदवार भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष कराया जाए। संपत्ति सूची की मदवार भौतिक सत्यापन रिपोर्ट न होने से लेखा परीक्षा 31 मार्च 2016 को समाप्त तुलन पत्र में दर्शाए गए 7123.70 करोड़ रू. मूल्य की संपत्ति सूचियों के होने एवं सही होने को लेकर आश्वस्त नहीं है।

**5. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता**

लेखा परीक्षा ने पाया कि दि.वि.प्रा. में आयकर, सेवाकर, श्रम उपकर और संपत्ति कर की बकायों में विवाद थे जो विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। दि.वि.प्रा. ने अपने वित्तीय विवरणों में इसकी जानकारी दी है। आयकर, सेवाकर और श्रम उपकर के भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड को जांच पर यह पाया गया कि दायित्व द्वारा पूरा किया। दि.वि.प्रा. नियमित रूप से अपने सांविधिक दायित्व पूरा कर रहा है।

तिथि : 25/11/2016
स्थान : नई दिल्ली

(मनीष कुमार)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## अंतिम खाते

## 2015–16

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

# सामान्य विकास खाता
# वार्षिक लेखा
# 2015–16

# दिल्ली विकास प्राधिकरण
## सामान्य विकास खाता
## 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र

*(राशि करोड़ में)*

| विवरण | अनुसूची | 31.03.2016 को | 31.03.2015 को |
|---|---|---|---|
| **समग्र/पूंजीगत निधि और देयताएं** | | | |
| समग्र/पूंजीगत निधि | | | |
| आरक्षित एवं अधिशेष | ए | 11,912.67 | 11,525.07 |
| निर्धारित/स्थायी निधि | बी | 7,407.53 | 6,210.01 |
| वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | सी | 1,596.51 | 1,734.51 |
| **कुल** | | **20,916.71** | **19,469.59** |
| **परिसंपत्तियां** | | | |
| निर्धारित/स्थायी निधि | | | |
| स्थायी परिसंपत्तियां | बी | 0.00 | 6.56 |
| निर्धारित/अक्षय निधि का निवेश | डी | 208.81 | 218.80 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम | ई | 7,031.76 | 5,595.94 |
| | एफ | 13,676.14 | 13,648.29 |
| **कुल** | | **20,916.71** | **19,469.59** |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां | एन | | |
| लेखों पर टिप्पणियां | ओ | | |

हस्ताक्षर/–
वरिष्ठ लेखाधिकारी

हस्ताक्षर/–
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ताक्षर/–
मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक : 14.06.2016
स्थान : नई दिल्ली

# दिल्ली विकास प्राधिकरण
## सामान्य विकास खाता
### 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता

*(राशि करोड़ में)*

| विवरण | अनुसूची | 31.3.2016 को समाप्त वर्ष हेतु | | 31.3.2015 को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|---|---|
| **आय** | | | | | |
| बिक्री / सेवाओं से आय | जी | | 1163.77 | | 1017.71 |
| निवेश से आय | एच | | 330.90 | | 487.93 |
| अन्य आय | आई | | 195.00 | | 266.13 |
| स्टॉक एवं कार्य में वृद्धि / (कमी) | जे | | 866.99 | | 2030.80 |
| **कुल** | | | **2556.67** | | **3802.57** |
| **व्यय** | | | | | |
| विकास एवं निर्माण व्यय | | | | | |
| –भूमि एवं संबंधित कार्य | | 0.81 | | 3.95 | |
| –विनिर्दिष्ट आवास योजना–ई डब्ल्यू एस आवास | | 171.64 | | 748.55 | |
| –अन्य आवासीय योजनाएं | | 1428.95 | | 1238.02 | |
| –व्यावसायिक सम्पदा | | 3.15 | 1604.55 | 3.32 | 1993.84 |
| सम्पत्तियों का रखरखाव | | | 196.21 | | 164.39 |
| संस्थापना एवं प्रशासन | के | | 777.20 | | 268.26 |
| पंजीकरण राशि पर ब्याज | | | 0.26 | | 0.09 |
| मूल्यह्रास | डी | | 12.88 | | 10.78 |
| **कुल** | | | **2591.10** | | **2437.37** |
| पूर्ववर्ती अवधि मदों / असाधारण मदों से पहले व्यय पर आय की अधिकता | | | –34.43 | | 1365.20 |
| पूर्व अवधि मदें / असाधारण मदें | एल | | 321.52 | | 156.15 |
| वर्ष के लिए व्यय पर आय की अधिकता | | | **287.09** | | **1521.35** |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां | एन | | | | |
| लेखा पर टिप्पणियां | ओ | | | | |

**हस्ताक्षर / –**
**वरिष्ठ लेखाधिकारी**
**दिनांक : 14.06.2016**
**स्थान : नई दिल्ली**

**हस्ताक्षर / –**
**उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)**

**हस्ताक्षर / –**
**मुख्य लेखाधिकारी**

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

### सामान्य विकास खाता
### 31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2016 को | | 31.03.2015 को | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची ए** | | | | |
| **आरक्षी निधि एवं अधिशेष** | | | | |
| **राजस्व खाते में अधिशेष** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 10486.56 | | 8239.92 | |
| घटाएं : ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि को अंतरित राशि | 1000.00 | | — | |
| जोडे : ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि को अंतरित राशि | 125.78 | | 725.26 | |
| जोडें : वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता | 287.09 | 9899.43 | 1521.36 | 10486.54 |
| **विशिष्ट आरक्षी निधि** | | | | |
| **ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 130.56 | | 855.82 | |
| जोडें : राजस्व खाते में अधिशेष से अंतरित राशि | 1000.00 | | | |
| घटाएं : राजस्व खाते में अधिशेष से अंतरित ई.डब्ल्यू.एस. आवासो पर व्यय 171.64 | | | 725.26 | |
| ई.डब्ल्यू.एस. फंड निवेश के अर्जित ब्याज से आय 45.86 | 125.78 | | | |
| | 904.10 | | | |
| **आकस्मिक आरक्षी निधि** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | | | |
| जोड़े: आरक्षी निधि पर अर्जित ब्याज 80.69 | | 1004.78 | | 130.56 |
| जोडें : पूर्व अवधि 19.76 | 100.45 | | | |
| **आवास अग्नि जोखिम के लिए आरक्षित** | | 1004.55 | 839.45 | 904.09 |
| प्रारंभिक शेष | | | | |
| जोड़े: वर्ष के दौरान वसूल किया गया आवास ज़ोखिम प्राशुल्क | | | 64.64 | — |
| | 3.88 | | 3.87 | 3.89 |
| | 0.03 | 3.91 | 0.02 | |
| कुल | **11912.67** | | **11525.07** | |

# दिल्ली विकास प्राधिकरण
## सामान्य विकास खाता
## 31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2016 को | 31.03.2015 को |
|---|---|---|
| अनुसूची–बी | | |
| निर्धारित/स्थायी निधि | | |
| शहरी विकास निधि | | |
| प्रारंभिक शेष | | |
| जोड़े : निधियों में अतिरिक्त राशि | 3784.10 | 3297.82 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त परिवर्तन प्रभार | | |
| निवेश तथा बचत बैंक ब्याज पर अर्जित ब्याज | 241.86 | 222.08 |
| जोड़ें : पूर्व अवधि | 343.16 | 308.22 |
| फंड से ऋण की वसूली | 19.17 | – |
| ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट से प्राप्त राशि | 3.10 | – |
| अन्य ब्याज | – | 8.32 |
| | 0.50 | – |
| घटाएँ: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय | | |
| वर्ष के दौरान संवितरण (दिया गया अनुदान)। | – | – |
| परियोजनाओं पर किया गया व्यय | – | 4.74 |
| घटाएँ: अन्यों से प्राप्ति | 18.75 | 47.50 |
| सामान्य भविष्य निधि से प्राप्ति | – | |
| | – | 0.10 |
| अंत शेष (क्रेडिट) | | |
| सामान्य भविष्य निधि | 4373.14 | 3784.10 |
| प्रारंभिक शेष | | |
| | 1432.58 | 1309.21 |
| जोड़े: फंड में अतिरिक्त राशि | | |
| | – | – |
| वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (निवल) जिसमें अंशदान पर ब्याज शामिल है। | | |
| निवेश पर अर्जित ब्याज | 279.17 | 281.19 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि | 112.84 | 118.83 |
| | – | – |
| पेंशन फंड ट्रस्ट | | |
| शहरी विकास निधि | 52.42 | 67.57 |
| टेनगेडको (टी ए एन जी ई डी सी ओ) | – | 0.10 |
| घटाएं: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोगिता/व्यय | – | 0.01 |
| वर्ष के दौरान संवितरण | – | – |
| निवेश (छूट का निवल) की खरीद पर प्रीमियम | 345.81 | 320.52 |
| ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट से प्राप्त | 0.66 | 2.75 |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् निधि में किया गया भुगतान | −23.97 | 13.52 |
| विविध व्यय | 21.87 | – |
| घटाएं: अन्यों से प्राप्ति | 0.00 | 0.01 |
| पी एस आई डी सी से प्राप्य ब्याज | – | – |
| छुट्टी नकदीकरण फंड से प्राप्त | – | 0.17 |
| | −2.96 | 7.40 |
| अंत शेष (क्रेडिट) | | |
| व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी फंड | 1535.60 | 1432.54 |
| प्रारंभिक शेष | | |
| जोड़े: फंड में अतिरिक्त राशि | 0.52 | 0.42 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान | – | – |
| घटाएं: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोगिता/व्यय | 0.13 | 0.16 |
| वर्ष के दौरान संवितरण | – | – |
| | 0.09 | 0.06 |
| अंतः शेष (क्रेडिट) | | |
| हितकारी निधि (फंड) | 0.56 | 0.52 |
| प्रारंभिक शेष | | |
| जोड़े: फंड में अतिरिक्त राशि | −6.56 | −6.71 |
| कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान | – | |
| बी.जी.डी.ए. से प्राप्त अंशदान | 0.75 | 0.84 |
| घटाएं: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय | 7.26 | |
| | – | |

| | | |
|---|---|---|
| वर्ष के दौरान संवितरण | 1.45 | 1.68 |
| **अंतः शेष (डेबिट)** | –0.00 | –6.56 |
| **छुट्टी नकदीकरण निधि (फंड)** | | |
| **प्रारंभिक शेष** | 463.03 | 466.23 |
| **जोड़े: फंड में अतिरिक्त राशि** | – | – |
| निवेश पर अर्जित ब्याज | 20.09 | 15.66 |
| **अंशदान** / | – | – |
| –चालू वर्ष –40.20441067 | – | –9.59 |
| –पूर्व अवधि 6.442134118 | –33.76 | 30.83 |
| सामान्य भविष्य निधि के लिए प्राप्ति | –2.96 | 7.40 |
| पेंशन फंड से प्राप्त | 108.51 | – |
| **घटाएं: फंड के उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय** | – | – |
| वर्ष के दौरान संवितरण | 40.22 | 46.52 |
| निवेश की खरीद पर प्राशुल्क (छूट का निवल) | 0.27 | – |
| निवेश की खरीद पर व्यय | – | 0.01 |
| भुगतान किया गया अन्य ब्याज | 0.50 | – |
| उपदान ट्रस्ट निधि (फंड) लिए किया गया भुगतान | 3.88 | 0.95 |
| अंतः शेष (क्रेडिट) | 510.04 | 463.05 |
| **सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि (फंड)** | | |
| **प्रारंभिक शेष** | 280.00 | 250.00 |
| **जोड़े: निधि में अतिरिक्त राशि** | | |
| वर्ष के दौरान अंशदान | 195.72 | 4.15 |
| पूर्व अवधि के दौरान अंशदान | 30.00 | – |
| निवेश पर अर्जित ब्याज | 0 | 0 |
| चालू अवधि के लिए | 20.16 | 11.77 |
| पूर्व अवधि के लिए | 0.02 | – |
| पेंशन फंड ट्रस्ट से प्राप्त राशि | 30.91 | 30.00 |
| जी.पी.एफ. से प्राप्त राशि | 21.87 | – |
| **घटाएं: फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय** | | |
| वर्ष के दौरान संवितरण | 26.70 | 15.00 |
| निवेश की खरीद पर प्राशुल्क (छूट का निवल) | 1.30 | 0.92 |
| **अंत शेष(क्रेडिट)** | **550.69** | 280.01 |
| **कर्मचारी हित निधि** | | |
| **जोड़ें : फंड में अतिरिक्त राशि** | | |
| वर्ष के दौरान अंशदान | 1.50 | – |
| निवेश पर अर्जित ब्याज | 0.02 | – |
| **घटाएं : फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय** | | |
| वर्ष के दौरान संवितरण | 0.14 | – |
| विविध व्यय | 0.00 | – |
| **अंत शेष(क्रेडिट)** | **1.38** | – |
| **सिविल कार्य रख–रखाव फंड–आवास योजना–2010 से आगे** | | |
| आबंटितियों से प्राप्त अंशदान | 375.37 | 249.79 |
| निवेश पर ब्याज | 20.53 | – |
| | **395.90** | **249.79** |
| **विद्युत कार्य रख–रखाव फंड–आवास योजना–2014 से आगे**<br>आबंटितियों से प्राप्त अंशदान | 39.91 | – |
| **अंत शेष(क्रेडिट)** | **39.91** | |
| **यमुना प्रदूषण जुर्माना फंड** | | |
| **जोड़ें : फंड में अतिरिक्त राशि**<br>वर्ष के दौरान अंशदान | 0.30 | – |
| **घटाएं : फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय**<br>वर्ष के दौरान संवितरण | – | – |
| **अंत शेष(क्रेडिट)** | **0.30** | |
| **कुल शेष (क्रेडिट)** | **7407.53** | **6210.01** |
| **कुल शेष (डेबिट)** | **–0.00** | **–6.56** |
| **निवल शेष** | **7407.53** | **6203.45** |

## दिल्ली विकास प्राधिकरण
## सामान्य विकास खाता
## 31 मार्च, 2016 को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

(राशि करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2016 को | 31.03.2015 को |
|---|---|---|
| अनुसूची सी | | |
| वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | | |
| <u>क. वर्तमान देयताएं :</u> | | |
| विविध लेनदार | | |
| खर्चों के लिए | 173.20 | 273.12 |
| भूमि के लिए | 298.96 | 493.90 |
| आवंटितियों से अग्रिम–पुनर्वास मंत्रालय भूमि | 0.62 | 0.62 |
| जमा राशि पर उपार्जित ब्याज | 4.48 | 0.01 |
| जमा एवं प्रतिधारण | 192.56 | 166.11 |
| जमा बयाना राशि /पंजीकरण राशि | — | — |
| व्यावसायिक स्कीम | 4.72 | 4.97 |
| आवास योजनाएं | 21.61 | 67.08 |
| दि.वि.प्रा. की विभिन्न आवास योजनाओं के आवंटितियों से अग्रिम | 437.01 | 368.33 |
| उचन्त खाता | 21.35 | 13.98 |
| उपदान ट्रस्ट निधि को देय | — | 179.37 |
| पेंशन निधि ट्रस्ट को देय | 283.81 | — |
| नजूल–II को देय | 130.00 | 130.00 |
| सांविधिक देयताएं | 10.73 | 20.22 |
| अन्य देयताएँ | 17.46 | 16.80 |
| कुल | 1596.51 | 1,734.51 |

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता — अनुसूची–डी

31.03.2016 का स्थायी संपत्तियों का विवरण ( राशि करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2015 को सकल लागत | परिवर्धन | बिक्री / समायोजन | 31.03.2016 को योग | 31.03.2015 तक | वर्ष के लिए मूल्यह्रास | बिक्री / समायोजन | 31.03.2016 तक | 31.03.2016 को डब्ल्यू.डी.वी. | 31.03.2015 को डब्ल्यू.डी.वी. |
| भूमि | 24.72 | – | – | 24.72 | | | – | – | 24.72 | 24.72 |
| कार्यालय भवन, 1. स्टोर एवं गोदाम | 43.98 | – | – | 43.98 | 29.49 | 1.45 | – | 30.93 | 13.04 | 14.49 |
| 2. किराये पर सम्पत्तियाँ | 44.65 | – | – | 44.65 | 34.49 | 1.02 | – | 35.51 | 9.14 | 10.15 |
| समाज सदन/पिकनिक हट्स/पर्यटन परिसर | 44.08 | – | – | 44.08 | 5.15 | 1.99 | – | 7.14 | 36.94 | 38.93 |
| स्टाफ क्वार्टर | 132.37 | – | – | 132.37 | 14.71 | 5.88 | – | 20.60 | 111.77 | 117.65 |
| मोटर वाहन | 7.57 | – | 0.31 | 7.26 | 4.81 | 0.41 | 0.26 | 4.96 | 2.30 | 2.76 |
| कार्यालय फर्नीचर एवं फिटिंग | 10.31 | 1.72 | – | 12.03 | 4.38 | 0.74 | – | 5.11 | 6.92 | 5.94 |
| अन्य कार्यालय | 4.29 | – | – | 4.29 | 2.89 | 0.21 | – | 3.10 | 1.19 | 1.40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपस्कर | | | | | | | | | | |
| विद्युत स्थापन एवं उपस्कर | 8.52 | – | – | 8.52 | 6.83 | 0.25 | – | 7.09 | 1.43 | 1.68 |
| संयंत्र एवं मशीनरी एवं अन्य उपस्कर | 0.40 | – | – | 0.40 | 0.36 | 0.01 | – | 0.37 | 0.04 | 0.04 |
| प्रिंटिंग प्रेस उपस्कर | 1.42 | – | – | 1.42 | 0.98 | 0.07 | – | 1.04 | 0.38 | 0.44 |
| कम्प्यूटर | 25.24 | 1.17 | - | 26.41 | 24.60 | 0.86 | – | 25.47 | 0.94 | 0.63 |
| | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - |
| **कुल** | **347.55** | **2.89** | **0.31** | **350.13** | **128.70** | **12.88** | **0.26** | **141.31** | **208.81** | **218.86** |
| **पिछला वर्ष** | **194.72** | **152.83** | - | **347.55** | **117.92** | **10.77** | – | **128.70** | **218.80** | - |

उक्त बिन्दु 1, 2 के संबंध में भूमि और निर्माण की लागत को विभक्त करना घटकों को सम्मिलित करने के कारण संभव नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र के भाग की अनुसूची

*(राशि करोड़ में)*

| विवरण | 31.3.2016 को | | 31.3.2015 को | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची ई** | | | | |
| **निर्धारित /अक्षय निधियों का निवेश** | | | | |
| **(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ** | | | | |
| **(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ** | | | | |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि | 40.00 | | 10.00 | |
| अवकाश नकदीकरण निधि | 118.00 | | 10.00 | |
| सामान्य भविष्य निधि | 496.08 | 654.08 | 385.58 | 405.58 |
| **(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ** | | | | |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि | 47.50 | | 47.50 | |
| अवकाश नकदीकरण निधि | 10.00 | | 10.00 | |
| सामान्य भविष्य निधि | 272.00 | 329.50 | 264.46 | 321.96 |
| **(ख)ऋण पत्र एवं बॉण्ड** | | | | |
| सामान्य भविष्य निधि | 426.10 | | 452.20 | |
| अवकाश नकदीकरण निधि | 106.35 | | 30.00 | |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि | 65.85 | 598.30 | 40.00 | 522.20 |
| **(ग) बीमा कम्पनियों के पास जमा राशि** | | | | |
| अवकाश नकदीकरण निधि | 116.32 | | 93.47 | |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि | 65.99 | 182.31 | 51.90 | 145.37 |
| **(घ) म्यूचुअल फण्ड** | | | | |
| सामान्य भविष्य निधि | 81.00 | | 31.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अवकाश नकदीकरण निधि | 79.00 | | 13.00 | |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि | 30.50 | 190.50 | 25.00 | 69.00 |
| **(ड.) सावधिक जमा राशियों में** | — | | | |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि | — | | 14.00 | |
| शहरी विकास निधि | 4,045.00 | | 3600.72 | |
| कर्मचारी हित निधि | 1.30 | | — | |
| सिविल कार्य रखरखाव निधि | 245.00 | | — | |
| सामान्य भविष्य निधि | 45.37 | 4336.67 | 171.87 | 3786.59 |
| **(च) बचत बैंक खातों में** | | | | |
| शहरी विकास निधि | 119.05 | | 18.27 | |
| सामान्य भविष्य निधि | 133.67 | | 62.54 | |
| अवकाश नकदीकरण निधि | 22.32 | | 20.69 | |
| कर्मचारी हित निधि | 0.07 | | — | |
| यमुना प्रदूषण जुर्माना निधि | 0.30 | | — | |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि | 214.39 | 489.80 | 12.88 | 114.38 |
| **(छ) निवेश पर उपार्जित ब्याज** | | | | |
| शहरी विकास निधि | 187.13 | | 165.06 | |
| अवकाश नकदीकरण निधि | 7.18 | | 15.61 | |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् निधि | 2.64 | | 10.95 | |
| सिविल कार्य रखरखाव निधि | 20.53 | | — | |
| कर्मचारी हित निधि | 0.11 | | — | |
| सामान्य भविष्य निधि | 33.11 | 250.60 | 39.23 | 230.85 |
| कुल | | **7031.76** | | **5595.94** |

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**
**सामान्य विकास खाता**
**31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची**

*(राशि करोड़ में)*

| विवरण | 31.3.2016 को | | 31.3.2015 को | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची एफ** | | | | |
| **क. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ** | | | | |
| **1. माल सूची** | | | | |
| भण्डार | 8.88 | | 9.11 | |
| व्यापार में स्टॉक | | | | |
| भूमि–अविकसित भूमि | 19.07 | | 19.07 | |
| कार्य प्रगति पर है | | | | |
| भूमि–विकासाधीन | 1.32 | | 1.32 | |
| आवास–निर्माणाधीन | 2759. | | 1453.99 | |
| व्यावसायिक संपदा–निर्माणाधीन | 67 | | 23.71 | |
| तैयार स्टॉक | 27.30 | | | |
| विकसित भूमि | | | 107.99 | |
| आवास निर्मित | 107.99 | | 3619.93 | |
| व्यावसायिक संपदा–निर्मित | 3205. | | 503.44 | |
| राष्ट्रमण्डल खेल संपत्तियाँ–फ्लैट–फर्नीचर फिटिंग्स | 21 | | | |
| (आबंटितियों से फर्नीचर आदि हेतु कुल वसूलियां) | 500.89 | 7123.70 | 482. | 6221.21 |
| | | | 65 | |
| **2. विविध देनदार*** | 493.37 | 308.58 | | 567.43 |
| **3. नकद और बैंक में शेष** | | | | |
| उपलब्ध नकद राशि | | | | |
| बैंक में शेष राशि–अनुसूचित बैंकों में | | | 0.19 | |
| | 0.13 | | | |
| बचत बैंक खातों में | | | | |
| ट्रांजिट में प्रेषित राशि | | | 725.00 | |
| | 627.57 | | 6.12 | |
| | 3.40 | | 731.31 | |
| घटायें: नजूल I व II के लेनदेन से संबंधित शेष राशि | 631.10 | | –593.67 | |
| | –260.61 | 2167.02 | 137.64 | 4305.16 |
| जमा खाते में–सामान्य निवेश | 370.49 | | 4167.52 | |
| | 1796. | | | |
| बैंक में शेष राशि–अनुसूचित बैंकों में | 53 | | | |
| आरक्षी फण्ड लेखा–आकस्मिक आरक्षी | | | | |
| | | | | 9.64 |
| आरक्षी फण्ड लेखा–ई.डब्ल्यू.एस. आवास | | 3.50 | | |
| | | | 7.96 | |
| | 2.98 | | | |
| | 0.52 | | 1.68 | |
| **4. आरक्षी फण्ड निवेश** | | | | |
| सावधि जमा–आकस्मिक निधि | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सावधि जमा–ई.डब्ल्यू.एस आवास आरक्षी निधि | | 1840.00 | | 887.00 |
| ख. **ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ** | | | | |
| 1. **ऋण** | | | | |
| (क) स्टाफ | 945.00 | | 856.00 | |
| (ख) भावी किराया खरीद किश्तें | 895.00 | | 31.00 | |
| घटायें: भविष्य का ब्याज | | 282.55 | | 66.74 |
| | 2.35 | | 2.47 | |
| | 449.13 | | 82.90 | |
| | −168.93 | | −18.63 | |
| | 280.20 | | 64.27 | |
| **2. नकद में या किसी वस्तु के रूप में या प्राप्त/समायोजित की जाने वाली कीमत के रूप में वसूली की जाने योग्य अग्रिम राशि** | | | | |
| ठेकेदारों की अग्रिम राशि | 512.99 | | 430.54 | |
| अग्रिम–ई.डब्ल्यू.एस. योजनाएं | 125.77 | | 96.61 | |
| निक्षेप कार्य | 85.33 | | 84.60 | |
| इनपुट वेट वसूली योग्य | 0.01 | | 0.01 | |
| वसूली योग्य वेट | 0.09 | | 0.09 | |
| प्राप्त होने योग्य आयकर वापसी | 34.60 | | 31.55 | |
| पेंशन निधि में वसूली/समायोजन योग्य राशि | – | | 51.29 | |
| उपदान निधि ट्रस्ट के लिए भविष्य में समायोजन | 71.95 | | – | |
| योग्य अंशदान | 436.84 | | 225.27 | |
| आयकर प्राधिकारी के पास जमा | 201.48 | | 198.48 | |
| नजूल I से वसूली योग्य | 13.86 | | 13.86 | |
| सेवा कर से वसूली योग्य | 195.86 | | 195.85 | |
| निगम कर प्राधिकरण से अग्रिम | 15.06 | 1693.84 | 13.95 | 1342.11 |
| अन्य विविध अग्रिम/वसूली योग्य राशि | | | | |
| **3. सामान्य निवेश पर उपार्जित ब्याज** | | 102.72 | | 156.29 |
| **4. आरक्षी फण्ड निवेश पर उपार्जित ब्याज** | | 102.04 | | 41.43 |
| **5. बचत बैंक ब्याज पर उपार्जित ब्याज** | | 1.63 | | 6.53 |
| **6. ठेकेदार अग्रिम पर उपार्जित ब्याज** | | 50.56 | | 44.76 |
| कुल | | **13676.14** | | **13648.29** |

* विविध देनदार कब्जा पत्र जारी होने पर निपटान मूल्य के प्रति समायोजन योग्य क्रेडिट में आबंटिती शेष का निवल हैं।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**
**सामान्य विकास खाता**
**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय**
**खाते के भाग की अनुसूची**

*(राशि करोड़ में)*

| विवरण | 31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची –जी** | | | | |
| **बिक्री/सेवाओं से आय** | | | | |
| भूमि की बिक्री से प्राशुल्क | | 0.20 | | 0.10 |
| आवासों की बिक्री | | 1019.63 | | 478.02 |
| राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैटों की बिक्री | | | | 448.24 |
| दुकानों की बिक्री | | 40.13 | | 2.32 |
| लाइसेंस शुल्क | | 57.86 | | 65.73 |
| किराया खरीद किश्तों पर ब्याज | | 45.96 | | 23.29 |
| **कुल** | | **1163.78** | | **1017.70** |
| **अनुसूची –एच** | | | | |
| **निवेश एवं बैंक खातों से आय** | | | | |
| सामान्य निवेश से आय | | 279.19 | | 443.04 |
| बचत बैंक ब्याज–जीडीए | | 5.85 | | 21.59 |
| **निर्धारित एवं आरक्षी निधि से आय** | | | | |
| ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि | | 45.86 | | 23.30 |
| सिविल कार्य रखरखाव निधि स्कीम 2010 से आगे | 20.53 | | | – |
| शहरी विकास निधि | 362.33 | | 308.23 | – |
| सामान्य भविष्य निधि | 112.84 | | 118.83 | – |
| अवकाश नकदीकरण निधि | 20.09 | | 15.66 | – |
| सेवा–निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि | 20.16 | | 11.77 | – |
| कर्मचारी हित निधि | 0.02 | | – | – |
| आकस्मिक आरक्षी निधि | 100.45 | | 64.64 | – |
| कुल | 636.42 | | 519.12 | |
| घटाएँ: निर्धारित निधि एवं आरक्षी निधि लेखा से अंतरित | 636.42 | | 519.12 | |
| कुल | | 330.90 | | 487.93 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <u>**अनुसूची – आई**</u> | | | | |
| <u>**अन्य आय**</u> | | | | |
| भू–भाटक | | 2.06 | | 6.45 |
| सेवा प्रभार | | 0.90 | | 1.77 |
| भवन नक्शा शुल्क | | 4.34 | | 3.81 |
| अन्य आवास प्राप्तियाँ | | 16.13 | | 2.60 |
| अन्य राजस्व | | 171.57 | | 251.50 |
| **कुल** | | **195.00** | | **266.13** |

*(राशि करोड़ में)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची – जे** | | | | | |
| **स्टॉक एवं निर्माण कार्यों में वृद्धि** | | | | | |
| **अंतशेष – स्टॉक एवं निर्माण कार्य** | | | | | |
| **मण्डार** | | 8.88 | | 9.11 | |
| **व्यापार में स्टॉक** | | | | | |
| भूमि–अविकसित भूमि | | 19.07 | | 19.07 | |
| **कार्य प्रगति पर** | | | | | |
| भूमि–विकासाधीन | | 1.32 | | 1.32 | |
| आवास–निर्माणाधीन | | 2759.67 | | 1453.99 | |
| व्यावसायिक संपदा–निर्माणाधीन | | 27.30 | | 23.71 | |
| **तैयार स्टॉक** | | | | | |
| विकसित भूमि | | 107.99 | | 107.99 | |
| आवास – निर्मित | | 3205.21 | | 3619.93 | |
| व्यावसायिक संपदा–निर्मित | | 500.89 | | 503.44 | |
| राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैट | | 493.37 | 7123.70 | 482.65 | 6221.21 |
| **आरंभिक – स्टॉक एवं निर्माण कार्य** | | | | | |
| **मण्डार** | | 9.11 | | 5.21 | |
| **व्यापार में स्टॉक** | | | | | |
| भूमि–अविकसित भूमि | | 19.07 | | 19.07 | |
| कार्य प्रगति पर | | | | | |
| भूमि–विकासाधीन | | 1.32 | | 1.32 | |
| आवास–निर्माणाधीन | 1453.99 | | | | |
| घटाया : पूर्व अवधि मदें | –50.56 | 1403.43 | | 1885.61 | |
| व्यावसायिक संपदा–निर्माणाधीन | | 23.71 | | 19.71 | |
| **तैयार स्टॉक** | | | | | |
| विकसित भूमि | | 107.99 | | 107.99 | |
| आवास – निर्मित | 3619.93 | | | | |
| जोड़ें : पूर्व अवधि मदें | 41.34 | 3661.27 | | 1000.57 | |
| व्यावसायिक संपदा–निर्मित | 503.44 | | | | |
| जोड़ें : पूर्व अवधि मदें | 34.01 | 537.44 | | 494.35 | |
| राष्ट्रमण्डल खेल फ्लैट | 482.65 | | | | |
| जोड़ें: पूर्व अवधि मदें | 10.72 | 493.37 | 6256.71 | 656.58 | 4190.39 |
| **स्टॉक एवं निर्माण कार्य में वृद्धि / (कमी)** | | | **866.98** | | **2030.82** |

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय
खाते के भाग की अनुसूची

*(राशि करोड़ में)*

| विवरण | 31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची–के** | | | | |
| **संस्थापना** | | | | |
| वेतन एवं भत्ते | 450.99 | | | 466.95 |
| यात्रा एवं वाहन भत्ते | 5.22 | | | 8.32 |
| चिकित्सा व्यय | 29.76 | | | 29.21 |
| अनुग्रह राशि | 0.90 | | | 7.00 |
| **प्रशासन** | | | | |
| शुल्क एवं मानदेय | 2.39 | | | 1.31 |
| स्टाफ कल्याण | 1.56 | | | 2.48 |
| मनोरंजन | 0.32 | | | 0.32 |
| ग्रेच्युटी निधि में नियोक्ता का अंशदान | –129.12 | | | 19.96 |
| पेंशन निधि में नियोक्ता का अंशदान | 813.66 | | | 54.72 |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि में अंशदान | 195.72 | | | 4.15 |
| अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान | –40.20 | | | –9.59 |
| नई, पेंशन योजना में अंशदान | 2.72 | | | 2.35 |
| कर्मचारी हित निधि में अंशदान | 1.50 | | | – |
| विधि प्रभार | 5.44 | | | 4.72 |
| वाहनों का परिचालन एवं रखरखाव | 4.26 | | | 3.86 |
| मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य | 3.06 | | | 4.26 |
| मुद्रण लेखन सामग्री एवं विज्ञापन | 19.00 | | | 34.21 |
| दरें एवं कर | 6.44 | | | 0.33 |
| टेलीफोन | 2.58 | | | 2.45 |
| स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि | 0.02 | | | – |
| अन्य विविध व्यय | 21.40 | | | 26.40 |
| **कुल** | | 1397.62 | | 663.42 |
| घटाएं : निर्माण कार्य एवं अन्य खातों से वसूली कार्य | | | | |
| दिल्ली मुख्य योजना | 5.15 | | 0.18 | |
| नजूल–I | 1.34 | | 1.39 | |
| नजूल–II | 8.24 | | 8.07 | |
| | 605.68 | 620.41 | 385.51 | 395.15 |
| | | 777.21 | | 268.26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची एल** | | | | | |
| **पूर्व अवधि एवं असाधारण मदें** | | | | | |
| **पूर्व अवधि मदें** | | | | | |
| **पूर्व अवधि आय** | | | | 43.87 | |
| 1) आवास –निर्मित | | | | | |
| 2) प्रगतिधीन कार्य | | 41.34 | | 257.89 | |
| – आवास – निर्माणाधीन | | | | 2.44 | |
| – व्यावसायिक सम्पदा – निर्माणाधीन | | | | 1.27 | |
| 3) व्यावसायिक निर्मित | | 34.01 | | 0.58 | |
| 4) ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट में अंशदान | | | | –0.01 | |
| घटाएं : नजूल–1 का भाग | | | | –0.29 | |
| नजूल–2 का भाग | | | | | |
| | | | | – | |
| 5) रा.मं. खेलगांव फ्लैटों के लिए कीमत में बदलाव | | 10.72 | | | |
| 6) अन्य | | 105.21 | | 1.30 | |
| **घटाएं : पूर्व अवधि व्यय** | | –38.93 | 152.35 | | 307.05 |
| 1) प्रगतिधीन कार्य | | | | | |
| – आवास निर्माणाधीन | | 50.56 | | 1.31 | |
| 2) अवकाश नकदीकरण निधि | | | | | |
| में अंशदान | 6.44 | | | 30.82 | |
| घटाएं : नजूल–1 का भाग | –0.02 | | | 0.23 | |
| घटाएं : नजूल–2 का भाग | –2.51 | 3.91 | | 15.79 | |
| 3) पेंशन में अशंदान | 27.47 | | | 199.59 | |
| **घटाएं** : नजूल–1 का भाग | –0.08 | | | 1.50 | |
| नजूल–2 का भाग | –10.72 | 16.68 | | 102.30 | |
| 4) पी.आर.एम.एस. में अशदान | 30.00 | | | | |
| घटाएं : नजूल–1 का भाग | –0.08 | | | | |
| घटाएं : नजूल–2 का भाग | –11.70 | 18.21 | | | |
| 5) कर्मचारी हितकारी निधि में अंशदान | 6.56 | | | | |
| घटाएं : दिल्ली प्रशासन का भाग | –0.02 | | | | |
| घटाएं : नजूल–1 का भाग | –0.09 | | | | |
| घटाएं : नजूल–2 का भाग | –3.56 | 2.89 | | | |
| 6) विकास एवं निर्माण व्यय | | –270.28 | | 37.90 | |
| 7) किराया खरीद पर ब्याज | | | | 0.78 | |
| 8) लाइसेंस फीस | | | | 0.32 | |
| 9) अन्य | | 8.86 | | | |
| | | | –169.17 | | 150.90 |
| **असाधारण मदें** | | | **321.52** | | **156.15** |
| **कुल** | | | **321.52** | | **156.15** |

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सामान्य विकास खाता
31 मार्च, 2016 को नकद एवं बैंक के अंत शेष को दर्शाने वाला विवरण

अनुसूची एम

| विभाग | नकद | चैक जारी किन्तु 31.3.2016 तक बैंक खाते में डेबिट नहीं किया गया न भुनाए गए चैक | प्राधिकरण द्वारा चैक प्राप्त हुए और लेखा में रखे गए परंतु बैंक द्वारा 31.3. 2016 को क्रेडिट नहीं किए गए । | बैंक द्वारा डेबिट कर दिया गया किन्तु 31.3.2016 तक कैश बुक में नहीं रखा गया । | बैंक द्वारा क्रेडिट कर दिया गया किन्तु 31.3. 2016 तक कैश बुक में नहीं रखा गया । | 31.3.2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि (+) | 31.3. 2016 को बैंक विवरण के अनुसार शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| केन्द्रीय लेखा इकाई पूर्वी जोन | 0.01 | 11.86 | 0.29 | 0.25 | 0.04 | 29.34 | 40.70 |
| केन्द्रीय लेखा इकाई द्वारका | 0.00 | 12.85 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 42.48 | 55.07 |
| केन्द्रीय लेखा इकाई रोहिणी | 0.03 | 12.26 | 0.39 | 0.30 | 0.19 | 13.14 | 24.90 |
| केन्द्रीय लेखा इकाई उत्तरी जोन | 0.01 | 80.61 | 1.96 | 0.10 | 0.48 | 26.79 | 105.81 |
| केन्द्रीय लेखा इकाई दक्षिणी जोन | 0.01 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 26.48 | 47.95 |
| केन्द्रीय लेखा इकाई राष्ट्रमण्डल खेल | 0.00 | 1.28 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 5.58 |
| केन्द्रीय लेखा इकाई फ्लाई ओवर | 0.00 | 0.23 | – | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 4.55 |
| लेखाधिकारी खेल | 0.05 | 3.24 | 0.49 | 0.00 | 0.02 | 33.68 | 36.45 |
| पी.ए.ओ. इंजी. | 0.00 | 3.04 | – | 0.00 | – | 4.65 | 7.69 |
| खेलकूद प्रबंधन कक्ष | 0.01 | 1.87 | – | – | – | 1.86 | 3.73 |
| भीकाजी कामा | – | – | – | – | – | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एच.आर. डी. इंस्टीट्यूट | – | – | – | – | – | 0.00 | 0.00 |
| केन्द्रीय लेखा इकाई एम.पी.आर. | 0.00 | 4.26 | – | 0.00 | – | 4.01 | 8.27 |
| यू.टी.टी.आई. पी. ई.सी | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | – | 0.33 | 0.32 |
| ए.ओ. (चिकित्सा) | – | 0.55 | – | 0.00 | – | 0.96 | 1.51 |
| रोकड़ (आवास) | – | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 16.58 | 16.57 |
| कर्मचारी हितकारी निधि | – | – | – | – | – | 0.07 | 0.07 |
| रोकड़ मुख्य | – | 1.97 | 60.96 | 20.70 | 6.60 | 418.74 | 345.65 |
| | | – | – | – | – | – | – |
| **निर्धारित निधि** | – | – | – | – | – | – | – |
| सामान्य भविष्य निधि | – | 2.16 | 0.14 | 1.40 | 0.51 | 133.67 | 134.80 |
| शहरी विकास निधि | – | – | 1.11 | 0.61 | 0.01 | 118.59 | 116.88 |
| आकस्मिकता निधि | – | – | – | – | – | 2.98 | 2.98 |
| ई.डब्ल्यू.एस. निधि | – | – | – | – | – | 0.52 | 0.52 |
| ग्रेच्युटी | – | 0.12 | – | 0.01 | – | 31.89 | 32.00 |
| पेंशन | – | 0.13 | – | 0.02 | 0.00 | 154.07 | 154.18 |
| पी.आर.एम.एस. | – | – | – | – | – | 214.39 | 214.39 |
| यमुना प्रदूषण जुर्माना लेखा | – | – | – | – | – | 0.30 | 0.30 |
| अवकाश नकदीकरण निधि | – | – | – | – | – | 22.32 | 22.32 |
| **कुल** | **0.12** | **157.80** | **65.88** | **23.60** | **8.06** | **1306.84** | **1383.19** |
| ट्रांजिट प्रेषित धन | | | | | | 3.40 | |

| | | |
|---|---|---|
| कॉलम–2 | नकद राशि | 0.12 |
| कॉलम–7 | रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष | 1306.84 |
| कॉलम–7 | ट्रांजिट प्रेषित धन | 3.40 |
| कुल | | **1310.36** |

घटायें:

| | |
|---|---|
| नजूल–I लेनदेन की शेष राशि | 1.26 |
| नजूल–II लेनदेन की शेष राशि | 259.34 |
| पेंशन के लेनदेन | 154.07 |
| ग्रेच्युटी में लेनदेन | 31.89 |
| **जी.डी.ए. से संबंधित शेष** | 863.80 |

# दिल्ली विकास प्राधिकरण
## सामान्य विकास खाता
### 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान

*(राशि करोड़ में)*

**प्राप्तियां**

| लेखा शीर्ष | 2015–16 | | 2014–15 | |
|---|---|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | | | | |
| नकद शेष | 0.19 | | 0.09 | |
| बचत खाते में शेष | 849.00 | | 715.65 | |
| ट्रांजिट में प्रेषित धन | 6.12 | | 5.93 | |
| राशि | 855.30 | | 721.67 | |
| घटाएं निम्नलिखित में से संबंधित लेनदेन का शेष | | | | |
| नजूल–I | (1.83) | | (0.05) | |
| नजूल–II | (591.84) | | (506.83) | |
| पेंशन निधि | – | | – | |
| उपदान निधि | – | | – | |
| | 261.63 | | 214.79 | |
| सावधि जमा | | | | |
| सामान्य निवेश | 3443.24 | 3,704.87 | 3415.24 | 3630.03 |
| **कार्य एवं विकास योजनाओं से राजस्व** | | | | |
| भूमि के निपटान से प्राशुल्क | 0.20 | | 0.10 | |
| किराया खरीद किश्तों सहित मकानों एवं दुकानों के निपटान से प्राशुल्क | 1482.48 | 1482.68 | 556.40 | 556.50 |

**भुगतान**

| लेखा शीर्ष | 2015–16 | | 2014–15 | |
|---|---|---|---|---|
| प्रशासन एवं संस्थापना | 1415.85 | | 876.19 | |
| घटाएं : कार्य से प्राप्त राशि | (5.15) | | (0.18) | |
| कुल | 1410.70 | | 876.01 | |
| घटाएं : लागत भाग निम्नलिखित को अंतरित | | | | |
| नजूल खाता– I | (8.51) | | (9.80) | |
| नजूल खाता–II | (634.18) | | (503.32) | |
| दिल्ली मुख्य योजना | (1.36) | | (1.39) | |
| राष्ट्रमण्डल खेल परियोजना | – | | – | |
| अंतरित किया गया कुल लागत भाग | (644.04) | | (514.51) | |
| सा.वि.खा. के अंतर्गत शेष राशि | | 766.66 | | 361.50 |
| कार्य एवं विकास योजनाओं पर व्यय | | 149.51 | | 166.50 |
| मकानों एवं दुकानों के निर्माण पर व्यय | | 1825.68 | | 1053.60 |
| पंजीकरण राशि पर ब्याज एवं वापसी | | 0.51 | | 0.09 |
| भण्डार | | – | | 0.00 |
| विविध व्यय | | 0.17 | | 0.04 |
| | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लाइसेंस शुल्क | | 66.82 | | 49.06 | | | 0 | | 0 |
| भू'भाटक | | 2.06 | | 6.45 | | | | | |
| सामान्य निवेश पर ब्याज | | 394.76 | | 521.30 | स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद | | (4.97) | | 1.79 |
| अन्य राजस्व | | 158.58 | | 235.58 | | | | | |
| विभागीय प्रभारों की वसूली | | — | | 8.90 | | | | | |
| **शहरी विकास निधि** | | | | | **शहरी विकास निधि** | | | | |
| निवेश का नकदीकरण | 3700.72 | | 3,334.00 | | निवेश | 4145.00 | | 3602.72 | |
| नजूल से व्यय की पूर्ति | — | | — | | वापसी | 1.16 | | 1.18 | |
| परिवर्तन शुल्क | 224.01 | | 217.74 | | अनुदान एवं अन्य विभागों को ऋण | — | | 4.74 | |
| निवेश पर ब्याज | 340.12 | | 304.67 | | ग्रेच्युटी निधि को भुगतान की गई राशि | — | | — | |
| यू.डी.एफ0 ऋण वसूली | 3.10 | | 8.32 | | फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए दी गई राशि | 18.75 | 4164.91 | 47.50 | 3,656.14 |
| बी.जी.डी.ए. से प्राप्त राशि | — | | 7.50 | | | | | | |
| यू.डी.एफ. पर ऋण वसूली पर ब्याज | — | 4267.95 | — | 3872.23 | **सामान्य भविष्य निधि** | | | | |
| | | | | | भविष्य निधि संवितरण | 270.41 | | 244.44 | |
| **सामान्य भविष्य निधि** | | | | | डिपोजिट लिंक बीमा | 1.12 | | 1.85 | |
| भविष्य निधि अंशदान | 205.38 | | 207.74 | | | | | | |
| जी.पी.एफ. निवेश का नकदीकरण | 248.00 | | 197.53 | | निवेश की खरीद पर प्रीमियम | — | | — | |
| निवेश की खरीद पर छूट | — | | — | | विविध व्यय | — | | — | |
| अंशदान पर ब्याज | 73.78 | | 73.29 | | भविष्य निधि पर ब्याज | 73.79 | | 73.29 | |
| जी.पी.एफ. निवेश पर ब्याज | 123.75 | | 142.85 | | उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान | 55.70 | | — | |
| | | | | | पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान | 44.50 | | — | |
| | | | | | किया गया निवेश | 268.91 | | 233.82 | |
| प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी | 0.00 | 650.91 | 0.16 | 621.56 | प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी | 0.70 | 715.12 | 1.09 | 554.48 |
| नई पेंशन योजना | | | | | **नई पेंशन योजना** | 5.94 | | 5.35 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एन.पी.एस. के लिए प्राप्त कर्मचारी अंशदान | 3.24 | | | 5.63 | एन.एस.डी.एल. को भुगतान | 2.70 | | — | |
| एन.पी.एस. के लिए प्राप्त नियोक्ता अंशदान | 2.70 | 5.94 | | | प्राधिकरण का भाग | — | | 0.17 | |
| | | | | | सी.पी.एफ. पर ब्याज | 0.03 | 8.67 | | 5.52 |
| | | | | | सेवा प्रभार | - | | | |
| <u>व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी</u> | | | | | <u>व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी</u> | | | | |
| कर्मचारियों से अंशदान | | | | | एल.आई.सी. की प्रीमियम | 0.04 | | — | |
| बीमा कम्पनी से प्राप्त | 0.09 | 0.13 | 0.10 | | भुगतान किया गया मुआवजा | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
| मुआवजा | 0.05 | | 0.06 | 0.16 | | | | | |
| <u>राष्ट्रमण्डल खेल आरक्षी निधि</u> | | | | | <u>राष्ट्रमण्डल खेल आरक्षी निधि</u> | | | | |
| निवेश पर प्राप्त ब्याज | | | 0.03 | 0.03 | व्यय | 0 | | | |
| <u>ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि</u> | | | | | <u>ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि</u> | | | | |
| निवेश का नकदीकरण | 31.00 | | 4.66.00 | | निवेश | 35.00 | | 514.00 | |
| निवेश पर प्राप्त ब्याज | 2.94 | | 48.55 | | व्यय | | 35.00 | 360.78 | 874.78 |
| प्राप्त अनुदान | — | 33.94 | — | 514.55 | <u>हितकारी निधि</u> | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **हितकारी निधि** | | | | |
| हितकारी निधि के लिए प्राप्त कर्मचारी अंशदान | | 0.75 | 0.84 | 0.84 |
| **आकस्मिक आरक्षी निधि** | | | | |
| निवेश का नकदीकरण | 856.00 | | 776.00 | |
| प्राप्त ब्याज | 82.76 | 938.76 | 79.35 | 855.35 |
| **कर्मचारी हित निधि** | | | | |
| निवेश का नकदीकरण | 0.10 | | — | |
| प्राप्त ब्याज | 0.00 | 0.10 | — | |
| **सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि निवेश** | | | | |
| निवेश का नकदीकरण | 29.00 | | — | |
| सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा अंशदान अंतरण | | | 4.15 | |
| **लम्बित निवेश अंतरण** | | | | |
| **अवकाश नकदीकरण** | | | | |
| निवेश | | | | |
| पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्त राशि | | | 30.00 | |
| प्राप्त ब्याज | 15.60 | 44.60 | 4.82 | 38.97 |
| **अवकाश नकदीकरण निवेश** | | | | |
| निवेश का नकदीकरण | 14.00 | — | | |
| अवकाश नकदीकरण | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| संवितरण | | 1.45 | | 1.68 |
| **आकस्मिक आरक्षी निधि** | | | | |
| निवेश | | 945.00 | | 855.00 |
| **कर्मचारी हित निधि** | | | 855.00 | |
| निवेश | | 1.40 | | — |
| संवितरण | | 0.14 | — | |
| **सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि निवेश** | | | | |
| किया गया निवेश | 78.84 | | 111.45 | |
| संवितरण | | 78.84 | 15.00 | 126.45 |
| **अवकाश नकदीकरण निवेश** | | | | |
| किया गया निवेश | 267.35 | | 27.00 | |
| संवितरण | 40.22 | 307.57 | 46.52 | 73.52 |
| नजूल खाता–I को दिया गया अग्रिम | — | 3.00 | | |
| पेंशन निधि ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि | | — | 10.00 | 10.00 |
| उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि | | | 157.75 | 157.75 |
| यू.डी.एफ. को भुगतान की गई राशि | | | 7.50 | 7.50 |
| | | | — | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंशदान | | | 21.23 | 27.22 | <u>दि.वि.प्रा. प्रदूषण जुर्माना निधि</u> | 0.05 | | | |
| प्राप्त ब्याज | 8.41 | 22.41 | 5.99 | | योगदान | | 0.05 | | |
| | | | | 36.25 | | | | | |
| पेंशन निधि ट्रस्ट से प्राप्त राशि | | | 36.25 | | <u>जमा बयाना राशि/पंजीकरण राशि</u> | | | | |
| | | | | | | 94.81 | | 8787.56 | |
| | | | | | आवास स्कीमें | 45.59 | 140.40 | 4.28 | 8791.84 |
| | | | | — | व्यावसायिक स्कीमें | | | | |
| <u>दि.वि.प्रा. प्रदूषण जुर्माना निधि</u> | | | | | | | | | |
| जुर्माना | 0.30 | 0.30 | — | | | | | | |
| <u>जमा बयाना राशि/ पंजीकरण राशि</u> | | | | | <u>समूह बीमा योजना</u> | 0.20 | | | |
| | | | | | कर्मचारियों को भुगतान | | | 0.11 | |
| आवास स्कीमें | 24.39 | | 9022.78 | 9027.26 | दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए एल.आई. | | 0.20 | 0.09 | 0.20 |
| व्यावसायिक स्कीमें | 5.06 | 29.45 | 4.49 | | सी./सामूहिक बीमा प्रीमियम | | | | |
| | | | | | पेंशन फंड ट्रस्ट में भुगतान की गई राशि | | 323.00 | | |
| | | | | | ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट खाते भुगतान की गई | | 98.71 | | |
| | | | | | राशि | | (840.06) | | |
| <u>समूह बीमा योजना</u> | | | 0.08 | | | | — | | |
| कर्मचारियों से प्राप्त | 0.06 | | | | बीमांकित अंशदान | | — | | |
| अंशदान बीमा कंपनी से | 0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.11 | उपदान निधि ट्रस्ट को भुगतान | | — | | |
| प्राप्त मुआवजा | | | | | अंशदान का लंबित समायोजन खाता | | 4.65 | | 2.85 |
| | | | | | नजूल–I में भुगतान | | — | | 9.20 |
| | | | | | कर्मचारी अग्रिम | | 355.04 | | 184.98 |
| | | | | | अन्य अग्रिम | | 19.52 | | 60.16 |
| | | | | | जमा एवं प्रतिधारण | | 2.81 | | 4.00 |
| | | | | | निक्षेप कार्य | | | | |
| नजूल–II से प्राप्त | | | | 100.00 | आय पर टी.डी.एस. | | | | |
| राष्ट्रमंडल खेल गाँव के | | | | | | | 441.87 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 फ्लैटों की बिक्री से नजूल खाता–II में प्राप्त राशि | | | | 440.36 | सांविधिक कटौती/वसूली कर शुल्क एवं सेस, विविध भुगतान/समायोजन | | | | 282.53 |
| ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट खाते में लंबित अंशदान अंतरण | 52.30 | | | | | | | | |
| पेंशन फंड ट्रस्ट खाते में लंबित अंशदान अंतरण | 80.87 | | | | | | | | |
| कर्मचारी अग्रिम वसूली | 5.01 | | | 1.40 | | | | | |
| अन्य अग्रिम | | 138.09 | | 1.25 | | | | | |
| जमा एवं प्रतिधारण | | 388.88 | | 197.08 | | | | | |
| निक्षेप कार्य | | 18.79 | | 47.79 | | | | | |
| सांविधिक कटौती/वसूली कर शुल्क एवं सेस, विविध भुगतान/समायोजन | | 230.55 | | 151.22 | | | | | |
| | | | | | अंत शेष (अनुसूची एम) | | | | |
| | | | | | नकद राशि | 0.13 | | 0.19 | |
| | | | | | बचत खाते में बकाया राशि | 1120.87 | | 849.00 | |
| | | | | | ट्रांजिट में प्रेषित धन | 3.40 | | 6.12 | |
| | | | | | | 1124.39 | | 855.30 | |
| | | | | | घटाएँ: निम्नलिखित से संबंधित लेनदेन का शेष :– | | | | |
| | | | | | नजूल–I | (1.26) | | 1.83 | |
| | | | | | नजूल–II | (259.34) | | 591.84 | |
| | | | | | | 863.78 | | 281.63 | |
| | | | | | सावधि जमा–सामान्य निवेश | 2172.74 | 3036.52 | 3443.24 | 3704.87 |
| | | 12581.51 | | 20947.07 | | | 12581.51 | | 20947.07 |

दिनांक: 14.08.2016
स्थल : नई दिल्ली

ह0/–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य

ह0/–
उप मुख्य लेखा अधिकारी(लेखा)

ह0/–
मुख्य लेखा अधिकारी

ह0/–
सहायक लेखा अधिकारी–II

ह0/–
सहायक लेखा अधिकारी–III

अनुसूची – एन

वार्षिक खाते 2015–16

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

## महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### 1. प्रस्तुतिकरण का आधार

प्राधिकरण के खाते तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रबंधित किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक शीर्ष का पृथक लेखांकन महत्त्व होता है । प्रत्येक लेखा शीर्ष कानूनों, विनियमों अथवा अन्य प्रतिबंधों के अनुसार विशिष्ट कार्यकलापों को चलाने के लिए निर्धारित सरकारी संसाधनों को दर्शाते हैं ।

खाते तीन मुख्य शीर्षों –नजूल–1, नजूल–2 और सामान्य विकास खाते के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। नजूल–1 पुरानी नजूल सम्पदाओं के लेन--देन से संबंधित है, जो नजूल करार, 1937 के अंतर्गत दिल्ली सुधार न्यास को सौंपा गया था, जिसे दिल्ली सुधार न्यास के उत्तरवर्ती के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ले लिया। नजूल–2 बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास और निपटान कार्यकलापों से संबंधित है । सामान्य विकास खाता प्राधिकरण द्वारा स्वयं किए जाने वाले सभी विकास, निर्माण और अन्य कार्यकलापों और प्राधिकरण को सौंपे गए अन्य कार्यकलापों से संबंधित है ।

### 2. खाते तैयार करने का आधार

वर्ष के दौरान सभी लेन–देन प्राप्ति और भुगतान के आधार पर रिकार्ड किए जाते हैं । खाते को प्राप्ति योग्य खातों, देय, स्थायी परिसम्पत्तियों, मूल्य–ह्रास आदि के लिए समुचित प्रविष्टियां शामिल करके, वर्ष के अंत में आय एवं व्यय आधार में बदला जाता है ।

### 3. वित्तीय विवरण का प्रारूप

सामान्य विकास खाते का वित्तीय विवरण, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए निर्धारित लेखों के सामान्य प्रारूप में तैयार किया जाता है । नजूल–1 और नजूल–2 का वित्तीय विवरण दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखा) नियम, 1982 में निर्धारित लेखा–प्रारूप

में तैयार किया जाता है, क्योंकि वह सरकारी खाते के लेन–देन को दर्शाता है ।

4. **स्थायी परिसम्पत्तियां**

(क) स्थायी परिसम्पत्तियां लागत के रूप में दर्शायी जाती हैं जिनमें से मूल्यह्रास घटाया जाता है । स्वः निर्मित परिसम्पत्तियों के मामले में लागत में प्रशासनिक एवं स्थापना प्रभारों का उपयुक्त भाग शामिल होता है ।

(ख) स्थायी परिसम्पत्तियों में ऐसी भूमि पर निर्मित भवन शामिल हैं जो प्राधिकरण के नहीं है, परन्तु इन भवनों का प्रयोग प्राधिकरण के कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है।

(ग) कार्यालय भवन, स्टाफ क्वार्टरों, भण्डारों आदि के लिए प्रयुक्त भूमि का मूल्यॉंकन ऐसे हस्तांतरण की तिथि को भूमि की निपटान दरों के आधार पर किया जाता है ।

5. **मूल्य ह्रास**

मूल्य ह्रास आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर दिया जाता है और यदि किसी परिसंपत्ति का उपयोग, प्राधिकरण के कार्यकलापों हेतु वित्त वर्ष में एक सौ अस्सी दिनों से कम अवधि के लिए किया जाता है, तब इस प्रकार की परिसंपत्ति के संबंध में मूल्य ह्रास से संबंधित कटौती, संबंधित परिसंपत्ति के लिए निर्धारित प्रतिशतता पर परिकलित पचास प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी।

6. **स्टॉक और भण्डार का मूल्य–निर्धारण**

| | |
|---|---|
| **(क) खाली भूमि** | – लागत पर । इस लागत में भूमि के अधिग्रहण/क्रय को दर्शाया गया है जिसमें भूमि के अधिग्रहण तथा कब्जा लेने से संबंधित आकस्मिक व्यय और मुआवजा शामिल हैं । |
| **ख)निर्माणाधीन–कार्य** | – ऊपरी व्ययों के लिए समुचित प्रभार सहित विकास एवं निर्माण–कार्य पर खर्च किए गए वास्तविक व्यय पर । |

| | |
|---|---|
| (ग) तैयार स्टॉक | – भूमि–प्राशुल्क सहित ऐसी मानक लागत, जिस पर मकानों सहित निर्मित इकाइयां, बेचने की सम्भावना है, और इसमें से कार्य समापन की अनुमानित लागत घटाएँ । |
| | लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर बाह्य स्रोतों से अधिग्रहीत/खरीदी गई निर्मित इकाइयां । |
| | बिक्री के लिए रोकी गयी विकसित भूमि सहित अन्य स्टॉक के मामले में–औसत निविदा/नीलामी दरों के आधार पर निपटान दरों पर, इसमें से कार्य पूरा करने की अनुमानित लागत घटाएँ। |
| (घ) निक्षेप/संविदा कार्य | संविदा की निबंधनों के अनुसार वसूली योग्य विभागीय प्रभारों सहित किए गए कार्य की लागत पर । |
| (ड.) मण्डार | सामग्री जारी करने से संबंधित निगरानी व्ययों के लिए समायोजित निर्माण कार्यों से वसूली के लिए निर्धारित जारी दर पर । ठेकेदार के पास पड़ी सामग्री, जो पूर्व–निर्धारित दरों पर किए गए ठेका–कार्य में समायोजनीय है उसे ठेकेदार को दिए गए अग्रिम के रूप में माना जाता है । |

7. <u>राजस्व निर्धारण</u>

राज़स्व की पहचान संभूति (एक्रूअल) आधार पर की जाती है, केवल उन मामलों को छोड़ कर जिनमें वसूली की अनिश्चितता और राजस्व की मात्रा के कारण अन्यथा उल्लिखित हो।

क). भूमि, बनी हुई/निर्मित इकाइयों जैसे आवासों, कार्यालयों, दुकानों आदि के निपटान से प्राप्त प्राशुल्क और बिक्री मूल्य की पहचान कब्जा–पत्र जारी करने के लिए पूर्ण संभूति (एक्रूअल) पद्धति का प्रयोग करके की जाती है ।

ख). किराया खरीद किश्तों में ब्याज तत्व का निर्धारण बकाया मूल भाग के अनुपात में राजस्व के रूप में किया जाता है ।

ग). किराये की आय का निर्धारण उस अवधि, जिससे यह आय संबंधित है, के संदर्भ में संभूति (एक्रूअल) आधार पर किया जाता है ।

घ). भू–भाटक और सेवा–प्रभारों की गणना नकद आधार पर आय पर की जाती है। भू–भाटक दिल्ली प्रशासन को देय सकल भाग पर निर्धारित किया जाता है ।

ड). जुर्माना प्रभार, संघटन शुल्क, क्षति और देरी से प्राप्त भुगतान पर ब्याज की पहचान प्राप्ति आधार पर की जाती है ।

च). निवेश पर ब्याज की पहचान संभूति आधार पर की जाती है ।

छ). आयकर वापसी पर ब्याज की पहचान प्राप्ति आधार पर की जाती है ।

8. **भण्डार**

निर्माण कार्य के लिए उपयोग की गयी भण्डार सामग्री को पूर्व–निर्धारित निर्गमन–दरों पर संबंधित निर्माण–कार्यों से प्रभारित किया जाता है । जारी दर और क्रय मूल्य के अन्तर को विविध व्यय/आय में समायोजित किया जाता है।

9. **आबंटितियों को ब्याज/मुआवजे का भुगतान**

क. विभिन्न योजनाओं के पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त पंजीकरण राशि पर ब्याज संभूति आधार पर दिया जाता है ।

ख. स्व वित्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों के पूरा होने एवं आबंटन में देरी के लिए मुआवजा भुगतान/समायोजन के आधार पर दर्ज किया जाता है ।

10. **कमी प्रभार**

नगर निगम प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों अथवा निगम को भुगतान किए गए कमी प्रभार को स्वीकार किए गए और भुगतान किए गए प्रभारों के आधार पर परिकलित किया जाता है ।

11. <u>नजूल खातों से की गई वसूलियां/को भुगतान</u>

क. <u>संस्थापना एवं सामान्य प्रशासनिक लागत की वसूली</u>

संस्थापना एवं सामान्य प्रशासनिक लागतों को सामान्य विकास खाते से प्रभारित किया जाता है और नजूल–1 एवं नजूल–2 खातों से संबंधित व्ययों का समुचित भाग नजूल खातों के अंतर्गत चल रही योजनाओं, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय/परिव्यय के अनुपात में निर्धारित और वसूल किया जाता है ।

ख. <u>नजूल भूमि पर चल रही योजनाओं हेतु भूमि प्राशुल्क</u>

सामान्य विकास खाते के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए समुचित नजूल भूमि के संबंध में भूमि प्राशुल्क को व्यय के रूप में सम्पत्तियों का निर्माण–कार्य पूरा होने पर नजूल खाते को क्रेडिट करके किया जाता है । यह क्रेडिट नजूल नियमों के अंतर्गत उल्लिखित पूर्व–निर्धारित दरों पर किया जाता है ।

ग. <u>नजूल सम्पत्तियों के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क/सेवा प्रभार</u>

नजूल सम्पत्तियों जैसे स्टाफ क्वार्टर आदि के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क/सेवा प्रभार को लागू नियमों के अनुसार ऐसी सरकारी अधिसूचित दरों पर नजूल खाते को क्रेडिट करके लिखा जाता है ।

12. <u>क्षतिपूर्ति/माध्यस्थम प्रदान करना</u>

अधिग्रहीत भूमि के संबंध में दी गई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान और माध्यस्थम अवॉर्ड भुगतान–आधार पर दर्ज किया जाता है ।

13. <u>निर्दिष्ट देयताओं/निधियों के अंतर्गत वसूलियां</u>

निर्दिष्ट देयताओं/निधियों जैसे– 'शेयर राशि, अग्नि जोखिम बीमा निधि इत्यादि के अंतर्गत वसूलियों को उस उद्देश्य के लिए सृजित पृथक देयता/आरक्षित खाते में अलग से जमा किया जाता है और उसके अंतर्गत निकले व्यय और भुगतान को देयता/आरक्षित खाते में नामे करके रिकार्ड किया जाता है।

## 14. कर्मचारी योजनाएं और सेवा–निवृत्ति लाभ

क. सामान्य भविष्य निधि योजना के संबंध में कर्मचारियों के अंशदान को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है और निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है। संचित अंशदान, भुगतान, अग्रिम और निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज को निधि शेष में समायोजित किया जाता है ।

ख. ग्रेच्युटी और पेंशन के रूप में अंशदान की गयी राशि की वर्ष के अंत में बीमांकक (एक्चुरियल) मूल्यांकन आधार पर प्राप्ति, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान को पूरा करने के लिए की जाती है । दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट और दिल्ली विकास प्राधिकरण ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के पृथक वित्तीय विवरण तैयार कर लिए गए हैं । अनुमोदित प्रतिभूतियों में संबंधित ट्रस्ट फंड से निवेश किया जाता है। पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान तथा फंड के निवेशों पर अर्जित ब्याज का समायोजन संबंधित ट्रस्ट फंड खातों (अकाउंट्स) में किया जाता है ।

ग. वर्ष के अंत में अवकाश नकदीकरण राशि के लिए देयता बीमांकक (एक्चुरियल) मूल्यांकन आधार पर प्रदान की जाती है ।

घ. वर्ष के अंत में सेवा–निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों की देयता को बीमांकक (एक्चुरियल) मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है ।

## 15. निर्धारित निधि

प्राधिकरण को सौंपी गयी राशि अथवा प्राधिकरण को अनुदान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त राशि अथवा प्राधिकरण द्वारा रखी गयी राशियों का प्रयोग विशिष्ट अथवा निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाता है और पृथक शीर्षों में लेखाबद्ध किया जाता है तथा इस राशि के व्यय/उपयोग को उक्त खाते में समायोजित किया जाता है । निर्धारित निधियों से संबंधित निवेश

को अंकित मूल्य पर ले जाया जाता है । दि.वि.प्रा. द्वारा सामान्य विकास खाते के रूप में प्रबंधित विभिन्न निधियां निम्नानुसार हैं:–

क. <u>शहरी विकास निधि</u>

प्राधिकरण शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित शहरी विकास फंड का अभिरक्षक है और फंड प्राधिकरण से संबंधित नहीं था तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार फंड से किसी भी प्रकार के ऋण/अनुदान वितरित किए जाते हैं । सम्पत्तियों को लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड में बदलने पर वसूल किए गए प्रभारों को इस खाते में जमा (क्रेडिट) किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार विकास परियोजनाओं हेतु फंड से दिए गए ऋण और अनुदान को निधि लेखा को प्रभारित किया जाता है । निधि लेखा (फंड एकाउन्ट) से दिए गए ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को फंड एकाउन्ट में जमा किया जाता है ।

ख. सामान्य भविष्य निधि

भविष्य निधि अंशदान और निधि में बढ़ी हुई (एक्रीशन) राशि को इस निधि खाते में रखा

जाता है।

ग. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी निधि

दुर्घटना मृत्यु के मामले में मुआवजे के भुगतान के लिए कर्मचारियों से वसूल की गयी राशि को इस खाते में रखा जाता है ।

घ. हितकारी निधि

सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए कर्मचारियों से वसूल की गयी राशि को इस खाते में रखा जाता है ।

ङ. सिविल रख–रखाव कार्य–निधि–आवासीय योजना, 2010 से लेकर आगे की योजनाएँ

यह कॉलोनियों के भविष्य में रखरखाव के लिए आवासीय योजना, 2010 से आगे की योजनाओं के आबंटितियों से एककालिक रखरखाव प्रभारों की वसूली को दर्शाता है।

**16. विशेष आरक्षित निधियाँ**

क. ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि

इस निधि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासों के निर्माण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अधिशेष राशि रखी जाती है ।

ख. आवास अग्नि जोखिम आरक्षित निधि

इस निधि में किराया–खरीद आधार वाली सम्पत्तियों के मामले में सम्पत्ति को होने वाली किसी हानि अथवा क्षति को पूरा करने के लिए आबंटितियों से वसूल किया गया विशेष प्रभार रखा जाता है ।

ग. आकस्मिकता आरक्षित निधि

इस निधि में किन्हीं भावी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए राशि रखी जाती है ।

अनुसूची 'ओ'

## वार्षिक खाता 2015–16

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

## लेखा पर टिप्पणियाँ

1. प्रमुख संविदाओं के संबंध में असमाप्त पूंजीगत प्रतिबद्धता–शून्य (पिछले वर्ष–शून्य)

2. आकस्मिक देयताएँ–

क. दि.वि.प्रा. से संबंधित दावे प्राप्त नहीं हैं क्योंकि 2325.65 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 2351.90 करोड़ रूपये) तक के ऋण संबंधी मामले न्यायालयों में लम्बित हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 31/03/2016 तक जी.डी.ए. में दि.वि.प्रा. से संबंधित लगभग 3890 न्यायिक मामले (पिछले वर्ष 3772 न्यायिक मामले) और नजूल–I एवं नजूल– II में 14608 न्यायिक मामले (पिछले वर्ष 13268 न्यायिक मामले) विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, इस संबंध में आकस्मिक दे यताएं अभिनिश्चित नहीं है।

ख. प्राधिकरण को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अंतर्गत, पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2006 द्वारा आकलन वर्ष 2003–04 से पूर्व प्रभाव सहित, जो अभी प्रचलन में है, "धमार्थ संस्थान" के रूप में मान्यता दी गई है, जो सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत रहते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत छूट के हकदार हैं। तथापि, आकलन वर्ष 2003–04 से 2013–14 के लिए आकलन में, इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आकलन अधिकारी ने छूट के लाभ की अनुमति नहीं दी है और प्राधिकरण अपनी आय पर कर अदा करेगा, हालांकि प्राधिकरण उपर्युक्त धारा में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है ।

उक्त आकलन वर्ष में 1880.57 करोड़ रूपये की मांग बनी रही जो आयकर अपील अधिकरण (आकलन वर्ष 2003–04 और 2005–06 से 2010–11 के लिए) और आयुक्त (अपील) (आकलन वर्ष 2011–12 एवं 2013–14) के समक्ष अपील में विवादित हैं । इसके अतिरिक्त, समय सीमा (टाइम लिमिट) के मामले पर आकलन वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक के लिए विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई । याचिका स्वीकृत की गई और इसका निपटान अभी लम्बित है ।

प्राधिकरण ने निर्धारण अधिकारी एवं माननीय आय कर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली द्वारा प्रदान स्थगन आदेश की अपेक्षा की पूर्ति के लिए 1880.57 करोड़ रुपए की कुल मांग के प्रति 31.03.2016 तक आयकर प्राधिकरण को, 436.84 करोड़ रुपए जमा किए गए । इसके अलावा, यदि उक्त कर देयता की अंततः पुष्टि हो जाती है, तो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, लगभग 675 करोड़ रू. की ब्याज राशि और दंड राशि भी ली जाएगी।

चूँकि मांग विवादाधीन है, अतः प्राधिकरण ने इन लेखों में वर्ष के लिए अपनी आय पर अथवा निर्धारण वर्ष 2003–04 और 2005–06 से 2013–14 के लिए कुल 1880.57 करोड़ रुपए की मांगों के लिए आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त, व्यय के कुछ हिस्सों को अनुमति न देकर 2003–04 से 2010–11 के निर्धारण वर्षो के निर्धारणों में 296.83 करोड़ रुपए की मांग उठाई गई । जिसे आयुक्त (अपील) के अपीलीय आदेश में खारिज कर दिया गया । हालांकि इन विलोपनों (डिलिशन) के विरूद्ध आयकर विभाग ने माननीय आयकर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की है।

ग. कम कटौतियों, टी.डी.एस. का देरी से भुगतान और टी.डी.एस. विवरणी को विलंब से जमा कराने पर विभिन्न वित्त वर्षो के लिए टीडीएस, ब्याज/जुर्माना के रूप में 2.50 करोड़ रुपए की मांग लंबित है, जिसके लिए दि.वि.प्रा. ने अपील की है। तद्नुसार खातों में इसके लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया।

घ. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एस.डी.एम.सी.) ने अपनी तरफ से और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ई.डी.एम.सी.) एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) की तरफ से 319 सम्पत्तियों के संबंध में दिनांक 31.03.2004 तक और 24 खेल परिसरों के संबंध में 31/03/13 तक सम्पत्ति कर एवं ब्याज के रूप में 746.05 करोड़ रूपये की वसूली के लिए दिनांक 10.01.2013 को कुर्की का अधिपत्र जारी किया था। बाद में उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी उक्त 746.05 करोड़ रूपये की देय राशि में से अपने भाग के रूप में क्रमशः 272.16 करोड़ रूपये और 110.28 करोड़ रूपये वसूल करने के लिए दिनांक 22.03.2013 और 25.03.2013 को अलग–अलग कुर्की के अधिपत्र जारी किए । तीनों निगमों द्वारा प्राधिकरण के बैंक खातों की कुर्की द्वारा कुल 195.85 करोड़ रूपये की राशि वसूल की गई है। अन्य सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर के रूप में बाद में 53.75 करोड़ रूपये की मांग की गई थी । चूँकि नगर निगम दि.वि.प्रा. के इस दावे से सहमत नहीं हुए, प्राधिकरण द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट दाखिल की गई जिन्होंने सभी मांगों को खारिज कर दिया और नगर निगमों

को स्वामित्व मुद्दा सुलझाने का निदेश दिया । माननीय न्यायालय के निदेशों के अनुसार प्राधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक के पास 50 करोड़ रुपए की बैंक प्रतिभूति जमा की है। मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है । अगली सुनवाई की तिथि 23.08.2016 के लिए निर्धारित की गई है ।

2014–15 वर्ष के दौरान, पू.दि.न.नि. ने 14.53 करोड़ रू. की मांग उठायी।

उपर्युक्त मांग विवादित हैं और इसे दि.वि.प्रा. द्वारा ऋण के रूप में माना नहीं गया है।

इसके अतिरिक्त, एम.ओ.यू.डी. के निदेशों के अनुसार, दि.वि.प्रा. ने संपत्ति कर और सेवा प्रभारों के रूप में दि.न.नि. को 26.70 करोड़ की राशि का भुगतान किया, इस राशि में दि.वि.प्रा. निर्मित संपत्तियों पर 5.36 करोड़ रूपये शामिल हैं और यह राशि 2004 से 2016 की अवधि के लिए जी.डी.ए. से संबंधित है तथा इसमें वर्ष 2015–16 के लिए नजूल–II की खाली भूमि पर 21.34 करोड़ रूपये की राशि शामिल है। इस राशि को संबंधित खाते से प्रभारित किया जाता है।

ड. लेन–देन को कराधान के दायरे में लाने के लिए संबंधित सांविधियों के संशोधन से पूर्व सौंपी गई संविदाओं के अन्तर्गत सेवा कर और श्रम कर के दावों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

च. आयुक्त, सेवा कर, दिल्ली ने दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के अपने आदेश द्वारा निर्णय दिया और अविकसित एवं विकसित नजूल भूमि की बिक्री तथा 2006–07 से 2011–12 तक की अवधि के लिए भू–भाटक पर 949.60 करोड़ रूपये के सेवा कर की माँग की "अचल सम्पत्तियों का किराया" के रूप में मानते हुए 553.06 करोड़ रूपये के ब्याज की मांग भी की है तथा उस पर 845.95 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया है। प्राधिकरण के उक्त आदेश को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती दी है।

इसके अतिरिक्त, अविकसित एवं विकसित नजूल भूमि के निपटान और भू–भाटक से प्राप्तियों पर सेवा कर के रूप में 1.4.2012 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए 282.18 करोड़ रूपये की मांग के लिए कारण बताओं नोटिस प्राप्त हुए हैं । आयुक्त सेवा कर, दिल्ली को लिखित निवेदन किया गया है।

नजूल भूमि के निपटान से प्राप्तियाँ भूमि के अंतरण के रूप में विक्रय प्रतिफल को दर्शाती हैं और भू–भाटक भू–राजस्व को दर्शाता है, जो अपने आप में सरकारी कर है । दोनों प्राप्तियाँ किराया संबंधी आय प्रकृति की नहीं हैं, जिससे

कि "अचल सम्पत्तियों का किराया" शीर्ष के अन्तर्गत उन पर सेवा कर की वसूली की जाए । और इसलिए खाते में सेवा कर देयता के रूप में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

छ. राष्ट्रमंडल खेलगाँव परियोजना के संबंध में श्रम उपकर यदि कोई हो, के रूप में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यदि कोई निर्धारित देयता हो, तो वह विकासकर्ता से वसूल की जाएगी।

ज. संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय ने दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के अपने नोटिस द्वारा सी.ए.जी. द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर दि.वि.प्रा. में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की निर्माण लागत पर काटे गए श्रम उपकर के रूप में वर्ष 1996 से जुलाई, 2007 तक की अवधि से संबंधित 25.34 करोड़ रूपये की राशि की माँग की है । दि.वि.प्रा. ने उक्त मांग के प्रति लिखित निवेदन दाखिल किया है जिस पर संयुक्त श्रम आयुक्त के समक्ष निर्णय लंबित है । वर्ष के दौरान, मामले की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तद्नुसार, खातों में इसके लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है ।

झ. राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित विभिन्न संविदाएँ विभिन्न समितियों/प्राधिकरणों की जाँच के अधीन है और प्राधिकरण एवं संविदाकर्ताओं/विकासकर्ताओं के दावों और प्रतिदावों की शर्त के अधीन है । तथापि, किसी की वसूली अथवा देयता के पुष्ट निर्धारण के अभाव में इन खातों में इसका कोई प्रभाव नहीं दिया गया है ।

3. "दिल्ली विकास प्राधिकरण के पेंशन निधि ट्रस्ट" और "दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपदान निधि ट्रस्ट" के लिए अलग–अलग वित्तीय विवरण तैयार किया गया है । इन ट्रस्टों के अंशदान को दिनांक 31.03.2016 तक की बीमाकंन मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार रिकार्ड किया गया है ।

4. **कर्मचारी लाभ :**

(i) प्राधिकरण ने दिनांक 31.03.2016 को अपनी उपदान देयता का बीमांकन मूल्यांकन 594.64 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 763.03 करोड़ रू.) करवाया है । बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उपदान निधि के रूप में अंशदान (–)129.12 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 19.95 करोड़ रू.) है, जिसमें नजूल–I का अंश (–)0.35 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.15 करोड़ रू.) है और नजूल–II का अंश (–)49.61 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 10.23 करोड़ रू.) है।

नजूल–I एवं नजूल–II का अंश उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है ।

(ii) प्राधिकरण ने दिनांक 31.03.2016 को अपनी पेंशन देयता का बीमांकन मूल्यांकन 5498.75 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 4556.96 करोड़ रू.) करवाया है। बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पेंशन निधि के रूप में अंशदान 813.66 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 54.72 करोड़ रू.) है, जिसमें नजूल–I का अंश 2.25 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 0.41 करोड़ रू.) और नजूल–II का अंश 319.02 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 28.05 करोड़ रू.) है । नजूल–I एवं नजूल–II का अंश वसूल कर लिया गया है और उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है ।

(iii) प्राधिकरण ने दिनांक 31.03.2016 को अपनी अवकाश नकदीकरण देयता का बीमांकन मूल्यांकन 401.93 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 463.03 करोड़ रू.) करवाया है । बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अवकाश नकदीकरण निधि के रूप में अंशदान (–) 40.20 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष (–) 9.59 करोड़ रू.) है, जिसमें नजूल–I का अंश (–)0.11 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष (–) 0.07 करोड़ रू) है और नजूल–II का अंश (–) 15.69 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष (–) 4.92 करोड़ रू.) शामिल है । नजूल–I एवं एवं नजूल–II का अंश उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है।

(iv) प्राधिकरण ने 31/03/2016 तक सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए 467.90 करोड़ (पिछले वर्ष अनुमानतः 250.00 करोड़ रू.) की राशि की देयता का बीमांकन मूल्यांकन किया और तदनुसार नियोक्ता का अंशदान 195.72 करोड़ रू. (पिछले वर्ष शून्य) उपलब्ध करवाया गया, जिसमें नजूल–I का अंश 0.54 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 0.03 करोड़ रू.) और नजूल–II का अंश 76.36 करोड़ रू. (पिछले वर्ष 2.13 करोड़ रू.) शामिल है। नजूल–I और नजूल–II की अंश राशि को वसूल कर लिया गया और उनके संबंधित खातों में अंतरित कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, दि.वि.प्रा. ने बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ प्रदान किए, विगत वर्ष तक अनुमानित आधार पर तुलना करने पर, आधार में परिवर्तन की वजह से वर्ष के दौरान ऐसे परिवर्तन की वजह से खाते पर प्रभाव निश्चेय नहीं है।

5. 30 करोड़ रूपये की पैकेज डील के अंतर्गत खरीदी गई भूमि के संबंध में भूमि के ऋणदाता के रूप में 3.82 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 3.82 करोड़ रू.) का

भुगतान पुनर्वास मंत्रालय (एम.ओ.आर.) को किया जाना है । भूमि का पूरा कब्जा अभी मंत्रालय से प्राप्त किया जाना है । इसके अलावा कुछ भूमि अन्य विभागों के अधिकार में है, यद्यपि मालिकाना हक प्राधिकरण का है । प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि के संबंध में भूमि स्वामित्व के लिए लेखा बहियों में प्रविष्टियां कर दी गई है ।

6. वर्ष के दौरान, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को अनुदान के रूप में 313.50 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 313.50 करोड़ रू.) की राशि नजूल–II खाते से दी गई है ।

7. उचन्त खाता शेष आवास और अन्य रसीदों के संबंध में पार्टियों से सही जानकारी/वास्तविक चालानों की अनुपलब्धता के कारण 21.35 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 13.98 करोड़ रू. की राशि) बकाया, जो कि समाधान के लिए लंबित हैं ।

8. वर्ष के दौरान, फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए फ्लाई ओवर विभाग को 18.75 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 47.50 करोड़ रू.) शहरी विकास निधि से दिए गए हैं ।

9. राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आई.टी.डी.सी. से खरीदे गए फर्नीचर, साज–सज्जा इत्यादि की पहचान कर ली गई है और उन्हें भुगतान कर दिया गया है। हालांकि, उनके साथ समाधान एवं निपटान अभी किया जाना है ।

10. **आरक्षित निधि :**

(i) 31/03/2016 तक ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि की कुल राशि 1004.78 करोड़ रू. है। वर्ष के दौरान, दि.वि.प्रा. ने 31/03/2015 तक उपयोग में ना लाई जाने वाली राशि के रूप में ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि हेतु राजस्व खाते में अधिशेष राशि से 1000 करोड़ रू. की राशि को विनियोजित किया, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया। इनका निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(5) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) 31/03/2016 को समाप्त वर्ष में आकस्मिक निधि की कुल राशि 1004.54 करोड़ रू. है। इस निधि के लिए, सावधि जमा निवेश 945 करोड़ रू., बैंक शेष राशि 2.98 करोड़ रू. और उपार्जित ब्याज राशि 57.74 करोड़ रूपये है।

11. **निर्धारित निधि :**

(i) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी विकास निधि की कुल राशि 4373.15 करोड़ रू. है और इस निधि के प्रति 4351.19 करोड़ रू. की परिसंपत्तियों में 4045.00 करोड़ रू. का निवेश 119.05 करोड़ रू. का बैंक जमा, 187.14 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज शामिल है । परिसंपत्तियों एवं देयताओं के बीच अंतर के परिणामस्वरूप निधि में से 21.96 करोड़ रुपए की राशि का कम उपयोग हुआ, जो सामान्य विकास खाता निधि, दिल्ली विकास प्राधिकरण से वसूला जाना है। कमी को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–2017 में पूरा किया जाएगा।

(ii) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य भविष्य निधि की कुल राशि 1535.59 करोड़ रुपए है और इस निधि के प्रति 1487.35 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों में 1320.57 करोड़ रुपए का निवेश, 133.67 करोड़ रुपए का बैंक जमा, 33.11 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज शामिल है । परिसंपत्तियों एवं देयताओं के बीच अंतर के परिणामस्वरूप निधि में से 48.24 करोड़ रुपए की राशि का कम उपयोग हुआ, जो सामान्य विकास खाता निधि, दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्य है ।

(iii) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अवकाश नकदीकरण निधि की कुल राशि 510.04 करोड़ रुपए है और इस निधि के प्रति 459.16 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों में 429.66 करोड़ रुपए का निवेश, 22.32 करोड़ रुपए की बैंक जमा, 7.18 करोड़ रुपए के निवेश पर उपार्जित ब्याज शामिल है। परिसंपत्तियों एवं देयताओं के बीच अंतर के परिणामस्वरूप निधि में से 50.83 करोड़ रुपए की राशि का कम उपयोग हुआ । कमी को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–2017 में पूरा कर लिया जाएगा ।

(iv) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पी.आर.एम.एस. निधि की कुल राशि 550.68 करोड़ रुपए है और इस निधि के प्रति 466.86 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों में 249.83 करोड़ रुपए का निवेश, 214.39 करोड़ रुपए की बैंक जमा, 2.64 करोड़ रुपए का उपार्जित ब्याज शामिल है । परिसंपत्तियों एवं देयताओं के बीच अंतर के परिणामस्वरूप निधि में से 83.82 करोड़ रुपए की राशि का कम उपयोग हुआ। 83.82 करोड़ रुपए की कमी को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूरा कर लिया जाएगा ।

(v) वर्ष 2015–16 के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दि.वि.प्रा. चिकित्सा नियमों में वर्णित दि.वि.प्रा. के कार्यरत कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और

आश्रितों के लाभ हेतु "दि.वि.प्रा. स्टाफ लाभ निधि" को सृजित किया और वर्ष के दौरान इसमें 1.50 करोड़ रू. का अंशदान दिया गया। इस निधि में कुल 1.38 करोड़ रू. की परिसंपत्तियां है जिसमें 1.30 करोड़ रू. का निवेश, 0.07 करोड़ रू. की बैंक शेष राशि और 0.01 करोड़ रू. की उपार्जित ब्याज राशि शामिल है।

(vi) 31/03/2016 को समाप्त वर्ष के लिए सिविल कार्य प्रबंधन निधि की कुल राशि 395.90 करोड़ रू. है और इस निधि के लिए परिसंपत्तियों की कुल राशि 265.53 करोड़ रू. है जिसमें 245 करोड़ रू. की निवेश राशि और 20.53 करोड़ रू. की उपार्जित ब्याज राशि शामिल है। परिसंपत्तियों और देयताओं के मध्य अंतर के परिणामस्वरूप निधि में से 130.36 करोड़ रू. की राशि का कम उपयोग हुआ। 130.37 करोड़ रुपये की कमी को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–2016 में पूरा कर लिया जाएगा।

12. देनदारों के खातों और उनके आयुवार विवरण का समाधान तैयार किया जा रहा है।

13. दि.वि.प्रा. की लेखांकन नीति (11) ख के अनुसार, भूमि की लागत का निर्धारण आवास योजना के पूरा होने के समय किया गया है। इसका भुगतान उस वर्ष से तीन अनुवर्ती समान वार्षिक ब्याज राशि में नजूल–II को किया जाता है, जिस वर्ष में स्कीम पूरी हुई हो।

14. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निदेशों के अनुपालन में, दि.वि.प्रा. ने "डी.डी.ए.–यमुना पॉल्यूशन पेनल्टी एकाउन्ट" के नाम से एक बचत बैंक खाता खोला। यमुना नदी मुहाना में किसी भी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री को डालने पर दंड–राशि/मुआवजे की राशि को इस खाते में जमा किया जाएगा और इस राशि का उपयोग यमुना नदी की साफ–सफाई की परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाएगा–अनुसूची–बी का संदर्भ लें।

15. दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, सूची के प्रारंभिक स्टॉक में 252 फ्लैट, 13 गैराज और 140 दुकानें शामिल नहीं है, जिनके कब्जा पत्र चालू वर्ष में जारी किए गए हैं । इन स्टॉकों को निर्मित आवासों के मामले में 41.34 करोड़ रु. और निर्मित दुकानों एवं गैराज के मामले में 34.01 करोड़ रु. की राशि वाली पूर्व अवधि की मदों के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में शामिल किया गया है।

16. नजूल–I (पुरानी नजूल सम्पदा) और नजूल–II (भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण) संबंधी लेन–देनों को, सरकारी खाते में लेन–देन होने के नाते, पृथक शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और दि.वि.प्रा. (बजट एवं लेखा) नियम, 1982

में निर्धारित प्रारूप में पृथक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया जाता है । उक्त खातों की प्राप्तियों एवं भुगतान की निवल शेष राशि को प्राधिकरण की नकद एवं बैंक शेष राशि में से घटाया जाता है। नजूल खातों के घाटे को प्राधिकरण की निधि से पूरा किया जाता है और इसे अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है ।

17. (i) शहरी विकास के निदेशों के अनुसार, नजूल–II से संबंधित राष्ट्रमंडल खेल 2010 के 378 फ्लैटों में से (पीपीपी मोड के अंतर्गत एक तिहाई शेयर होने पर), 155 फ्लैटों को वर्ष 2014–15 में और वर्ष 2015–16 में 223 फ्लैटों को बिना उनसे कोई लागत वसूले संपदा निदेशालय को सौंप दिया गया।

(ii) दि.वि.प्रा. ने बैलआउट पैकेज के अंतर्गत 333 फ्लैटों को खरीदा, जिसमें से 45 फ्लैटों को स्टाफ क्वार्टर के रूप में संरक्षित रखा गया, 74 फ्लैटों को बेचा गया तथा शेष 214 फ्लैटों को दि.वि.प्रा. के स्टॉफ के रूप में रखा गया।

18. वर्ष के दौरान, विद्युत कार्य रखरखाव निधि–आवास योजना, 2014 से आगे की योजना (अनुसूची–बी का संदर्भ लें), कॉलोनियों के भविष्य में विद्युत रख–रखाव के लिए आवासीय योजना 2014 से आगे की योजना के आबंटितियों से विद्युत प्रबंधन प्रभारों को वसूलने को दर्शाता है।

19. इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुपालन के लिए पिछले साल के आंकड़े को यथा आवश्यक
पुनः एकत्रित/पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है ।

20. अनुसूची 'ए' से 'ओ' फार्म खातों का आंतरिक हिस्सा है ।

21. सामान्य विकास खाता नजूल–I, नजूल–II, पेंशन निधि ट्रस्ट और उपदान निधि ट्रस्ट के निवेश और बैंक शेष के समेकित विवरण को अनुसूची 'पी' में दर्शाया गया है ।

| | | |
|---|---|---|
| **ह0/–** | **ह0/** | **ह0/** |
| **वरिष्ठ लेखाधिकारी** | **उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)** | **मुख्य लेखाधिकारी** |

दिनांक : 14/06/2016
स्थान : नई दिल्ली

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

### 31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार निवेश और बैंक शेष का विवरण (करोड़ रु. में)

अनुसूची –पी.

| लेखा शीर्ष | सामान्य विकास खाता | | | | | | | | | | | नजूल खाता–I | नजूल खाता–II | | | | | | | पेंशन निधि ट्रस्ट | उपदान निधि ट्रस्ट | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | यूडीएफ | छुट्टी नकदीकरण | जी.डी.ए. सामान्य निवेश | जी.पी.एफ. | आकस्मिक आरक्षित निधि | सीडब्ल्यूजीआर क्षित निधि | ईडब्ल्यूएस आरक्षित निधि | कर्मचारी हित | एकबारगी रखरखाव | पीआरएमएस | जीडीए का उप योग | रोकड़ शेष निवेश | नजूल खाता–II सामान्य निवेश | एस्क्रो (ई.डब्ल्यू.एस.) | एच.आर.डी. | शहरी विरासत निधि | एस्क्रो (एफ.ए.आर.) | निवेश (खेल) | उप योग नजूल–II | | | |
| एफ डी | 4045.00 | – | 1796.53 | 45.37 | 945.00 | – | 895.00 | 1.30 | 245.00 | – | 7973.20 | – | 11456.11 | 57.00 | 0.22 | 0.30 | 3.00 | 79.38 | 11596.01 | – | – | 19569.21 |
| सरकारी प्रतिभूतियां | – | 118.00 | – | 496.08 | – | – | – | – | – | 40.00 | 654.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 671.25 | 144.96 | 1,470.29 |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | – | 10.00 | – | 272.00 | – | – | – | – | – | 47.50 | 329.50 | – | – | – | | – | – | – | – | 250.97 | 135.27 | 715.74 |
| म्युचुअल फंड | – | 79.00 | – | 81.00 | – | – | – | – | – | 30.50 | 190.50 | – | – | – | | – | – | – | – | 42.00 | 47.00 | 279.50 |
| मुद्रा एवं बाजार | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | 4.00 | 4.00 |
| डिबेंचर एवं बॉण्ड | – | 106.35 | – | 426.10 | – | – | – | – | – | 65.65 | 598.30 | – | – | – | | – | – | | – | 322.75 | 121.89 | 1042.94 |
| एस.आई.सी. /अन्य बीमा कंपनियां | – | 116.32 | – | – | – | – | – | – | – | 65.99 | 182.31 | – | – | – | | – | – | – | – | 3437.56 | 163.71 | 3783.58 |
| कुल | 4045.00 | 429.67 | 1796.53 | 1,320.55 | 945.00 | – | 895.00 | 1.30 | 245.00 | 249.84 | 9927.89 | – | 11456.11 | 57.00 | 0.22 | 0.30 | 3.00 | 79.38 | 11596.01 | 4724.53 | 616.83 | 26865.26 |
| बचत बैंक | 119.05 | 22.32 | 367.09 | 133.67 | 2.98 | – | 0.52 | 0.07 | – | 214.39 | 860.09 | – | 259.34 | – | – | – | – | – | 259.34 | 154.07 | 31.89 | 1305.39 |
| महायोग | 4164.05 | 451.99 | 2163.62 | 1454.22 | 947.98 | – | 895.52 | – | – | 464.23 | 10787.98 | – | 11715.45 | 57.00 | 0.22 | 0.30 | 3.00 | 79.38 | 11855.35 | 4878.60 | 648.72 | 28170.65 |

* सामान्य निवेश के बचत खाता शेष का पता लगाने के लिए ट्रांजिट में रेमिटैन्स को अलग रखा गया है।

हस्ता./–
वरिष्ठ लेखाधिकारी लेखा (मुख्य)

हस्ता./–
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता./–
मुख्य लेखाधिकारी

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## नजूल–I

## वार्षिक लेखा

## 2015–16

## दिल्ली विकास प्राधिकरण
## वर्ष 2015–16 का वार्षिक खाता
## नजूल खाता–I
## 31 मार्च, 2016 को तुलन–पत्र

रुपये करोड़ में

**देयताएं**

| क्र.सं. | लेखाशीर्ष | अनुसूची | 2015–16 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|
| I | नजूल करार 1937 के खंड 9 के अंतर्गत सरकार को देय संचित अधिशेष निधि | एस | 21.21 | 21.77 |
| II | जमा | | | |
| | क. प्रतिभूतियां | | – | 0.00 |
| | ख. अन्य प्रभार | | – | 1.19 |
| | ग. विकास प्रभार | | – | 0.00 |
| III | अन्य खातों से प्राप्त राशि | | 201.48 | 198.48 |
| IV | विविध लेनदार | टी | 0.89 | 0.51 |
| V | पिछले तुलनपत्र के अनुसार देयता पर परिसम्पत्तियों की अधिकता | | (25.90) | (22.83) |
| | घटाएं : पिछले तुलनपत्र के अनुसार देयताएं | | | |
| VI | वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता भाग–I | | 0.67 | 0.11 |
| VII | नजूल करार के अंतर्गत संचित प्राप्तियों मे अंतरित राशि | | (0.79) | (3.17) |
| | | | 197.56 | 196.06 |

**परिसम्पत्तियाँ**

| क्र.सं. | लेखाशीर्ष | अनुसूची | 2015–16 | 2014–15 |
|---|---|---|---|---|
| I | रोकड़ एवं बैंक शेष | एम | 1.26 | 1.83 |
| II | निवेश | | – | – |
| III | भूमि एवं कार्यों पर संचित व्यय | | 19.94 | 19.94 |
| IV | जमा | | – | – |
| V | अग्रिम | | | |
| | क) अन्य खातों को अग्रिम(पी.जी.डी.ए.) | | – | – |
| | ख) अन्य अग्रिम | | – | – |
| | ग) अन्य खातों को अंतरित राशि | | – | – |
| | घ) पी.एल.ए. | | – | – |
| VI | विविध देनदार<br>घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | क्यू | 80.66 | 22.50 |
| VII | सम्पत्ति | आर | 0.46 | 0.50 |
| VIII | आय पर व्यय की अधिकता (भाग–II) | | 95.24 | 151.29 |
| | | | 197.56 | 196.06 |

हस्ता./–
वरि. लेखाधिकारी
(लेखा) मुख्य

हस्ता./–
उप मुख्य
लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता./–
मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक 14.06.2016
स्थान: नई दिल्ली

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## वर्ष 2015–16 का वार्षिक खाता

### नजूल खाता–I

### 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष को आय एवं व्यय लेखा

रुपये करोड़ में

| व्यय | | | | आय | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.स. | लेखाशीर्ष | व्यय 2015–16 | व्यय 2014–15 | क्र.स. | लेखाशीर्ष | व्यय 2015–16 | व्यय 2014–15 |
| I | 01.04.2015 को भूमि तथा निर्माण कार्यों पर संचित व्यय | 19.94 | 19.94 | I | भूमि प्राशुल्क के निपटान से प्राप्तियां | 0.67 | 0.11 |
| II | भूमि एवं निर्माण कार्यों पर व्यय | – | – | II | एल एंड डी ओ कार्यालय से अंतरित भूमि | – | – |
| III | व्यय पर आय की अधिकता (भाग–1) | 0.67 | 0.11 | III | निवेश पर ब्याज | – | – |
| | | | | IV | 31.3.2016 को भूमि एवं निर्माण कार्यों पर संचित व्यय | 19.94 | 19.94 |
| | **कुल** | **20.61** | **20.05** | | **कुल** | **20.61** | **20.05** |
| IV | प्रशासन की लागत | | | V | राजस्व | | |
| | (i) अधिकारी | 2.12 | 2.21 | | क) भू–भाटक | 2.42 | 10.93 |
| | (ii) संस्थापना | 3.45 | 3.81 | | ख) अन्य प्राप्तियां | 0.94 | 0.53 |
| | (iii) अन्य प्रभार | 0.41 | 1.53 | | ग) क्षतिपूर्ति | 10.43 | 1.41 |
| | (iv) पेंशन अंशदान 2.29 जमाः पूर्व अवधि व्यय 0.07 | 2.37 | 1.91 | VI | (घ) पूर्व अवधि आय | 52.91 | – |
| | (v) उपदान अंशदान : | (0.35) | 0.15 | VII | (ङ) अन्य नजूल राजस्व | 5.05 | 7.33 |
| | | | | | (च) राइट बैक शेष | 1.19 | |
| | | | | | (छ) आय पर व्यय की अधिकता | – | 7.03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (VI) अवकाश नकदीकरण अंशदान 0.11<br>जमा: पूर्व अवधि व्यय 0.02 | 0.13 | 0.16 | – | – | – | – |
| | (VII) सेवानिवृत्ति उपरान्त 0.54<br>चिकित्सा योजना<br>जमा : पूर्व अवधि व्यय 0.08 | 0.62 | 0.03 | | | | |
| | (VIII) नई पेंशन योजना | 0.04 | 0.04 | | | | |
| | (IX) हितकारी निधि 0.07<br>जमा :पूर्व अवधि व्यय 0.02 | 0.09 | – | | | | |
| | घटा : निर्माण कार्यो से वसूल किए वसूली प्रभार | 0.96 | (1.85) | | | | |
| V | सरकार को नजूल राजस्व का भुगतान | 0.01 | 0.01 | | | | |
| VI | मूल्यह्रास | 0.04 | 0.05 | | | | |
| VII | अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान | – | – | | | | |
| VIII | छोड़ी गई मांग | – | – | | | | |
| IX | विभिन्न योजनाओं के रख–रखाव पर किया गया विविध व्यय | 8.89 | 19.19 | | | | |
| X | व्यय पर आय की अधिकता (भाग–II) | 56.08 | – | | | | |
| | कुल | 72.94 | 27.23 | | कुल | 72.94 | 27.23 |

हस्ता./–
वरि. लेखाधिकारी
लेखा (मुख्य)

हस्ता./–
उप मुख्य
लेखाधिकारी (लेखा)

हस्ता./–
मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक 14.06.2016
स्थान: नई दिल्ली

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## वर्ष 2015–16 के वार्षिक खाते

## नजूल खाता–।

### 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

रुपये करोड़ में

| प्राप्तियां | | | | भुगतान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | लेखाशीर्ष | वास्तविक प्राप्तियां (2015–16) | वास्तविक प्राप्तियां (2014–15) | क्र.सं. | लेखा शीर्ष | वास्तविक व्यय (2015–16) | वास्तविक व्यय (2014–15) |
| I | कार्य एवं विकास योजनाओं से राजस्व | | | I | प्रशासन की शेयर लागत | 8.51 | 9.81 |
| | क) प्राशुल्क | 0.67 | 0.11 | | घटाएं : कार्यों से प्राप्त संस्थापना प्रभार | (0.96) | (1.85) |
| | ख) भू–भाटक | 2.42 | 10.94 | | | 7.55 | 7.96 |
| | ग) अन्य प्राप्तियां | 0.94 | 0.53 | | | | |
| II | क्षतिपूर्ति | 5.16 | 1.41 | II | कार्यों एवं विकास योजनाओं पर व्यय | 8.89 | 19.19 |
| III | अन्य नजूल राजस्व | – | – | III | विविध व्यय | – | – |
| | क) कृषि भूमि तथा अन्य भूमि से राजस्व | – | – | IV | नजूल राजस्व का भुगतान | 0.01 | 0.01 |
| | ख) अन्य राजस्व | 5.05 | 7.33 | V | ऋण पर ब्याज | – | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | दिल्ली मुख्य योजना | – | – | VI | दिल्ली मुख्य योजना | 1.36 | 1.39 |
| V | दिल्ली की नई मुख्य योजना | – | – | VII | दिल्ली की नई मुख्य योजना | – | – |
| VI | भूमि एवं विकास कार्यालय ग्राम सभा से अंतरित भूमि | – | – | VIII | ऋण का पुनर्भुगतान | – | – |
| VII | निवेश से ब्याज | – | – | IX | दिल्ली के आसपास झीलों का विकास एवं निर्माण | – | – |
| VIII | दिल्ली के आसपास झीलों का विकास एवं निर्माण | – | – | X | भूमि एवं विकास विभाग से अंतरित भूमि | – | – |
| IX | ऋण प्राप्तियां | – | – | | | | |
| | कुल | 14.24 | 20.33 | | कुल | 17.81 | 28.55 |
| X | जमा एवं अग्रिम | | | XI | जमा एवं अग्रिम | – | – |
| i | उचंत खाता | – | – | (i) | उचंत खाता | – | – |
| | (क) निवेश–नकद शेष निवेश खाता | – | – | | क) निवेश–नकद शेष निवेश खाता | – | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ख) अन्य उचंत मदें | – | – | | ख) अन्य उचंत मदें | – | – |
| (II) | जमा | – | – | II | जमा | – | – |
| (III) | अग्रिम (एच.बी.ए.) | – | – | III | अग्रिम (एच.बी.ए.) | – | – |
| (IV) | पी.एल.ए. | – | – | IV | पी.एल.ए. | – | – |
| (V) | अन्य खातों से प्राप्त राशि (बी.जी.डी.ए.) | 3.00 | 10.00 | | | | |
| | कुल जमा एवं अग्रिम | 3.00 | 10.00 | | कुल जमा एवं अग्रिम | | |
| | कुल प्राप्तियां | 17.24 | 30.33 | | कुल भुगतान | 17.81 | 28.55 |
| | प्रारंभिक शेष | 1.83 | 0.05 | | अन्तिम शेष | 1.26 | 1.83 |
| | महायोग | 19.07 | 30.38 | | महायोग | 19.07 | 30.38 |

हस्ता./–
वरि. लेखाधिकारी
(लेखा) मुख्य

हस्ता./–
उप मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा)

हस्ता./–
मुख्य लेखाधिकारी

दिनांक : 14/06/2016
स्थान : नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल खाता– I

अनुसूची–क्यू

दिनांक 31.3.2016 को विविध देनदारों का विवरण

(राशि करोड़ में)

| क्रम सं. | विवरण | 2015–16 | 2014–15 |
|---|---|---|---|
| I | प्राशुल्क (पट्टेदार द्वारा देय भूमि के पट्टे के लिए) | 0.93 | 0.93 |
| II | भू–भाटक (पट्टा भूमि के पट्टेदार द्वारा देय) | 1.28 | 1.29 |
| III | अन्य प्राप्तियां (स्टाफ क्वाटर) | 1.50 | 1.50 |
| IV | नजूल I और/सम्पत्तियों के अनधिकृत अधिभोग हेतु वसूल की गई क्षतिपूर्ति | 76.66 | 18.49 |
| V | अन्य नजूल प्राप्तियां | 0.29 | 0.29 |
| VI | भूमि एवं विकास विभाग/ग्राम सभा को अंतरित भूमि | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **80.66** | **22.49** |

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नजूल खाता– I

अनुसूची–आर

<u>दिनांक 31.3.2016 को संपत्ति का विवरण</u>

(राशि करोड़ रूपये में)

| क्र.सं. | संपत्ति का विवरण | आरंभिक शेष | वृद्धि | कुल | मूल्यहास | अंत शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | मोटर वाहन | 0.09 | — | 0.09 | 0.01 | 0.08 |
| II | फर्नीचर | 0.06 | — | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| III | अन्य कार्यालय उपकरण | 0.04 | — | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| IV | सर्वेक्षण एवं ड्राइंग उपकरण | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V | स्टाफ क्वार्टर | 0.29 | — | 0.29 | 0.01 | 0.27 |
| VI | झंडेवालान में 128 एकड़ भूमि पर अस्थाई कबाड़ी बाजार का विकास | 0.01 | — | 0.01 | — | 0.01 |
| VII | रानी झांसी रोड में जनता मार्किट | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIII | अजमेरी गेट में पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराना । | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **0.50** | — | **0.50** | **0.04** | **0.46** |

## दिल्ली विकास प्राधिकरण
### नजूल लेखा–।

अनुसूची – एस

**नजूल करार–1937 के अंतर्गत सरकार को देय/भुगतान की गई निधियों का विवरण**

(राशि करोड़ रूपये में)

| विवरण | 2015–16 | 2014–15 |
|---|---|---|
| 31.3.2015 तक निधियों का अंतरण<br>जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि | 44.29<br>0.79 | 41.11<br>3.18 |
| (क) शेष | 45.08 | 44.29 |
| 31.3.2015 तक पुरानी दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना पर कुल व्यय<br>जोड़े : 2015–16 के दौरान व्यय<br>घटाएं : वर्ष के दौरान विक्रय कार्यवाही के रूप में प्राप्तियाँ | 20.01<br>1.36<br>– | 18.62<br>1.39 |
| दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना (क) पर निवल व्यय | 21.37 | 20.01 |
| 31.3.2015 तक नई दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना पर किया गया कुल व्यय<br>जोडें : 2015–16 के दौरान व्यय<br>घटाएं : वर्ष के दौरान विक्रय कार्यवाही के रूप में प्राप्तियाँ | 2.50<br>– | 2.50<br>– |
| दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना (ख) पर निवल व्यय | 2.50 | 2.50 |
| (ख) कुल व्यय (क+ख) | 23.87 | 22.52 |
| | | |
| तुलन–पत्र में आगे लाया गया शेष (क–ख) | 21.21 | 21.78 |

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नजूल खाता–I

अनुसूची–टी

31.03.2016 तक विविध लेनदारों का विवरण

(राशि करोड़ रूपये में)

| विवरण | 2015–16 | 2014–15 |
|---|---|---|
| प्रशासन वेतन एवं अन्य प्रभार | 0.89 | 0.52 |
| **कुल** | **0.89** | **0.52** |

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## नजूल खाता–II

## वार्षिक लेखा

## 2015–16

# वर्ष 2015–16 के वार्षिक खाते

## नजूल खाता–II

### 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि करोड़ रू. में)

| प्राप्तियां | | | | भुगतान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | लेखाशीर्ष | वास्तविक प्राप्तियां 2015–16 | वास्तविक प्राप्तियां 2014–15 | क्र.सं. | लेखाशीर्ष | वास्तविक व्यय 2015–16 | वास्तविक व्यय 2014–15 |
| I सी | विकसित भूमि के निपटान से प्राप्तियां– प्राशुल्क | 219.66 | 739.56 | 1–सी | भूमि के अधिग्रहण के लिए दिल्ली प्रशासन (भूमि एवं भवन विभाग) को भुगतान | 37.41 | 300.57 |
| | | | | | मुआवजे की राशि | 0.20 | |
| | | | | | बढ़े हुए मुआवजे की राशि | 145.12 | |
| | | | – | | विशेष पुनरुद्धार पैकेज का भुगतान | – | 92.28 |
| II सी | अविकसित भूमि के निपटान से प्राप्तियां– प्राशुल्क | 510.04 | 412.15 | 2–सी | भूमि विकास पर व्यय | 375.09 | 446.24 |
| | | | – | | मुख्य योजना एवं अन्य सहगामी योजनाएं | 807.01 | 788.55 |
| | | | – | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | खेल परिसर | 75.31 | 68.35 |
| | | | | | **भूमि विकास पर कुल व्यय 2–सी** | **1,257.41** | **1,303.14** |
| III सी | भू–भाटक एवं अन्य प्राप्तियां | 141.47 | 235.20 | 3–सी | राष्ट्रमंडल खेल–2010 व्यय | – | – |
| | केन्द्र सरकार से अनुदान–राष्ट्रमंडल खेल–2010 | – | – | | योजनाओं में शामिल सड़कों के अतिरिक्त सड़कों के निर्माण पर व्यय | – | – |
| | रा.मं.खे. फ्लैटों के निपटान से प्राप्तियाँ | – | – | | | | – |
| | | – | – | | | | – |
| IV सी | **विविध प्राप्तियाँ** | – | – | | | – | – |
| (क) | संघटन शुल्क | 15.13 | 26.18 | 4–सी | विकास योजनाओं में शामिल भवनों से भिन्न भवनों पर व्यय | – | – |
| (ख) | निवेश से ब्याज | | | | – | | – |
| | नजूल–II निवेश पर ब्याज | 1069.20 | 1,155.01 | | दि.न.नि. को भुगतान | 21.34 | |
| | खेल निवेश पर ब्याज | 6.02 | 6.47 | | | | |
| | एस्क्रो ई.डब्ल्यू.एस. पर ब्याज | 4.92 | 4.95 | | | | |
| | एस्क्रो एफ.ए.आर. पर ब्याज | 0.32 | 0.15 | | | | |
| | एच.आर.डी. पर ब्याज | 0.01 | 0.01 | | | | |
| | यू.एच.एफ. पर ब्याज | 0.03 | 0.01 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ग) | अन्य विविध प्राप्तियां | 85.16 | 293.62 | 5–सी | प्रशासन प्रभार की शेयर लागत | 634.18 | 503.32 |
| | शहरी विरासत खाते से ब्याज | – | – | | संस्थापना प्रभार घटाएं | –118.03 | –107.98 |
| | खेल परिसर | 79.00 | 52.44 | | **निवल शेयर लागत** | **516.15** | **3,953,393,313.26** |
| | ई.डब्ल्यू. एस. निधि | – | – | 6–सी | ऋण पर ब्याज (अर्थोपाय अग्रिम) | – | – |
| | ई.डब्ल्यू. एस. निधि पर ब्याज | – | – | | प्राशुल्क की वापसी | 27.34 | 28.83 |
| | | – | – | | | | |
| | **IV सी कुल** | **1,259.79** | **1,538.84** | – | – | | – |
| | | | – | | | | – |
| V-सी | दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई तदर्थ वृद्धि/तदर्थ कटौती | – | – | 7–सी | घटाए : दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई तदर्थ कटौती | – | – |
| | | | | | – | | |
| | | | | | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रदान किया गया अनुदान | – | – |
| | | | | | दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन को भुगतान की गई राशि | 313.50 | 313.50 |
| | | – | – | | – | – | – |
| | **कुल** | **2,130.95** | **2,925.75** | | **कुल** | **2,318.46** | **2,433.66** |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI–सी | ऋण प्राप्ति | – | – | 8–सी | ऋण का पुनर्भुगतान | – | – |
| ( i ) | केन्द्र सरकार से ऋण (अर्थोपाय अग्रिम) | – | – | i) | केन्द्र सरकार को ऋण का पुनर्भुगतान | – | – |
| ( ii ) | अन्य खातों से प्राप्त राशि | – | – | ii) | अन्य खातों को वापिस की गई राशि | – | – |
| | | – | – | | 74रा.मं. खेल फ्लैटों की बिक्री के लिए बी.जी.डी.ए. को भुगतान की गई राशि | – | 440.36 |
| VII-सी | जमा एवं अग्रिम | – | – | 9–सी | जमा एवं अग्रिम | – | – |
| i ) | उचंत खाता | – | – | i) | उचन्त खाता | – | – |
| क) | निवेश–नकद शेष निवेश खाता | 12,234.00 | 12,892.00 | क) | निवेश–नकद शेष निवेश खाता | 12,357.72 | 12,751.00 |
| ख) | निवेश खाता खेल | 63.60 | 64.80 | ख) | निवेश खाता खेल | 79.38 | 63.60 |
| ग) | एस्क्रो नकदीकरण | 52.00 | 46.80 | ग) | निवेश एस्क्रो खाता | 57.00 | 52.00 |
| घ) | मानव संसाधन विकास नकदीकरण | 0.14 | 0.19 | घ) | मानव संसाधन विकास निवेश | 0.22 | 0.14 |
| ड.) | एस्क्रो एफ.ए.आर. नकदीकरण | 3.00 | 1.50 | ड) | एस्क्रो एफ ए आर निवेश | 3.00 | 3.00 |
| च) | शहरी विरासत पुरस्कार निधि नकदीकरण | 0.28 | – | च) | शहरी विरासत पुरस्कार निधि निवेश | 0.30 | 0.28 |
| ii) | ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण के लिए एस्क्रो खाता (जी.एच.एस.) से निधियां | 0.10 | 0.24 | ii) | ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण के लिए एस्क्रो खाता (जी.एच.एस.) से | | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | निधियां | | |
| iii) | शहरी विरासत निधि की प्राप्ति | 0.00 | 0.01 | iii) | शहरी विरासत निधि संवितरण | 0.50 | 1.03 |
| iv) | अन्य उचन्त खाता | | – | iv) | अन्य उचन्त खाते | – | – |
| v) | जमा | – | –0.01 | v) | जमा | – | 1.20 |
| vi) | परिक्रामी निधि से प्राप्त की गई राशि | 1,257.71 | 1,303.14 | vi) | परिक्रामी निधि को भुगतान की गई राशि | 1,257.41 | 1,303.14 |
| vii) | जी डी ए से प्राप्त राशि | – | – | vii) | जी डी ए को भुगतान की गई राशि | – | 100.00 |
| | | | | | | | |
| | कुल जमा एवं अग्रिम | 13,610.53 | 14,308.66 | | कुल जमा एवं अग्रिम | 13,755.52 | 14,275.39 |
| | कुल प्राप्तियाँ | 15,741.48 | 17,234.42 | | कुल भुगतान | 16,073.98 | 17,149.41 |
| | आरंभिक शेष | 591.84 | 506.83 | | अन्त शेष | 259.34 | 591.84 |
| | महायोग | 16,333.32 | 17,741.25 | | महायोग | 16,333.32 | 17,741.25 |

दिनांक : 14.06.2016
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
वरिष्ठ लेखाधिकारी

हस्ता./–
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा )

हस्ता./–
मु.लेखाधिकारी

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## पेंशन निधि ट्रस्ट

## वार्षिक लेखा

## 2015–16

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट

के सदस्य,

हमने **'दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट' के** संलग्न वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 तक को तुलन–पत्र तथा तब समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं लेखों पर टिप्पणियां शामिल है ।

### वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है । इन उत्तरदायित्व में विषय के मिथ्या–कथन चाहे छल अथवा त्रुटि की वजह से हो , से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु संगत डिजाइन, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण का रखरखाव शामिल है ।

### लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है । हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानदंडों के अनुरूप की है। उन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजनाओं का अनुपालन करें तथा यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण विषय के गलत विवरण से मुक्त है ।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में राशि एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का निष्पादन करना शामिल है । चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के मिथ्या कथन, चाहे छल या त्रुटि के कारण का, के जोखिम मूल्यांकन शामिल है । उन जोखिम मूल्यांकनों को तैयार करने में लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा की कार्यबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए ट्रस्ट तैयार करने और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण को उपयुक्त मानता है, जो परिस्थितियों के मामले में उचित होता है, लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं होता है । लेखा परीक्षा में प्रयोग की गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखा अनुमानों के औचित्य तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है । हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है ।

## राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना उसी रूप में प्रदान करते हैं तथा एक सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं :

(क) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च 2016 को ट्रस्ट के कार्यों की स्थिति, और

(ख) आय एवं व्यय खातों के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु व्यय पर आय की अधिकता ।

कृते के.ए..आर.एम.वी. एण्ड कंपनी हेतु
चार्टेड एकाउन्टेन्ट
एफ.आर.एन. 023022एन

ह0/–
(सी.ए. कैलाश कुमार)
एम.सं0 511322
पार्टनर

## दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट

## महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी

### 1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किया जाता है ।
ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।
ग. ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर जाना जाता है ।
घ. निवेश् की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है ।

### 1. लेखा की टिप्पणी

क. नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाते में अभिज्ञात सीमा तक अंशदान को रिकॉर्ड किया गया है जो वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्य पर आधारित है।

ख. म्यूचुअल फंड निवेश पर आय की राशि को म्यूचुअल फंड मोचन/ब्याज की प्राप्ति के मोचन के समय ज्ञात किया जाता है ।

ग. निवेश को सरकारी प्रतिभूतियों, बान्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया जाता है।

ह0/–
**मुख्य लेखा अधिकारी**
**ट्रस्टी**

ह0/–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा)

ह0/–
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14.06.2016

# दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट

## 31 मार्च, 2016 को तुलन–पत्र

(रूपये करोड़ में)

| देयताएँ | | 31.03.2016 तक राशि | | 31.03.2015 तक राशि | परिसम्पत्तियाँ | 31.03.2016 तक राशि | 31.03.2015 तक राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निधि का प्रारम्भिक शेष | 4,556.96 | | 4,136.08 | | निवेश | 4,724.53 | 3,712.35 |
| जमा : नियोक्ता अंशदान | – | | – | | निवेश पर प्राप्त ब्याज | 44.74 | 755.63 |
| चालू वर्ष | 813.66 | | 54.72 | | बैंक शेष | 154.07 | 40.70 |
| पूर्व अवधि | – | | 199.59 | | प्राप्त होने वाला टी.डी.एस. | 0.59 | 0.53 |
| जमा : वर्क चार्ज पेंशन एवं डीसी रिकवर्ड | – | | 17.75 | | | | |
| घटा : पेंशन वितरण | 269.92 | | 228.28 | | प्राप्त योग्य निवेश पर ब्याज | 0.72 | 0.72 |
| जमा : व्यय पर आय की अधिकता | 398.05 | | 377.10 | | उपदान निधि ट्रस्ट से प्राप्त होने वाली राशि | 0.88 | 0.75 |
| पेंशन निधि का शेष | | 5,498.75 | | 4,556.96 | पीआरएमएस निधि से प्राप्त होने वाली राशि | 60.91 | 30.00 |
| | | | | | दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली राशि | 283.81 | (51.29) |
| | | | | | सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त होने वाली राशि | 119.99 | 67.57 |
| | | | | | एल.ई. निधि से प्राप्त होने वाली राशि | 108.51 | – |
| कुल | | 5,498.75 | | 4,556.96 | कुल | 5498.75 | 4,556.96 |

के.ए.आर.एम.वी. एंड कंपनी<br>चार्टेड अकाउंटेंट के लिए संलग्न<br>रिपोर्ट के अनुसार

ह0/–<br>(सी.ए.कैलाश कुमार)<br>पार्टनर<br>एम.सं. 511322<br>एफ.आर.एन. – 023022 एन.

ह0/–<br>(मुख्य लेखा अधिकारी)<br>ट्रस्टी

**दिल्ली विकास प्राधिकरण पेंशन निधि ट्रस्ट**
**31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा**

(रूपये करोड़ में)

| व्यय | 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु | 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु | आय | 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु | 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | राशि | | राशि | राशि |
| विविध व्यय | 0.00 | 0.00 | निवेश पर अर्जित ब्याज | 398.34 | **378.97** |
| निवेश की खरीद पर प्रीमियम | 0.55 | 1.87 | पूर्व अवधि समायोजन | 0.26 | – |
| व्यय पर आय की अधिकता | 398.05 | 377.10 | | | |
| | **398.60** | **378.97** | | **398.60** | **378.97** |

के.ए.आर.एम.वी. एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट के लिए संलग्न
रिपोर्ट के अनुसार

ह0/–
(सी.ए.कैलाश कुमार)
पार्टनर
एम.सं. 511322
एफ.आर.एन. – 023022 एन.

ह0/–
(मुख्य लेखा अधिकारी)
ट्रस्टी

ह0/–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य

ह0/–
उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.06.2016

## पेंशन निधि ट्रस्ट खाता

### 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान

(रूपये करोड़ों में)

| प्राप्तियाँ | | | | | भुगतान | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्ष | 2015–16 | | 2014–15 | | लेखा शीर्ष | 2015–16 | | 2014–15 | |
| | | | | | **पेंशन निधि** | | | | |
| **पेंशन निधि** | | | | | निवेश | 113.82 | | 820.84 | |
| प्रारंभिक शेष | – | 40.70 | | 79.99 | संवितरण | 269.92 | | 228.28 | |
| पेंशन निधि का नकदीकरण | 98.00 | – | 533.11 | | दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान | 335.04 | | 36.25 | |
| पेंशन निधि निवेश का ब्याज | 112.53 | – | 258.24 | | | | | | |
| उपदान निधि ट्रस्ट से मिली प्राप्तियाँ | – | – | 12.84 | | दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान (पीआरएमएस) | 30.91 | | 30.00 | |
| निधि में प्राप्त अंशदान | 813.59 | – | 254.31 | | | | | | |
| वर्कचार्ज पेंशन एवं डी सी रीकवर्ड | – | – | 17.76 | | दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान (एल.ई) | 108.51 | | | |
| | | | | | दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान (जी.पी. एफ.) | 52.42 | | | |
| | | 1,024.12 | | 1,076.26 | उपदान निधि ट्रस्ट का भुगतान | 0.13 | | | |
| | | | | | टी.डी.एस. पर आय | – | | 0.18 | |
| | | | | | | | 910.75 | | 1,115.55 |
| | | | | | अंतिम शेष | – | 154.07 | | 40.70 |
| | | 1,064.82 | | 1,156.25 | | | 1,064.82 | | 1,1 56.25 |

ह0/–
(मुख्य लेखा अधिकारी)
ट्रस्टी

ह0/–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य

ह0/–
उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.06.201

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## उपदान निधि ट्रस्ट

## वार्षिक लेखा

## 2015–16

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट

के सदस्य,

हमने '**दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट' के** संलग्न वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 तक को तुलन–पत्र तथा तब समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं लेखों पर टिप्पणियां शामिल है ।

### वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है । इन उत्तरदायित्व में विषय के मिथ्या–कथन चाहे छल अथवा त्रुटि की वजह से हो, से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु संगत डिजाइन, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण का रखरखाव शामिल है ।

### लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है । हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानदंडों के अनुरूप की है। उन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजनाओं का अनुपालन करें तथा यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण विषय के गलत विवरण से मुक्त है ।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में राशि एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का निष्पादन करना शामिल है । चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के मिथ्या कथन, चाहे छल या त्रुटि के कारण का, के जोखिम मूल्यांकन शामिल है । उन जोखिम मूल्यांकनों को तैयार करने में लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा की कार्यबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए ट्रस्ट तैयार करने और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण को उपयुक्त मानता है, जो परिस्थितियों के मामले में उचित होता है, लेकिन संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं होता है । लेखा परीक्षा में प्रयोग की गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखा अनुमानों के औचित्य तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है । हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है ।

**राय**

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना उसी रूप में प्रदान करते हैं तथा एक सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं :

(क) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च 2016 को ट्रस्ट के कार्यों की स्थिति, और

(ख) आय एवं व्यय खातों के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु व्यय पर आय की अधिकता ।

कृते के.ए..आर.एम.वी. एण्ड कंपनी हेतु
चार्टेड एकाउन्टेन्ट
एफ.आर.एन. 023022एन

ह0/–
(सी.ए. कैलाश कुमार)
एम.सं0 511322
पार्टनर

ह0/–
**मुख्य लेखा अधिकारी**
**ट्रस्टी**

ह0/–

ह0/–

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा)

उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14.06.2016

**दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट**

**महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और लेखा की टिप्पणी**

**1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ**

क. वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किया जाता है ।

ख. निवेशों को अंकित मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है ।

ग. ब्याज को प्रोद्भवन के आधार पर जाना जाता है ।

घ. निवेश की खरीद पर प्रीमियम और छूट को क्रय के समय समायोजित किया जाता है ।

**1. लेखा की टिप्पणी**

क. नियोक्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाते में अभिज्ञात सीमा तक अंशदान को रिकॉर्ड किया गया है जो वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्य पर आधारित है।

ख. म्यूचुअल फंड निवेश पर आय की राशि को म्यूचुअल फंड मोचन/ब्याज की प्राप्ति के मोचन के समय ज्ञात किया जाता है ।

ग. निवेश को सरकारी प्रतिभूतियों, बान्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ.डी.आर. और इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश के रूप में समुचित रूप से वर्गीकृत किया जाता है।

ह0/–
**मुख्य लेखा अधिकारी**
**ट्रस्टी**

ह0/–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा)

ह0/–
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14.06.2016

## दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट
## 31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र

| देयताएँ | | 31.03.2016 तक राशि | | 31.03.2015 तक राशि | परिसम्पत्तियाँ | 31.03.2016 तक राशि | 31.03.2015 तक राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निधि का प्रारम्भिक शेष | 763.03 | | 783.23 | | निवेश | 616.83 | 518.44 |
| जमा : नियोक्ता अंशदान | (129.12) | | 19.37 | | निवेश पर प्राप्त ब्याज | 13.31 | 40.19 |
| घटा : उपदान वितरण | 91.66 | | 87.29 | | बैंक शेष | 31.89 | 40.52 |
| जमा : व्यय पर आय की अधिकता | 52.39 | | 47.72 | | प्राप्त करने योग्य टी डी एस | 0.29 | 0.19 |
| उपदान निधि का शेष | | 594.64 | | 763.03 | सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त | 10.46 | (13.51) |
| प्राप्त किया गया अग्रिम ब्याज | | 0.47 | | 0.47 | | | |
| शहरी विकास निधि को देय | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| पेंशन निधि को देय | | 0.88 | | 0.75 | | | |
| अवकाश नकदीकरण निधि को देय | | 4.84 | | 0.95 | | | |
| दिल्ली विकास प्राधिकरण को देय | | 71.95 | | (179.37) | | | |
| कुल | | 672.78 | | 585.83 | कुल | 672.78 | 585.83 |

(रुपये करोड़ में)
के.ए.आर.एम.वी. एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट के लिए
संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

ह0/–
(मुख्य लेखा अधिकारी)
ट्रस्टी

ह0/–
(सी.ए.कैलाश कुमार)
पार्टनर
एम.सं.511322
एफ.आर.एन. –023022एन.

ह0/–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य

ह0/–
उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.06.2016

## दिल्ली विकास प्राधिकरण उपदान निधि ट्रस्ट
## 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(रूपये करोड़ में)

| व्यय | 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु | 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु | आय | 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु | 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | राशि | | राशि | राशि |
| निवेश के क्रय पर प्रीमियम | 0.71 | – | निवेश पर अर्जित ब्याज | 50.97 | 47.30 |
| | | | पूर्व अवधि आय | 2.13 | 0.34 |
| व्यय पर आय की अधिकता | 52.39 | 47.72 | निवेश क्रय पर छूट | – | 0.08 |
| कुल | 53.10 | 47.72 | कुल | 53.10 | 47.72 |

के.ए.आर.एम.वी. एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट के लिए संलग्न
रिपोर्ट के अनुसार

ह0/–

(सी.ए.कैलाश कुमार)

पार्टनर

एम.सं. 511322
एफ.आर.एन. – 023022 एन.

ह0/–

(मुख्य लेखा अधिकारी)

ट्रस्टी

ह0/–

ह0/–

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.06.2016

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य

उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा)

| उपदान निधि ट्रस्ट खाता | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान | | | | | (रूपये करोड़ में) |
| प्राप्तियाँ | | | भुगतान | | |
| लेखा शीर्ष | 2015–16 | 2014–15 | लेखा शीर्ष | 2015–16 | 2014–15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **उपदान निधि** | | | | | **उपदान निधि** | | | | |
| आरंभिक शेष | — | 40.52 | | 10.84 | निवेश | 118.50 | | 134.95 | |
| निधि में प्राप्त अंशदान | (127.72) | — | 19.37 | | संवितरण | 91.66 | | 87.29 | |
| दिल्ली विकास प्राधिकरण | | — | | | | | | | |
| से प्राप्तियाँ | 249.92 | — | 157.75 | | जी.पी.एफ को भुगतान | 23.96 | | | |
| उपदान निवेश का ब्याज | 39.78 | — | 33.14 | | अवकाश नकदीकरण को भुगतान | (3.88) | | | |
| उपदान निधि का | 59.50 | | 62.92 | | | | | | |
| नकदीकरण | — | 221.48 | | 273.18 | पेंशन फंड ट्रस्ट खाते को भुगतान | (0.13) | | 12.84 | |
| | | | | | आय पर टी.डी.एस. | | | 0.1 | |
| | | | | | | | 230.11 | | |
| | | | | | यू.डी.एफ. को भुगतान | — | — | 8.32 | 243.50 |
| | | | | | अंतिम शेष | — | 31.89 | | 40.52 |
| | | 262.00 | | 284.02 | | | 262.00 | | 284.02 |

ह0/–
(मुख्य लेखा अधिकारी)
ट्रस्टी

ह0/–

वरिष्ठ लेखा
मुख्य
मुख्य लेखा अधिकारी

ह0/–
अधिकारी (लेखा)
उप
(लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.06.2016

# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## वर्ष 2015–16 के लिए दि.वि.प्रा. के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तर

| पैरा | लेखा परीक्षा टिप्पणी | दि.वि.प्रा. का उत्तर |
|---|---|---|
| क–तुलन पत्र | | |
| | 1. आरक्षी निधि और अधिशेष (अनुसूची–क) | |
| 1.1 | **राजस्व लेखा में अधिशेष : 9899.43 करोड़ रु.**<br><br>राजस्व खाते में ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी फंड से अधिशेष में फंड के अंतरण पर 2014–15 को समाप्त वर्ष के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या ए.–1.1 के लिए एक संदर्भ आमंत्रित किया जाता है । निधि आधारित लेखाकरण के अनुसार अंतरित राशि को 'राजस्व लेखा के अधिशेष' में जोड़ने के बजाय ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षी फंड में समायोजित किया जाना चाहिए क्योंकि राशि ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित है । वर्ष 2015–16 में भी 125.78 करोड़ रु. (ई.डब्लयू.एस. व्यय 171.64 करोड़ रु. – ई.डब्ल्यू.एस. निवेश पर ब्याज 45.86 करोड़ रु.) को ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षी फंड से राजस्व लेखा के अधिशेष में अंतरित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते के अधिशेष में 125.78 करोड़ रु. की वृद्धि हुई और ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित फंड में इतनी ही कमी हुई । | इस संबंध में यह बताया जाता है कि पूर्व वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी फंड को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में अधिशेष निधि के विनियोग से सृजित किया गया था । सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में ई.डब्ल्यू.एस. आवास स्कीमों के लिए वहन किए गए व्यय को वर्ष के आय एवं व्यय खाते में दर्ज जा रहा है, जिसमें यह वास्तव में खर्च किया गया है ।<br><br>चालू वर्ष के दौरान ई.डब्ल्यू.एस. आवास स्कीमों पर वहन किए गए 171.64 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय की राशि को आय एवं व्यय खाते में व्यय वाली तरफ दर्ज किया गया और 45.86 करोड़ रु. की ब्याज से प्राप्त आय को आय की तरफ दर्ज किया गया है । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | चूँकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) की आवश्यकता के अनुपालन में उपयोग में न लाई गई राशि के संचयन के लिए ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित फंड के रूप में एक पृथक आरक्षी फंड सृजित किया गया है, इसलिए वर्ष के दौरान खर्च की गई 125.78 करोड़ रुपये (निवल) की इस राशि को राजस्व खाते के अधिशेष में जोड़ा गया और ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित फंड में से कम किया गया है ।<br><br>यदि इस समायोजन को पास नहीं किया जाता, तो तुलन पत्र में आरक्षित और अधिशेष की सही स्थिति को दर्शाया नहीं जा पाता क्योंकि लेखा परीक्षा इस बात की सराहना करती है कि किसी व्यय को सीधे ही आय एवं व्यय खाते से अलग आरक्षी फंड से वसूल किया जाना सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों से अलग है ।<br><br>उपयोग न की गई राशि के लिए धारा 11(2) के अंतर्गत आयकर कानून में फंड आधारित लेखांकन की कोई आवश्यकता नहीं है और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इण्डिया द्वारा अथवा किसी अन्य सांविधि के अंतर्गत संस्थान द्वारा जारी आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत "सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थाओं की |

| | | |
|---|---|---|
| | | लेखा परीक्षा" पर जारी दिशा निर्देश टिप्पणी में भी इसकी अनुशंसा नहीं की गई थी । दि.वि.प्रा. फंड आधारित लेखांकन नहीं कर रहा है।<br><br>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के प्रावधानों में बताया गया है :–<br><br>जहां उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ पठित उस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय का (पचासी प्रतिशत) पूर्व वर्ष के दौरान भारत मे धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों में प्रयुक्त न हो या प्रयुक्त न समझी जाए किंतु भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त किए जाने के लिए पूर्णतः या भागतः संचित की जाए या अलग रखी जाए, वहां ऐसी आय जो इस प्रकार संचित या अलग रखी गई हो, उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, परंतु यह तब जबकि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए, अर्थात् :–<br><br>(क) ऐसा व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को विहित रीति से विहित प्ररूप में, उस प्रयोजन का कथन करते हुए जिसके लिए आय संचित की जा रही है या अलग रखी जा रही है और वह कालावधि जिसके लिए आय संचित की जानी है |

| | | |
|---|---|---|
| | | या अलग रखी जानी है जो किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, एक विवरण दे दें ;<br>(ख) इस प्रकार संचित किया गया या अलग रखा गया धन उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट स्वरूप या पद्धतियों में विनिहित या निक्षिप्त कर दिया जाए ।<br><br>आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत धारा 11(2) के अनुसार अगले 5 वर्षों में छूट प्राप्त करने के लिए राशि का उपयोग अथवा अलग रखना तब तक जरूरी है जब तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि को निवेश करने के लिए रखने हेतु खर्च न किया गया हो ।<br><br>दि.वि.प्रा. ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) के अंतर्गत यथा अपेक्षित उपयोग न किए गए अग्रेनीत फंड का विधिवत् निवेश किया है और कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है ।<br><br>यह भी बताया जाता है कि आयकर कानून के अंतर्गत उपयोग न किए गए अग्रेनीत फंड के लिए उपयोग के रूप में ई.डब्ल्यू.एस. आवास स्कीम व्यय का जरूरी समायोजन फार्म 10 और आयकर रिटर्न भरते समय दि.वि.प्रा. की आय |

| | | |
|---|---|---|
| | | के परिकलन में किया जा रहा है ।<br><br>वर्ष 2014–15 के लिए लेखा परीक्षा पैरा के उत्तर में यह भी बताया जाता है कि :<br><br>"ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षी फंड को अधिशेष के विनियोग से सृजित किया गया था, इसलिए इसे आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है तथा राजस्व खाते के अधिशेष मे समायोजित किया जाता है ।"<br><br>यह केवल प्रस्तुतीकरण का मामला है और इसका आय एवं व्यय खाते तथा परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।<br><br>तथापि, चूंकि लेखा परीक्षा और दि.वि.प्रा. के मध्य ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी फंड के लिए फंड आधारित लेखांकन हेतु अपनाए गए वर्गीकरण के संबंध में राय में अंतर है, इसलिए अगले वर्ष के दौरान आई.सी.ए.आई./आयकर विभाग से विशेषज्ञ की राय ली जाएगी । प्रश्न के तथ्यों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कार्यालय के परामर्श और विशेषज्ञ राय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा । यदि किसी कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो वह दि.वि.प्रा. |

| | | |
|---|---|---|
| | | द्वारा अगले वर्ष के वित्तीय विवरण में की जाएगी । |
| **2. निर्धारित/वृत्तिदान निधि (अनुसूची–ख)** | | |
| 2.1 | **सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि (पी.आर.एम.एस.): 550.69 करोड़ रु.**<br><br>इस मामले पर वर्ष 2014–15 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या ए. 2.3 के लिए संदर्भ आमंत्रित है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पी.आर.एम.एस. के दायित्व को पूरा करने के लिए पेंशन फंड ट्रस्ट में 30 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया । वर्ष 2015–16 में पी.आर.एम.एस. फंड का अंतशेष पेंशन फंड ट्रस्ट से चालू वर्ष (2015–16) में 30.91 करोड़ रु. और पिछले वर्ष (2014–15) में 30.00 करोड़ रु. प्राप्त करने के बाद 60.91 करोड़ रु. प्राप्त हुआ । तथापि, लेखा–परीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015–16 में पेंशन फंड ट्रस्ट से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी और 30 करोड़ रु. की राशि जो वर्ष 2014–15 में प्राप्त हुई थी, चालू वर्ष में उसका भी पुनर्भुगतान किया गया था । अतः वर्ष के अंत में पी.आर.एम.एस. द्वारा पेंशन फंड ट्रस्ट को कोई राशि देय नहीं थी । | 30.91 करोड़ रुपये को तुलन पत्र की अनुसूची–ग के स्थान पर अनुसूची–ख में अनजाने में दर्शाया गया है और ये दोनों अनूसूची तुलन पत्र में देयताओं का भाग हैं। तथापि, दि.वि.प्रा. की परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा आय एवं व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । इसके अतिरिक्त, अगले वर्ष के लेखा में इसका सुधार कर लिया जाएगा। |
| | इसके परिणामस्वरूप पी.आर.एम.एस. के अंतशेष में 60.91 करोड़ रु. तक की अधिकता हुई और पेंशन फंड ट्रस्ट (अनुसूची–ग) के लिए सामान्य विकास खाता की वर्तमान देयताओं में इतनी ही राशि की कमी पाई गई । | - |
| 2.2 | **निर्धारित फंड के निवेश में कमी :**<br>निर्धारित फंड में कमी को दर्शाने वाले वर्ष 2014–15 के दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या ए. 2.4 के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है । वर्ष 2015–16 में भी 31 मार्च, 2015 को सामान्य भविष्य निधि, शहरी विकास निधि, छुट्टी नकदीकरण निधि, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा स्कीम निधि, सिविल कार्य रखरखाव निधि और विद्युत कार्य | पिछले वर्ष हुई कमी को आंशिक रूप से पूरा कर लिया गया है । कमी का मुख्य कारण जी. पी.एफ., छुट्टी नकदीकरण फंड और पी.आर. एम.एस. फंड के लिए पृथक पैन की अनुपलब्धता थी, जिसके परिणामस्वरूप इन |

<table>
<tr>
<td></td>
<td>रखरखाव फंड में उपलब्ध कुल 7405.28 करोड़ रु. रुपये के मुकाबले 7,030.08 करोड़ रु. का वास्तविक निवेश किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–<br>(रुपये करोड़ में)
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>फंड का नाम</th><th>अनुसूची 'ख' के अनुसार अंत शेष</th><th>अनुसूची 'ड.' के अनुसार निवेश की गई राशि</th><th>निवेश में कमी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सामान्य भविष्य निधि</td><td>1535.60</td><td>1487.33</td><td>48.27</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>शहरी विकास निधि</td><td>4373.14</td><td>4351.18</td><td>21.96</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>छुट्टी नकदीकरण निधि</td><td>510.04</td><td>459.17</td><td>50.87</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा निधि</td><td>550.69</td><td>466.87</td><td>83.82</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>सिविल कार्य रखरखाव निधि</td><td>395.90</td><td>265.53</td><td>130.37</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>विद्युत कार्य रखरखाव निधि</td><td>39.91</td><td>0</td><td>39.91</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>7405.28</td><td>7030.08</td><td>375.20</td></tr>
</table>
चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2015–16 के दौरान उक्त संदर्भित फंड के लिए निवेश में 375.20 करोड़ रु. की कुल कमी थी ।</td>
<td>निधियों में कम निवेश हुआ । दि.वि.प्रा. ने इन निधियों के लिए पृथक ट्रस्ट के सृजन की व्यवस्था की है और पृथक पैन आयकर विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान आबंटित किए जाने की संभावना है । इसके बाद वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान कमी को दूर किया जाएगा । सिविल और विद्युत रखरखाव फंड में भी कुछ कमी थी । इन कमियों को आवास विभाग द्वारा वित्त वर्ष के समाप्त होने पर सूचित किया गया था । तथापि, चालू वर्ष के दौरान सामान्य विकास खाते से एफ.डी. निर्धारित करके कमी को दूर किया गया है ।</td>
</tr>
<tr><td>3</td><td>वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची–ग) 1596.51 करोड़ रुपये</td><td></td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>भूमि के लिए विविध लेनदार 298.96 करोड़ रुपये</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(क) इसमें 690.881 एकड़ भूमि खरीदने के लिए पुनर्वास मंत्रालय (एम.ओ.आर) को देय 3.82 करोड़ रुपये की बकाया मूलधन राशि पर 11.10 करोड़ रु. (दिसंबर 1991 तक 1.84 करोड़ रुपये + जनवरी 1992 से मार्च 2016 तक 9.26 करोड़ रुपये) के ब्याज के लिए देयताएँ शामिल नहीं है ।</td><td>(क) मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1991 तक 6.51 करोड़ रुपये ब्याज की देयता की गणना की गई थी । दि.वि.प्रा. ब्याज देयता से कभी भी सहमत नहीं हुआ है क्योंकि उसकी ओर से भुगतान में कोई चूक नहीं हुई थी । भूमि/स्थान (लोकेलिटी) का कुछ भाग, जिसे</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं में 11.10 करोड़ रुपये तक की कमी हुई, जिसमें 10.72 करोड़ रुपये तक के पूर्व अवधि व्यय और 0. 38 करोड़ तक के चालू वर्ष के व्यय शामिल हैं ।<br><br>ख) वर्ष 2014–15 के लिए दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या ए 3.2 के लिए संदर्भ आमंत्रित है जिसमें दि.वि.प्रा. की पॉलिसी संख्या 11 (बी) में परिवर्तन के लिए आवश्यकता को दर्शाया गया है। इस पॉलिसी के अनुसार भूमि की लागत संबंधी देयता को संबंधित आवासीय योजना के निर्माण कार्य के पूरा होने पर सामान्य विकास खाते में दर्ज (बुक) किया जाता है । दि.वि.प्रा. की यह नीति (पॉलिसी) लेखाकरण की प्रोद्भवन अवधारणा के अनुसार नहीं है क्योंकि देयता के उत्पन्न होते ही उसे | समझौते के अनुसार दि.वि.प्रा. को हस्तांतरित किया गया था, वास्तव में अस्तित्व में नहीं थी । इस प्रकार, दि.वि.प्रा. की ओर से यह चूक नहीं ठहराई जा सकती है इसलिए दि.वि.प्रा. को ब्याज देयता स्वीकार्य नहीं है ।<br><br>जहाँ तक 3.82 करोड़ रु. के शेष भुगतान पर ब्याज देयता का संबंध है, दि.वि.प्रा. द्वारा यह सूचित किया जाता है कि हालांकि दि.वि.प्रा. प्रोद्भूत नीति का अनुसरण किया जा रहा है, इसलिए दि.वि.प्रा. द्वारा तक भुगतान करने में चूक नहीं की गई है। पुनर्वास मंत्रालय के रिकॉर्ड में भूमि, दि.वि.प्रा. को हस्तांतरित की गई है परंतु इस पर वास्तव में दि.वि.प्रा. का कब्जा नहीं है । ब्याज की देयता का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दि.वि.प्रा. की तरफ से कोई चूक नहीं है। तथापि, दि.वि.प्रा. द्वारा ली गई वास्तविक भूमि के समाधान के लिए इस मामले पर मंत्रालय के साथ विचार किया जा रहा है । मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार यदि ब्याज का कोई भुगतान देय होता है, तो इस मामले का समाधान करने के लिए उसका भुगतान किया जाएगा ।<br><br>ख) इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि दि.वि.प्रा., भूमि को प्राप्त करने के समय देयता |

| | | |
|---|---|---|
| | दर्ज कर दिया जाना चाहिए ।<br><br>31 मार्च, 2016 को सामान्य विकास खाते में बीस (20) चालू योजनाएं थीं जिनके लिए भूमि पहले ही नजूल–II से प्राप्त की जा चुकी है और सामान्य विकास खाते द्वारा आवासीय योजनाओं के निष्पादन में उपयोग की जा चुकी है । इस प्रकार लेखांकन के प्रोद्भवन अवधारणा के अनुसार भूमि की लागत के लिए देयता, सामान्य विकास खाते की लेखा बही में दर्ज की जानी चाहिए । उपर्युक्त देयता का प्रावधान न करने का परिणाम, भूमि की लागत की सीमा तक विविध लेनदारों की कमी को दर्शाता है । लेखा परीक्षा में मांगी गई 31 मार्च, 2016 को चल रही आवासीय योजनाओं के संबंध में नजूल–II को देय भूमि की योजनावार लागत दि.वि.प्रा. द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके न होने के कारण लेखा परीक्षा द्वारा देयता की मात्रा निर्धारित नहीं कर की जा सकी । | को दर्ज (बुकिंग) करने की बजाय आवासीय योजना के निर्माण कार्य के पूरा होने पर भूमि की लागत संबंधी देयता को दर्ज करने (बुकिंग) के लिए लेखांकन नीति 11(बी) का अनुसरण करता रहा है । तथापि, लेखा परीक्षा टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसी की जांच की गई और ए.एस.–2 के अनुसार पॉलिसी को संशोधित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए संबंधित विभाग से आवश्यक इनपुट लिए जा रहे हैं । दि.वि.प्रा., ए.एस.–2 के अनुसार इस पॉलिसी में संशोधन करने हेतु प्रक्रियाधीन है और इसके संशोधन के बाद ही लेखांकन किया जाएगा जिसके वर्ष 2016–17 में पूरा होने की संभावना है । |
| 3.2 | **पेंशन फंड ट्रस्ट को देय 283.81 करोड़ रु.**<br><br>इसमें पेंशन फंड ट्रस्ट को देय 39.30 करोड़ रु. शामिल नहीं हैं, जो व्यय के लिए विविध लेनदारों के शीर्ष के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।<br><br>इसका परिणाम पेंशन फंड ट्रस्ट को 39.30 करोड़ रु. तक की शेष देय राशि की कमी और इसी सीमा तक व्यय के लिए विविध लेनदारों की अधिकता के रूप में हुआ है । | यह सूचित किया जाता है कि यह केवल देयता के एक लेखांकन शीर्ष से दूसरे शीर्ष में प्रस्तुतीकरण का मामला है और इसका आय एवं व्यय और परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इसे व्यय के लिए विविध लेनदारों में शामिल कर दिया गया था । तथापि, यह अगले वर्ष के लेखों में पेंशन फंड ट्रस्ट को देय शीर्ष (हैड) के अंतर्गत दर्शाया जाएगा । |

4. वर्तमान परिसंपत्तियाँ (अनुसूची–एफ) 13676.14 करोड़ रु.

मालसूचियाँ (इंवेंटरी): 7123.70 करोड़ रु.

4.1 प्रगतिधीन कार्य (निर्माणाधीन आवास) 2759.67 करोड़ रु.

क) इसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित स्कीमों के लिए खर्च किया गया 35.64 करोड़ रु. का निवल प्रगामी व्यय शामिल नहीं है ।

(राशि करोड़ रु. में)

| क्र.सं. (1) | आवासीय योजना का नाम (2) | 31.03.2016 तक संचयी व्यय (3) | 31.03.16 को बकाया अग्रिम (4) | निवल व्यय (3–4) (5) | निवल व्यय पर 15 प्रतिशत की दर से ओवर हैड (6) | 31.03.16 को दर्शाये जाने वाले डब्ल्यू.आई.पी. (5+6) (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क) आवासों के निर्माण पर किया गया 35.64 करोड़ रु. का व्यय परंतु प्रगतिधीन कार्य के रूप में दर्शाया नहीं गया ।** | | | | | | |
| 1. | जेलरवाला बाग अशोक विहार में 1675 आवासीय इकाइयों का निर्माण | 20.40 | 17.57 | 2.83 | 0.42 | 3.25 |
| 2. | द्वारका फेज–II में सै. 19 में 1240 उच्च आय वर्ग (बहुमंजिले) आवासों का निर्माण | 54.02 | 45.90 | 8.12 | 1.22 | 9.34 |

आवश्यक समाधान के बाद, पूर्व अवधि द्वारा, वर्ष 2016–17 के लेखा में अपेक्षित समायोजन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की चूक से बचने के लिए दि.वि.प्रा., वाउचर स्तर से डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रियाधीन है ।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | द्वारका फेज–II में पॉकेट–3, सै. 19 बी के साथ लगते हुए 352 बहुमंजिले 2 बीएचके अपार्टमेंट का निर्माण | 25.85 | 12.75 | 13.10 | 1.96 | 15.06 |
| 4. | पॉकेट–5, सैक्टर–14, द्वारका फेज–II में 1568 आवासीय इकाइयों/600 श्रेणी –II और 968 ईडब्ल्यूएस कम्पोजिट आवासों का निर्माण | 23.78 | 22.42 | 1.36 | 0.20 | 1.56 |
| 5 | 500 2–बीएचके, 340 3–बीएचके और 325 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण | 38.76 | 36.94 | 1.82 | 0.27 | 2.09 |
| 6 | 625 2–बीएचके, 350 3–बीएचक का निर्माण और 376 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण | 37.51 | 35.43 | 2.08 | 0.31 | 2.39 |
| 7 | 225 3–बीएचके और 420 2–बीएचके और 250 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण | 29.73 | 28.03 | 1.70 | 0.25 | 1.95 |
| | कुल | 230.05 | 199.04 | 31.01 | 4.63 | 35.64 |

ख) इसमें वसंतकुंज डी–6 में 2500/2252 एस.एफ.एस. आवासों के निर्माण की योजना पर व्यय किए गए 24.97 करोड़ रु. शामिल हैं, जिनका निर्माण कार्य पहले ही वर्ष 2012–13 के दौरान पूरा मान लिया गया था और इस योजना के फिनिश्ड स्टॉक को उसी समय पहले ही दर्ज (बुक) कर लिया गया था ।

उपर्युक्त 'क' एवं 'ख' के परिणामस्वरूप प्रगतिधीन कार्य (निर्माणाधीन आवास) 10.67 करोड़ रु. (35.64 करोड़ रु.–24.97 करोड़ रु.) तक कम था और चालू वर्ष के लिए घाटा इसी सीमा तक अधिक था ।

4.2 **प्रगतिधीन कार्य ( निर्माणाधीन व्यावसायिक सम्पदा ) 27.30 करोड़ रु.**

दि.वि.प्रा. के निम्नलिखित जोन में समाज सदनों/केंद्रों के निर्माण पर 31.03.2016 तक किए गए निवल प्रगामी व्यय के 10.96 करोड़ रु. शामिल हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :

**(राशि करोड़ रू. में)**

| क्र. सं. | ज़ोन का नाम | योजना का नाम | 31/03/2016 तक किया गया व्यय | व्यय पर 15 प्रतिशत उपरिप्रभार | उपरिप्रभार सहित कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पूर्व | पॉकेट–10बी, जसोला में समाज सदन का निर्माण | 0.66 | 0.10 | 0.76 |
| 2. | पूर्व | समाज सदन–बी की पार्किंग और पार्क, दि.वि.प्रा. आवास के जी सी ओ का निर्माण | 1.84 | 0.28 | 2.12 |
| 3. | द्वारका | प्लॉट–1, सेक्टर–17, द्वारका में समाज सदन का निर्माण | 2.81 | 0.42 | 3.23 |

जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा पाया गया है कि यह एक गलत वर्गीकरण का मामला है जिसका आय एवं व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । इस प्रकार, समाज सदनों/सामुदायिक केंद्र पर व्यय को अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 से अलग अनुसूची में कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस के रूप में वर्गीकृत किया/दर्शाया जाएगा ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | द्वारका | गांव ककरोला में समाज सदन का निर्माण | 2.07 | 0.31 | 2.38 |
| 5. | दक्षिण | खंड गांव के समीप समाज सदन का निर्माण | 2.15 | 0.32 | 2.47 |
| | | **कुल** | **9.53** | **1.43** | **10.96** |

चूंकि समाज सदन/केन्द्रों का निर्माण पुनः बिक्री के उद्‌देश्य से नहीं किया जा रहा है, इसे एक स्थिर परिसंपत्ति के अंतर्गत एक अलग सूची में चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। जिसके परिणामस्वरूप 10.96 करोड़ रूपये के निर्माणाधीन व्यावसायिक स्टॉक अधिकता और उनकी ही राशि के चल रहे पूंजीगत कार्य की कमी हुई।

**4.3 तैयार स्टॉक**

**क. अविकसित भूमि, निर्माणाधीन भूमि और विकसित भूमि 128.38 करोड़ रू.**

लेखांकन नीति सं. 6(ग) के अनुसार, दि.वि.प्रा. विक्रय दरों पर बिक्री के लिए भूमि के स्टॉक का मूल्य निर्धारण अनुमानित निर्माण लागत से घटाकर औसत/निलामी के आधार पर कर रहा है। विक्रय दर पर विकसित भूमि का मूल्य निर्धारित करना ए एस–2 के के लिए विरूद्ध है जिसमें कहा गया है कि संपत्ति सूची का मूल्य निर्धारित लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाना चाहिए।

इस संबंध में यह पाया गया कि दि.वि.प्रा. ने 690.881 एकड़ भूमि का मूल्य 128.38 करोड़ रू. निर्धारित किया है जो पुनर्वास मंत्रालय (एम.ओ.आर.)[2] से केवल

यह बताया जाता है कि दि.वि.प्रा. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 6(ग) के अनुसार अपने तैयार स्टॉक का निरन्तर मूल्य निर्धारण कर रहा है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि अन्य स्टॉक जिसमें बिक्री हेतु विकसित भूमि भी शामिल है, का मूल्य निर्धारण दरों पर किया जाएगा, जो कि समापन की अनुमानित लागत से कम औसत निविदा/नीलामी दर पर आधारित है। वास्तव में, दि.वि.प्रा. द्वारा 102 एकड़ भूमि के

| | | |
| --- | --- | --- |
| | 20.32 करोड़ रू. में खरीदी गई थी। इस प्रकार, ए एस–2 के विपरीत लेखांकन नीति के कारण, दि.वि.प्रा. ने वित्त वर्ष 2001–02 में भूमि की वास्तव में बिक्री के बिना 108.06 करोड़ रू. (128.38 करोड़ रू.–20.32 करोड़ रू.) का लाभ अंकित किया है। इसके परिणामस्वरूप भूमि के स्टॉक के साथ–साथ और 'आरक्षी एवं अधिशेष' में 108.06 करोड़ रू. की अधिकता हुई। | लिए 30.00 करोड रु. के समझौते के अंतर्गत 1982–83 में 20.32 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी थी । वर्ष 2002–03 के दौरान, दि.वि.प्रा. द्वारा लेखांकन नीति 6(ग) बनाई गई जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया था कि बिक्री हेतु रखी गई भूमि का मूल्य निर्धारण लेखांकन नीति 6(ग) के अनुसार उस समय विद्यमान. औसत निविदा/नीलामी दर को, ध्यान मे रखते हुए किया जाएगा तथा जो इस संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार है । इसलिए, इसमें 108.06 करोड़ रु. तक भूमि के मूल्य निर्धारण में अधिक नहीं दर्शाया गया है जैसा लेखांकन नीति के अनुसार है । जहां तक कि वास्तव में भूमि की बिक्री के बिना लेखा में 108.06 करोड़ रु. तक का लाभ दर्ज कराने का संबंध है, इसकी गणना मौजूदा लेखांकन नीति पर स्टॉक के मूल्यांकन के आधार पर है, जो दि.वि.प्रा. द्वारा निरंतर लागू की जाती है । इसका चालू वर्ष में आय एवं व्यय में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह स्टॉक मूल्य पिछले वर्ष के लेखों से आगे लाया गया है ।<br><br>तथापि, लेखा परीक्षा की टिप्पणी की दृष्टि में, नीति की समीक्षा/जांच की जाएगी और ए एस–2 के अनुसार नीति में संशोधन के लिए |

| | | |
|---|---|---|
| | | कदम उठाए जाएंगे जिसके लिए संबंधित विभाग से आवश्यक इनपुट लिए जा रहे हैं और इसके संशोधन पर लेखांकन किया जाएगा जिसके 2016–17 में पूरा होने की संभावना है। |
| | **ख. निर्मित आवास : 3205.21 करोड़ रू.**<br>i) दि.वि.प्रा. के वर्ष 2014–15 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या क. 4.2 (क) का अवलोकन करें जिसके अनुसार लेखांकन नीति संख्या 6(ग) के पालन के कारण निर्मित आवासों का तैयार स्टॉक बढ़ाकर बताया गया। इस नीति के अनुसार, दि.वि.प्रा. मानक लागत अर्थात् अनुमानित समापन लागत में से भूमि का प्रशुल्क घटाकर ईकाइयों को जिस दर पर बेचे जाने की उम्मीद थी। उस पर निर्मित आवासों की तैयार इकाइयों की संपत्ति सूची का मूल्य निर्धारण कर रहा है। मानक लागत (निवल वसूली योग्य मूल्य) पर निर्मित आवासों की इकाइयों का मूल्य निर्धारित करना ए एस–2 के अनुसार असंगत है जिसमें कहा गया है कि संपत्ति सूची का मूल्य निर्धारण लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाना चाहिए।<br><br>इसके अतिरिक्त, ए एस–2 के अनुसार यदि यह मूल्य लगभग वास्तविक लागत के बराकर है। तो मानक लागत का भी उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में, यह पाया गया कि दि.वि.प्रा. के वर्ष 2015–16 के मामले में वास्तविक लागत, मानक लागत से लगभग 48 प्रतिशत अधिक है, जिसे लगभग राशि के निकट के अर्थ में नहीं लिया जा सकता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है – | (i) यह बताया जाता है कि अब तक, दि.वि.प्रा. लेखांकन नीति 6(ग) का अनुकरण कर रहा हैं और निरंतर लागू है । तथापि, मौजूदा लेखांकन नीति की समीक्षा की जा चुकी है और ख नीति में संशोधन की आवश्यकता है ।तद्नुसार, आवास लेखा विंग नीति के परिवर्तन के लिए अपेक्षित इनपुट का पता लगा रहा है ।<br><br>यह आकलन किया गया है कि दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों से संबंधित इन्पुट्स/विवरण/पुराने रिकॉर्ड लेखांकन नीति में संशोधन के क्रियान्चयन के लिए अपेक्षित है जो मांगे जा रहे है । दि.वि.प्रा. नीति में परिवर्तन कर सकता है और 2016–17 में इसके क्रियान्वयन के पूरा होने की संभावना है । |

(राशि करोड़ रू. में)

| क्र. सं. | विवरण | भूमि की लागत (1) | निर्माण लागत (2) | विविध कार्यों के लिए प्रावधान (3) | कुल लागत (1)+(2)–(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2015–16 में विवरण जोड़े गए तैयार स्टॉक के मूल्य निर्धारण के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा मानी गई मानक लागत | 94.08 | 374.76 | 19.02 | 449.82 |
| 02. | 2015–16 में जोड़े गए तैयार स्टॉक के निर्माण हेतु, दि. वि.प्रा. द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत | 94.08 | 208.64 | 0 | 302.72 |
| **तैयार स्टॉक में जोड़ी गई नई इकाइयों का अधिक मूल्यांकन (1–2)** | | | | | **147.10** |

उपर्युक्त से, यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015–16 में तैयार स्टॉक का मूल्य निर्धारण भी 147.10 करोड़ रू. अधिक था जो ए एस–2 के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, ए एस–2 की असंगत लेखांकन नीति के कारण, दि.वि.प्रा. ने फ्लैटों की वास्तव में बिक्री के बिना 147.10 करोड़ रू. का लाभ अंकित किया है। इसके

चल रहे कार्य में दर्शाए जा रहे 8.87 करोड़ रु. के निर्मित आवासों और दुकानों के तैयार स्टॉक को वित्त वर्ष 2016–17 में तैयार स्टॉक को अंतरित कर दिए जाएंगे ।

आगे यह सूचित किया जाता है कि दि.वि.प्रा. में वाउचर स्तर से दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली

| | | |
|---|---|---|
| | परिणामस्वरूप चालू वर्ष में निर्मित आवासों के तैयार स्टॉक अधिक हुआ और 147.10 करोड़ रू. राशि की घाटे की कमी हुई है।<br><br>ii) अशोक नगर, फैज रोड़, नई दिल्ली में 112 निम्न आय वर्ग आवासों और 16 दुकानों के निर्माण की योजना के संबंध में निर्मित आवासों और दुकानों के तैयार स्टॉक में 8.87 करोड़ रू. शामिल नहीं थे क्योंकि इनका निर्माण वित्त वर्ष 2014–15 में पहले ही किया जा चुका था। इसके परिणामस्वरूप आवासों और दुकानों के तैयार स्टॉक भी 8.87 करोड़ रू. की कमी हुई और चल रहे कार्य (निर्माणाधीन आवास) में की उतनी ही राशि अधिक हुई है।<br><br>ग) दि.वि.प्रा. के वर्ष 2014–15 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी सं. क. 4.2(ख) का अवलोकन करें, जिसमें यह उल्लिखित था कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आवासों के निर्माण पर किए गए व्यय को डब्ल्यू आई पी तथा पृथक रूप से अनुसूची 'च' में आर्थिक रूप पिछड़े वर्ग आवासों का तैयार स्टॉक के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है। वर्ष 2015–16 में भी दि.वि.प्रा. ने इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग निधि में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आवासों के निर्माण पर 171.64 करोड़ रू. का व्यय किया है। तथापि, ई.डब्ल्यू.एस निधियों (डब्ल्यू.आई.पी. और ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का समाप्त स्टॉक) का उपयोग करके बनायी गई परिसंपत्तियों को दि.वि.प्रा. के तुलन पत्र की अनुसूची च (एफ) में पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया जबकि ई.डब्ल्यू.एस. निधि के लिए किया गया निवेश जो एक अन्य चालू परिसंपत्ति है, को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। | के क्रियान्वयन का कार्य प्रक्रियाधीन है ।<br><br>इस संबंध में यह बताया जाता है कि दि.वि.प्रा. में बड़ी संख्या मे विभिन्न योजनाएं चल रही हैं तथा प्रतिवर्ष नई योजनाएं आरंभ की जा रही है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आवास योजना उन में से एक है जिसका आयकर अधिनियम, 1961की धारा 11(2) के अंतर्गत छूट के लिए विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है ।<br><br>दि.वि.प्रा. ने अपने तुलन पत्र में निरंतर डब्ल्यू. आई.पी. एवं तैयार स्टॉक की राशि दर्शा रहा है जिसमें स्टॉक और प्रक्रियाधीन आर्थिक रूप पिछड़े वर्ग हेतु आवास शामिल हैं ।<br><br>दि.वि.प्रा. ने ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रतिवर्ष वर्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत अनुपयुक्त राशि को उचित रूप से विनियोजित |

| | | |
|---|---|---|
| | 'ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि के संबंध में समाप्त स्टॉक के साथ–साथ प्रगतिधीन कार्य, निर्मित आवासों के कुल प्रगतिधीन कार्य और समाप्त स्टॉक की एक मुख्य भाग है तथापि, दि.वि.प्रा. के तुलन पत्र का अनुसूची–च (एफ) ई.डब्ल्यू. एस. निधि के उपयोग द्वारा बनायी गई परिसंपत्ति के मूल्य को पृथक रूप से नहीं दर्शाता। | किया है ।<br><br>धारा 11(2) के अंतर्गत संचित निधियों के उपयोग से तैयार परिसंपत्तियों को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है । डब्ल्यू.आई.पी. सहित संपूर्ण सूची का योजनावार विवरण, दि.वि.प्रा. की लेखा पुस्तिका में उपलब्ध है।<br><br>तथापि, चूंकि लेखा परीक्षा और दि.वि.प्रा. के विचारों में मतभेद/अंतर है, इसलिए अगले वर्ष आई.सी.ए.आई./आयकर विशेषज्ञ की सलाह ली जाएगी । प्रश्नों की जानकारी पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के परामर्श से निर्णय किया जाएगा । उस राय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । |
| **4.4** | **विविध देनदार 308.58 करोड़ रू.**<br>दि.वि.प्रा. ने 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार सामान्य विकास खाते के तुलन पत्र में विविध देनदार के रूप में 308.58 करोड़ रू. की राशि दर्शायी है। प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों की समीक्षा से पता चलता है कि यहां न तो देनदारों से शेष की पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली है और न ही अशोध्य और संदिग्ध देनदार के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण देनदारों का पार्टी–वार और आयु–वार ब्रेकअप का रखरखाव नहीं करती रही है, इसलिए लेखा परीक्षा, दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त तुलन पत्र में विविध देनदारों के संबंध में दर्शाए गए शेष की सत्यता के संबंध में आश्वासन देने में असमर्थ है। | दि.वि.प्रा. देनदार, ज्यादा मात्रा में आम जनता है जिसे किराया खरीद प्रणाली के आधार पर फ्लैट आबंटित किए गए। बकाया राशि को तब वसूल किया जाएगा जब वे अपने फ्लैट के लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन करवाने के लिए आएंगे अथवा जुर्माना राहत स्कीम का चयन करेंगे। दि.वि.प्रा. देनदार अशोध्य नहीं है इसलिए संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देनदारों से |

<table>
<tr><td></td><td>अनुदारवारी समझौते के अनुसार, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए। दि.वि.प्रा. ने बताया कि देनदारों का समाधान किया जा रहा था। तथापि, समाधान की स्थिति के समर्थन में लेखा परीक्षा को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।</td><td>पहले या बाद में वसूली कर ली जाएगी। प्राधिकरण आगामी वर्षों के दौरान देनदारों की ओर से पूर्ण समाधान के लिए आशावान है।<br><br>इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि वाऊचर लेवल से दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया दि.वि.प्रा. में प्रगति पर है।</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>ठेकेदारों के अग्रिम 512.99 करोड़ रू.<br>क) इसमें मोबिलाइजेशन अग्रिमों के रूप में ठेकेदारों को दिए गए 163.80 करोड़ रू. की राशि शामिल नहीं है किन्तु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित आवासीय स्कीम के संबंध में व्यय के रूप में दर्शाया गया है।<br>(राशि करोड़ रू.में)
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>योजना का नाम</th><th>ठेकेदार का नाम</th><th>अग्रिम की तिथि</th><th>अग्रिम की राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>जेलर वाला बाग अशोक विहार, नई दिल्ली में 1675 आवासीय इकाइयों का निर्माण</td><td>मैसर्स बृज गोपाल कन्स्ट्रक्शन कं.</td><td>18/09/2014</td><td>8.79</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>–वही–</td><td>–वही–</td><td>23/02/2016</td><td>8.79</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सेक्टर–19 द्वारका फेज–2 में 1240 एचआईजी (एमएस) आवासों का निर्माण</td><td>मैसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर</td><td>10/02/2015</td><td>30.90</td></tr>
</table></td><td>(क) एमपीआर द्वारा दिया गया 35.43 करोड़ रू. और 17.58 करोड़ रू. के मोबिलाइजेशन अग्रिम पर तुलन पत्र में अग्रिमों के रूप में पहले ही विचार कर लिया गया है।<br><br>लेखा परीक्षा को प्रस्तुत अग्रिमों का यह केवल अनुपूरक विवरण है जिसमें उक्त अग्रिम को एमपीआर जोन के स्थान पर उत्तरी जोन एवं रोहिणी जोन के रूप में दर्शाया गया है, इस पहलू का विवरण पहले ही दिया जा चुका है और संशोधित विवरण को भी पहले लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दिया गया है।<br><br>शेष अग्रिमों के लिए, लेखा 2016–17 में आवश्यक परिशुद्धता पूर्ण अवधि मद के माध्यम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वाऊचर लेवल</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4. | –वही– | –वही– | 16/10/2015 | 15.00 | | से दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली के कार्यान्वन की प्रक्रिया दि.वि.प्रा. में प्रगति पर है। |
| | 5. | मंगलापुरी में 273 एम. एस. एक कक्ष वाले टेनेमेंट के एकीकृत परिसर का निर्माण | मैसर्स बहल बिल्डर | नवम्बर 2015 | 1.70 | | |
| | 6. | पॉकेट–3 सेक्टर–19 बी, द्वारका के निकट 352 एम.एस., 2–बी. एच. के. अपार्टमेंट का निर्माण | मैसर्स वरेन्द्रा कन्स्ट्रक्शन | – | 12.75 | | |
| | 7. | पॉकेट–5 सेक्टर–14 द्वारका फेज–II में 1568 आवासीय इकाइयों/600 श्रेणी–2 एवं 968 ई.डब्ल्यू.एस. कम्पोजिट आवासों का निर्माण | मै0 बी.जी. शिरके कन्स्ट्रक्शन टैक्नोलॉजी प्रा. | 19/02/2016 | 22.42 | | |
| | 8. | पॉकेट–3 सेक्टर ए–1 से ए–4 नरेला में निर्धारित 625 2–बीएचके, 350 3–बीएचके और 376 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण | –वही– | 21/09/2015 | 35.43 | | |
| | 9. | पॉकेट–6, सेक्टर ए–1 से ए–4, नरेला में 420 | –वही– | 03/09/2015 | 11.61 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2–बीएचके आवासों का निर्माण | | | |
| 10. | –वही– | –वही– | 06/02/2016 | 2.32 |
| 11. | पॉकेट–3, सेक्टर ए–1 से ए–4 नरेला में निर्धारित 225 3–बीएचके, 250 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण | –वही– | 02/09/2015 | 7.83 |
| 12. | –वही– | –वही– | 06/02/2016 | 6.26 |
| **व्यय के रूप में दर्शाया गया कुल अग्रिम** | | | | **163.80** |

**ख)** इसमें मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ठेकेदारों को दिए गए 53.22 करोड़ रू. की राशि शामिल है जिसे नीचे दिए गए दिवस के अनुसार दो बार दर्शाया गया है :–

| **दो बार दर्शाया गया 53.22 करोड़ रू. का अग्रिम अर्थात् उत्तर के साथ–साथ रोहिणी जोन** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सेक्टर ए–1 से ए–4 नरेला में 325 2–बीएचके, 170 3–बीएचके और 194 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण | मैसर्स बी.जी. शिरके कन्स्ट्रक्शन टैक. | 28/08/2015 | 20.95 |

**(ख)** वित्तीय विवरणों में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि तुलन पत्र में अग्रिमों का पार्टी–वार अथवा जोन वार प्रकटीकरण नहीं है।

तुलन पत्र में कुल अग्रिम राशि को दर्शाया गया है।

लेखा परीक्षा को प्रस्तुत अग्रिमों का यह केवल अनुपूरक विवरण है जिसमें 53.22 करोड़ रू. के उक्त अग्रिम को एमपीआर जोन के स्थान पर उत्तरी जोन एवं रोहिणी जोन के रूप में दर्शाया गया है। इस पहलू का विवरण पहले ही दिया

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>2.</td><td>सेक्टर ए–1 से ए–4 नरेला में 520 2–बीएचके, 250 3–बीएचके और 294 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण</td><td>–वही–</td><td>28/08/2015</td><td>32.27</td></tr>
<tr><td colspan="4">दो बार दर्शाया गया कुल अग्रिम</td><td>53.22</td></tr>
</table>
उक्त 'क' एवं 'ख' के परिणाम के रूप में, 110.58 करोड़ रू. (163.80 करोड़ रू. –53.22 करोड़ रू.) तक का अग्रिम कम बताया गया और चालू वर्ष और विगत वर्ष के लिए क्रमशः 70.89 करोड़ रू. (110.58 करोड़ रू. – 39.69 करोड़ रू.) और 39.69 करोड़ रू. तक का व्यय अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के लिए 70.89 करोड़ रू. तक घाटा अधिक बताया गया और रिजर्व और सरप्लस 110.58 करोड़ रू. (70.89 करोड़ रू. + 39.69 करोड़ रू.) तक कम बताया गया।
</td>
<td>जा चुका है और संशोधित विवरण को भी पहले ही लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दिया गया है।</td>
</tr>
<tr>
<td>4.6</td>
<td>
ठेकेदार को दिए गए अग्रिम पर उपर्जित ब्याज– 50.56 करोड़ रू.
क) इसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न ठेकेदारों को दिए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर उपार्जित 8.74 करोड़ रू. का ब्याज शामिल नहीं है।
(राशि करोड़ रु. में)
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>योजना का नाम</th><th>ठेकेदार का नाम</th><th>अग्रिम की तिथि</th><th>अग्रिम की राशि</th><th>31/03/2016 तक उपार्जित ब्याज</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>जेलर वाला बाग अशोक विहार में</td><td>मैसर्स बृज गोपाल</td><td>18/09/2014</td><td>8.79</td><td>1.35</td></tr>
</table>
</td>
<td>
इस पैरा के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 3.95 करोड़ रू. की राशि का गलती से लेखा में हिसाब नहीं रखा गया।
पूर्व अवधि के माध्यम से 2016–17 के लेखों में अपेक्षित परिशुद्धता की जाएगी।
नए प्रारूप को तैयार कर लिया गया है और ऐसा भविष्य में नहीं होगा।
</td>
</tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1675 आवासीय इकाइयों का निर्माण | | | | | |
| | 2. | –वही– | –वही– | 23/02/2016 | 8.79 | 0.09 | |
| | 3. | सेक्टर–19 द्वारका, फेज–II में 1240 एचआईजी (एमएस) आवासों का निर्माण | मैसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रेक्चर | 10/02/2015 | 30.90 | 3.51 | |
| | 4. | –वही– | –वही– | 16/10/2015 | 15.00 | 0.69 | |
| | 5. | सेक्टर ए–1 से ए–4, नरेला के पॉकेट–3 में 625, 2–बीएचके, 350, 3–बीएचके एवं 376 ईडब्ल्यूएस आवास का निर्माण | –वही– | 21/09/2015 | 35.43 | 1.86 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | सेक्टर ए–1 से ए–4, नरेला के पॉकेट–6 में 420, 2–बीएचके आवास का निर्माण | मैसर्स बी. जी. शिरके कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी | 03/09/2015 | 11.62 | 0.67 |
| 7. | –वही– | –वही– | 06/02/2016 | 2.32 | 0.03 |
| 9. | सेक्टर ए–1 से ए–4, नरेला के पॉकेट–3 में 225 3–बीएचके और 250 ईडब्ल्यूएस आवास का निर्माण | –वही– | 03/09/2015 | 7.83 | 0.45 |
| 10. | –वही– | –वही– | 06/02/2016 | 6.26 | 0.09 |
| **दि.वि.प्रा. द्वारा अनिर्धारित कुल ब्याज राशि** | | | | **126.94** | **8.74** |

**(ख)** इसमें 4.79 करोड़ रू. की ब्याज राशि भी शामिल है, जिसे गलती से दो बार रोहिणी में और साथ ही दि.वि.प्रा. के उत्तरी जोन में अंकित किया गया था।

| | | |
|---|---|---|
| | उपरोक्त 'क' एवं 'ख' के परिणामस्वरूप, वर्तमान वर्ष के लिए 3.95 करोड़ (8.74 करोड़ रू.–4.79 करोड़ रू.) के लिए आय को कम बताया गया और घाटे को अधिक बताया गया है। | |
| **ख. आय एवं व्यय खाता** | | |
| 1. | **व्यय : 2591.10 करोड़ रू.**<br>**1.1 विकास एवं निर्माण व्यय 1604.55 करोड़ रू.**<br>**(क) विर्निदिष्ट आवास योजनाएं–ई.डब्ल्यू.एस. आवास 171.64 करोड़ रू.**<br><br>वर्ष 2014–15 के लिए दि.वि.प्रा. के लेखा की पृथक लेखा रिपोर्ट की सी एण्ड ए जी टिप्पणी बी–1 के लिए संदर्भ आमंत्रित है, जिसमें यह उल्लेख है कि दि.वि.प्रा. ई.डब्ल्यू.एस. आवास के निर्माण के लिए निर्धारित आरक्षित निधि अर्थात् "ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि" की व्यवस्था कर रहा है। अतः ई.डब्ल्यू.एस. आवास के निर्माण के संबंध में वहन किया गया व्यय और अर्जित आय राशि को आरक्षित निधि में समायोजित किया जाना चाहिए और इसे आय एवं व्यय खाता के माध्यम से नहीं लिया जाना चाहिए। यद्यपि, वर्तमान वर्ष के दौरान, ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण के लिए व्यय की गई 171.64 करोड़ रूपये की राशि को आय एवं व्यय खाते से निकाला गया। इसके अतिरिक्त, 171.64 करोड़ रू. की राशि को ई.डब्ल्यू.एस. आवास के डब्ल्यू.आई.पी. में वृद्धि के माध्यम से आय के रूप में आय एवं व्यय खाते में जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 171.64 करोड़ रू. के व्यय को अधिक बताया गया और साथ ही 171.64 करोड़ रू. की आय को अधिक बताया गया। | इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में, ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षित निधि को अधिशेष निधि के विनियोजन से तैयार किया गया था। सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. आवास योजनाओं के लिए वहन किए गए व्यय को उस वर्ष में आय एवं व्यय खाते से वसूल किया गया, जिस वर्ष में व्यय वहन किया गया है।<br><br>इस लेखांकन का निरंतर रूप से दि.वि.प्रा. द्वारा अनुसरण किया गया।<br><br>वर्ष के दौरान, ई.डब्ल्यू.एस. आवास योजनाओं |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | पर वहन की गई 171.64 करोड़ रू. की राशि के वास्तविक व्यय को व्यय भाग से और 45.86 करोड़ रू. की ब्याज आय को आय एवं व्यय लेखा के आय भाग से वसूला गया।<br><br>यद्यपि, तुलन पत्र के आरक्षी एवं अधिशेष में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 (2) की आवश्यकता के अनुपालन में उपयोग न की गई राशि के संचयन के लिए ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि के रूप में अलग से आरक्षण है, अतः वर्ष के दौरान व्यय की गई 125.78 करोड़ रू. (निवल) की राशि को राजस्व खाता में अधिशेष में जोड़ा गया और ई.डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि से घटाया गया।<br><br>यदि यह समायोजन पास नहीं होता तो तुलन पत्र में आरक्षी एवं अधिशेष की सही स्थिति को दर्शाया नहीं जा सकता था क्योंकि लेखा परीक्षा अनुशंसित करता कि आय एवं व्यय लेखा के माध्यम से गुजरे बिना प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के व्यय को आरक्षित खाते से वसूला जाना सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के साथ संगत नहीं है। दि.वि.प्रा. निधि आधारित लेखांकन नहीं कर रहा है। ई. डब्ल्यू.एस. आवास आरक्षी निधि के लिए राजस्व लेखा में अधिशेष से राशि का विनियोजन एक |

| | | |
|---|---|---|
| | | विशेष आरक्षण है और इस राशि का संचयन केवल विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और इसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत उपयोग हुई राशि के रूप में नहीं माना जा सकता, जब तक की इस राशि का वास्तव में उपयोग न हुआ हो।<br><br>उन संपत्तियों की घोषणा करना अपेक्षित नहीं है जिनको धारा 11 (2) के अंतर्गत, संचालित निधि के उपयोग से सृजित किया गया हो। पूर्ण इंवेंटरी का विवरण दि.वि.प्रा. की लेखा–बही में उपलब्ध है।<br><br>आयकर अधिनियम की धारा 11(2) के अनुसार, राशि का उपयोग करना अपेक्षित है और उपयोग न की गई राशि को अगले 5 वर्षों में उपयोग किए जाने हेतु संचय करने के लिए अलग रखा जाएगा, इस राशि को निवल लाभ या हानि के लिए नहीं रखा जाएगा। अतः उपयोग के लेखांकन का कार्य पूरा कर लिया गया और उसे ई.डब्ल्यू.एस. आवास योजना में समायोजित किया गया और इससे उत्पन्न आय परिणामी है जिसे अलग से दर्शाया नहीं जाएगा।<br><br>इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया कि |

| | | |
|---|---|---|
| | | आयकर विधि के अंतर्गत अग्रेषित उपयोग न की गई राशि के लिए उपयोग के रूप में ई. डब्ल्यू.एस. आवास योजना का आवश्यक समायोजन फॉर्म 10 और आयकर रिटर्न भरते हुए दि.वि.प्रा. के आय के परिकलन में तैयार किया गया। |
| | **(ख) <u>अन्य आवासीय योजनाओं पर व्यय</u> 1428.95 करोड़ रू.**<br>इसमें वसंत कुंज, डी–6 के 2500/2252 एस.एफ.एस. आवासों के निर्माण की योजना के संबंध में व्यय के लिए 24.97 करोड़ रू. की राशि शामिल है। इस योजना को वर्ष 2012–13 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा पूर्ण माना गया और दि.वि.प्रा. की लेखांकन नीति संख्या 6(ग) के अनुसार निर्मित आवासों के स्टॉक की आय को भी कार्य पूरा होने की अनुमानित शेष लागत के लिए बिना प्रावधान बनाए उसी वर्ष में लेखांकित किया गया। यद्यपि पूर्व अवधि मदों से संबंधित ए एस–5 के अनुसार एक चूक थी, तथापि, इसे पूर्व अवधि के माध्यम से शामिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान वर्ष के लिए 24.97 करोड़ रू. की सीमा तक व्यय की अधिकता तथा इसी सीमा तक पूर्व अवधि व्यय की कमी को दर्शाया गया। तद्नुसार, वर्तमान वर्ष की कटौती को 24.97 करोड़ रू. तक बढ़ा के दर्शाया गया था। | यह प्रस्तुत किया गया कि इन मामलों में वार्षिक लेखों में डब्ल्यू.आई.पी. की सही स्थिति को दर्शाने हेतु भिन्न लेखा इकाईयों के साथ आवश्यक समाधान अपेक्षित है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवश्यक समाधान के बाद, पूर्व अवधि के माध्यम से लेखा 2016–17 में अपेक्षित सुधार किया जाएगा। |
| | **1.2 संस्थापना एवं प्रशासन व्यय (अनुसूची–ट) : 777.20 करोड़ रू.** | |
| | (i) संस्थापना एवं प्रशासन व्यय में पेंशन निधि के कर्मचारी अंशदान के प्रावधान के लिए 813.66 करोड़ रूपये की राशि शामिल है, जबकि वर्ष 2015–16 के लिए, केवल 676.64 करोड़ रू. की राशि के बीमांकक अनुशंसित प्रावधान को शामिल किया गया। अतः वर्ष 2015–16 के दौरान, पेंशन अंशदान के लिए 137.02 करोड़ रू. (813.66 करोड़ रू. | यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि तुलन पत्र के अनुसार देयता के साथ वर्ष के अंत में बीमांकन द्वारा परिकलित पेंशन निधि में कर्मचारी अंशदान की संचयी देयता में कोई अंतर नहीं है। वार्षिक लेखे और बीमांकक |

| | | |
|---|---|---|
| | –676.64 करोड़ रू.) का अतिरिक्त प्रावधान दि.वि.प्रा. द्वारा किया गया।<br><br>(ii) संस्थापना एवं प्रशासन व्यय में उपदान निधि के कर्मचारी अंशदान के प्रावधान के लिए (–) 129.12 करोड़ रूपये की राशि शामिल है, जबकि वर्ष 2015–16 के लिए, केवल (–) 24.32 करोड़ रू. की राशि के बीमांकक अनुशंसित प्रावधान को शामिल किया गया। अतः वर्ष 2015–16 के दौरान, उपदान अंशदान के लिए 104.80 करोड़ रू. (129.12 करोड़ रू.–24.32 करोड़ रू.) राशि का एक्सैस राइट बैक दि.वि.प्रा. द्वारा किया गया।<br><br>इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 32.22 करोड़ रू. (137.02 करोड़ रू.–104.80 करोड़ रू.) की राशि को संस्थापना और प्रशासन व्यय के साथ–साथ कटौती के रूप में अधिक दर्शाया गया। लेखा की टिप्पणियों (टिप्पणी सं. 3) में दिए गए विवरण में यह अन्तर्विरोधी था कि पेंशन और उपदान निधि के लिए अंशदान को 31 मार्च, 2016 की बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अभिलेखित किया गया। | रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के लिए अंशदान में विचलन, परिसंपत्तियों पर अनुमानित रिटर्न और परिसंपत्तियों पर बीमांकन लाभ अथवा हानि पर है। बीमांकक रिपोर्ट के अनुसार निधि के आरंभिक शेष में वास्तविक लाभ अंतर और अंतिम लेखांकित विवरण के अनुसार वास्तविक निवेश की राशि तथा निधि में किए गए वास्तविक अंशदान की राशि के साथ बीमांकक द्वारा तैयार योजना संपत्तियों पर बीमांकक लाभ/हानि के कारण मुख्य अंतर है।<br><br>बीमांकक द्वारा यथा सूचित देयता का आरंभिक शेष और देयता के अंतिम शेष को तुलन पत्र के साथ विधिवत रूप से मिलाया जा रहा है।<br><br>यद्यपि, अगले वित्त वर्ष से इस प्रकार के परिवर्तन के मामले में, यदि कोई हो, लेखा की टिप्पणियों में उचित प्रकटीकरण किया जाएगा। |
| | **1.3 मूल्यह्रास (अनुसूची 'घ')** **12.88 करोड़ रू.**<br>"सामुदायिक हाल' पर 1.91 करोड़ रू. के उपरोक्त शामिल मूल्यह्रास की गणना प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से की गई, जबकि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर पर आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास को वसूला गया जो 3.81 करोड़ रू. था। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए इस सीमा तक 1.90 करोड़ रू. के मूल्यह्रास के साथ–साथ घाटे को कम दर्शाया गया। | यह गलती लिपिकीय त्रुटि के कारण है। इसे अगले वर्ष के लेखों में सुधार लिया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| ग. | **प्राप्ति एवं भुगतान लेखा**<br>**1. भुगतान**<br>**1.1 प्रशासन एवं संस्थापना व्यय** **1415.85 करोड़ रू.** | |
| | वर्ष 2015–16 के दौरान, दि.वि.प्रा. ने प्रशासन एवं संस्थापना व्यय के लिए 1415.85 करोड़ रू. के सकल नकद भुगतान को दर्शाया, जबकि प्रशासन एवं संस्थापना व्यय के लिए किया गया। वास्तविक सकल नकद भुगतान केवल 575.80 करोड़ रूपये था। इस संबंध में, यह देखा गया कि पेंशन, उपदान, छुट्टी नगदीकरण के लिए 840.05 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया तथा वर्ष के दौरान पी.आर.एम.एस. को नगद भुगतान के रूप में दर्शाया गया, यद्यपि दि.वि.प्रा. द्वारा कोई नगद भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, प्रशासन एवं संस्थापना व्यय के लिए 840.05 करोड़ रूपये के नगद भुगतान को अधिक दर्शाया गया। | इस संदर्भ में, यह बताया गया है कि बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 840.05 करोड़ रू. की राशि सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान को दर्शाती है।<br><br>वर्तमान वर्ष के दौरान, कर्मचारी लागत में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई बीमांकक देयता के कारण पर्याप्त बढ़ोतरी पायी गयी। इस प्रकार, नजूल–II से वसूली गई आबंटित शेयर राशि कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों के लिए किए गए वास्तविक भुगतान से अधिक थी।<br><br>यद्यपि, भुगतान की निवल राशि को ऋणात्मक आंकड़ों में दर्शाया गया था, अतः पूर्ण आंकड़ों की प्रस्तुति, 840.05 करोड़ रू. के कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों को भुगतान भाग पर वर्ष के लिए कुल प्रशासन एवं संस्थापना व्यय में शामिल किया गया था और साथ ही इस राशि को प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के समान भाग पर शीर्ष बीमांकक अंशदान के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, |

| | | |
|---|---|---|
| | | निवल भुगतान 575.80 करोड़ रू. के रूप में सही से दर्शाया गया।<br><br>यह मामला केवल प्रस्तुतीकरण का है, इसका कोई प्रभाव प्राधिकरण के आय या व्यय तथा संपत्तियों एवं देयताओं पर नहीं पड़ता है।<br><br>यद्यपि, लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को केवल भविष्य में प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान राशि के प्रकटीकरण हेतु नोट किया गया। |
| | **1.2 अचल संपत्तियों की खरीद —4.97 करोड़ रुपये**<br><br>वर्ष 2015–16 के दौरान भुगतान की ओर –4.97 करोड़ रुपये को अचल संपत्ति की खरीद हेतु भुगतान के रूप में दर्शाया गया है । यह राशि अचल संपत्तियों की खरीद हेतु भुगतान किए गए 3.53 करोड़ रुपये की राशि से टी. एण्ड पी[3]. प्रभारों की वसूली हेतु प्राप्त 8.50 करोड़ रु. से कटौती कर निर्धारित की गई है। इसके परिणामस्वरूप 8.50 करोड़ रुपये (–4.97 करोड़ रु. – 3.53 करोड़ रु.) से अचल संपत्ति की खरीद हेतु भुगतान को कम दर्शाया गया और इसी राशि से टी. एण्ड पी. प्रभारों की प्राप्ति की गई । | अचल संपत्तियों की खरीद हेतु ए 3.53 करोड़ रुपये भुगतान के लिए टी. एण्ड पी. प्रभार वसूली हेतु 8.50 करोड़ रुपये का समायोजन किया गया था जिससे प्राप्ति एवं भुगतान के खाते की ओर 4097 करोड़ रुपये का ऋणात्मक आंकड़ा प्राप्त हुआ ।<br><br>यह केवल उन प्रस्तुतियों का मामल है जिनका वित्तीय विवरण के फाइनेंसियल्स पर कोई वित्तीय बाधा नहीं है।<br><br>तथापि, भविष्य में प्राप्ति और भुगतान खाते में |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्राप्ति और भुगतान राशि को पृथक रूप से दर्शाने के लिए लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए मामले को संज्ञान में ले लिया गया है । |
| घ | **महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची–एन)**<br>**1. निर्धारित निधि (शहरी विकास निधि)**<br>वर्ष 2014–15 हेतु दि.वि.प्रा. पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सी. एण्ड जी. टिप्पणी सं. सी–2 पर संदर्भ आमंत्रित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि लेखांकन नीति सं. 15(क) के अनुसार यू.डी.एफ. से दिए गए ऋणों पर ब्याज मान्य है और इसे वास्तविक प्राप्ति आधार पर निधि खातों में जमा किया जाता है । चूंकि, दि.वि.प्रा. के लेखों का उपार्जित आधार पर तैयार किया जाता है, और अन्य निधियों के मामले में ब्याज को भी उपार्जित आधार पर तैयार किया जाता है तो, इसलिए यू. डी.एफ. में ब्याज, जिसे प्राप्त किया जाना निश्चित है, क्योंकि ऋण केवल सरकारी एजेंसियों को ही दिया जाता है, को भी एकरूपता बनाए रखने के लिए उपार्जित आधार पर तैयार किया जाना चाहिए । तथापि, दि.वि. प्रा. ने वर्ष 2015–16 के दौरान भी इस नीति को अपनाया । | उपार्जित आधार के बजाय वास्तविक प्राप्ति के आधार पर यू.डी.एफ. से दिए गए ऋण पर ब्याज स्वीकारने के संबंध में यह निवेदित किया जाता है कि प्राधिकरण शहरी विकास निधि का संरक्षक मात्र है और यह निधि प्राधिकरण की नहीं है और ब्याज पर प्राप्त आय भी प्राधिकरण की आय नहीं है । यह निधि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है और इस निधि से जारी किए जाने वाले ऋण/अनुदान शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार वितरित किए जाते हैं। प्राप्ति के आधार पर दिए गए ऋण पर प्राधिकरण, दि.वि.प्रा. की लेखा नीति 15(ए) के अनुरूप ब्याज निर्धारित कर क्रेडिट कर रहा है।<br><br>प्राधिकरण के आय और व्यय खाता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । |

| | | |
|---|---|---|
| | **2. राजस्व स्वीकृति (लेखांकन नीति–7)**<br><br>वर्ष 2014–15 हेतु दि.वि.प्रा. के वित्तीय विवरण पर भी सी. एण्ड जी. को टिप्पणी सं. सी–3 पर संदर्भ आमंत्रित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि लेखांकन नीति 7(ग) के अनुसार, किराया आय को उपार्जित आधार पर स्वीकृत किया जाता है और लेखांकन नीति 7(घ) के अनुसार भू–भाटक आय और सेवा प्रभारों को नकद आधार पर आय के रूप में परिकलित किया जाता है । चूंकि अंतिम लेखों को उपार्जित आधार पर तैयार किया जाता है इसलिए भू–भाटक और सेवा प्रभारों को भी उपार्जित पर तैयार किया जाए और जिस आय के भाग की वसूली में संदेह है उसके लिए प्रावधान बनाया जाए । आय के लेखाकरण के लिए उपार्जित आधार के साथ–साथ नकद आधार पर स्वीकार करना सामान्यतः स्वीकार को जाने वाले लेखाकरण सिद्धांतों और कार्यों से असंगत है, इसके अतिरिक्त नजूल–I के मामले में, दि.वि.प्रा. भू भाटक का लेखाकरण उपार्जित आधार पर करता रहा है । इसलिए जी.डी.ए. के मामले में भी भू भाटक का परिकलन उपार्जित आधार पर करना चाहिए । इस संबंध मं नीति में उचित संशोधन करने की जरूरत है । तथापि, दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2015–16 के दौरान भी इस नीति में बदलाव नहीं किया । | भू भाटक और सेवा प्रभार के मामले में, परिवर्तन के समय इन प्रभारों को लागू करने की नीति दि.वि.प्रा. में अपनाई जाती है । इस प्रकार से संपत्ति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन करवाने के समय अधिकांश आबंटिती पंजीकृत भू भाटक और सेवा प्रभार जमा करते हैं । इसके बाद, दि.वि.प्रा. पॉलिसी सं. 7(घ) का अनुपालन करता है । हम पुनः निवेदन करते हैं कि दि.वि.प्रा. में वाउचर स्तर पर डबल एंट्री लेखा प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है और दि.वि.प्रा. में इस डबल एंट्री प्रणाली के लागू हो जाने के बाद इस प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा और इस नीति में आवश्यक संगत बदलाव किए जाएंगे । |
| ड. | **लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची–ण)**<br>**ऋण टिप्पणी सं. 2(क) के रूप में अस्वीकृत आकस्मिक देयता :,**<br>**2325.65 करोड़ रु.**<br><br>मैसर्स एमार एम.जी. एफ. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दि.वि.प्रा. के विरूद्ध फाइल किए गए एक केस के मामले में उपरोक्त में केवल 1808.98 करोड़ रुपये को शामिल किया गया है जिसमें दि.वि.प्रा. द्वारा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किए गए दावा विवरण के अनुसार कुल राशि 2321.54 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। | यह केवल लेखा टिप्पणियों के संबंध मे एक प्रकटीकरण है और इसका प्राधिकरण की आय एवं व्यय और संपत्तियों तथा देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। |

| | | |
|---|---|---|
| | इस प्रकार से आकस्मिक देयता 512.56 करोड़ रुपये (2321.54 करोड़ रुपये – 1808.98 करोड़ रुपये) कम बताई गई । | आवश्यक अनुपालन हेतु लेखा परीक्षा टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है । इस प्रभाव के आवश्यक तथ्यों को 2016–17 के लेखा में शामिल किया जाएगा । |
| च | **नजूल–II खाता**<br>**आय एवं व्यय खाते और तुलन पत्र का तैयार न होना**<br>नजूल–II का संबंध भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास तथा निपटान की गतिविधियों से है । नजूल–II खाते के संबंध में, दि.वि.प्रा. ने केवल प्राप्ति एवं भुगतान खाते तैयार किए थे, परिणामस्वरूप नजूल–II खाते की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं गया । लेखा परीक्षा ने यह नोट किया कि निम्नलिखित कुछ परिसंपत्तियों और देयताओं के नजूल–II के तुलन पत्र न तैयार करने के कारण अब तक नहीं दर्शाया गया है – इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :<br>1. 11,594.40 करोड़ रु. का निवेश ;<br>2. 460.70 करोड़ रु. का उपार्जित ब्याज ;<br>3. एफ.सी.आई. नरेला में फ्लाई ओवर सह–आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु नवंबर 2015 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के साथ यूको बैंक में प्रतिभूति के रूप में 1.61 करोड़ रु. फिक्स डिपॉजिट किया गया ।<br>4. कोर्ट आदेशों हेतु वर्ष 2010–11 से 2015–16 के दौरान 40.50 करोड़ रु. तक दोगुना भुगतान, जिसमें से केवल 3.52 करोड़ रु. की राशि वसूल हुई और 36.98 करोड़ रु. की शेष राशि अभी दिल्ली सरकार से वसूली जानी थी।<br>5. 366 अवार्डस के समाधान के आधार पर दि.वि.प्रा. ने पाया कि विभिन्न एल.ए.सी. के पास 640.00 करोड़ रु. अवितरित रूप में पड़ा था, जिसे नजूल–II खाते के तैयार न होन की स्थिति में वार्षिक खाते में दर्शाया नहीं गया था । | इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि दि.वि.प्रा. लेखा परीक्षा की राय से पहले से ही सहमत है, और समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत नजूल–II के तुलन पत्र को तैयार करने हेतु नियमानुसार निणय लिया गया है । तुलन पत्र तैयार करने से पहले कुछ अभिलेखों जैसे अधिग्रहण की गई कुल भूमि का रिकॉर्ड, उपयोगकर्ता विभागों को हस्तांतरित भूमि, नजूल भूमि स्कीम रजिस्टर और अतिक्रमण रजिस्टर को तैयार करने की आवश्यकता होगी । दि.वि.प्रा. की संबंधित शाखाओं से इन अभिलेखों को तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया है । एक बार तुलन पत्र तैयार हो जाने के बाद सभी संपत्तियों और देनदारियों को विधिवत् रूप से निरूपित किया जाएगा । |

| | | |
|---|---|---|
| | वित्तीय विवरणों के बेहतर प्रस्तुतीकरण और ये सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरणों में सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उचित ढंग से दर्शाया गया है, इस संबंध में लेखा परीक्षा का दृढ़ विचार है कि नजूल–II के लिए तुलन पत्र तथा आय व्यय खाते को दि.वि.प्रा. द्वारा बनाया जाना चाहिए । इस समय दि.वि.प्रा. नजूल–II के संबंध में निवेशों को तुलन पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक में निवेशों का प्रस्तुतीकरण पर्याप्त उद्देश्य को पूरा नहीं करता है । इसके बाद दि.वि.प्रा. को अपनी सभी परिसंपत्तियों, देयताओं, उपार्जित आय सहित बकाया व्ययों के उचित लेखाकरण के नजूल–II का तुलन पत्र तैयार करना चाहिए ताकि लेखों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को लेखों की सही स्थिति स्पष्ट हो सके। | |
| छ. | **पेंशन फंड ट्रस्ट लेखा**<br>**तुलन पत्र (परिसंपत्तियाँ)**<br>**पी.आर.एम.एस. फंड से प्राप्य 60.91 करोड़ रु.**<br>वर्ष 2014–15 के दौरान पी.आर.एम.एस. निधि से प्राप्त 60.91 करोड़ रु. को समायोजत किए बिना ही इसे प्राप्त किया गया है । उपर्युक्त राशि को समायोजित करने के बाद, पी.आर.एम.एस. से प्राप्य राशि को शुन्य रुपये निर्धारित किया जाएगा । इसके परिणामस्वरूप पी.आर.एम.एस. से प्राप्य 60.91 करोड़ रु. की राशि को बढ़ा कर और जी.डी.ए. से प्राप्य राशि को इतना ही कम करके दर्शाया गया । | यह प्रस्तुत किया जाता है कि 60.91 करोड़ रु. की राशि पेंशन फंड से जी.डी.ए. को अदा की गई । तथापि, अपरिहार्य कारणों से यह राशि पी.आर.एम.एस. बैंक खाते से भेजी गई । इसलिए, जी.डी.ए. तुलन पत्र में इसे अनुसूची–ग में पेंशन फंड ट्रस्ट के स्थान पर अनुसूची–ख में पी.आर.एम.एस. को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है ।<br><br>यह केवल प्रस्तुतिकरण से संबंधित मामला है और इसका आय और व्यय लेखा और संपत्तियों तथा देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं है । इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्ष 2016–17 के लेखों में आवश्यक सावधानी रखी जाएगी । |